

CG-15

# **CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1991 & RULES, 1991**

## **छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 एवं नियम, 1991**

यथा संशोधित

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016  
(क्रमांक 24 सन् 2016) (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)

समाहित

- संशोधित अधिनियमों/अधिसूचनाओं की सूची
- महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं सहित

**Diglot Edition**  
द्विभाषी संस्करण

2017

₹ 160

**BARE ACT**  
with Short Notes

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी  
प्रकाशन विभाग



# भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(1872 का 2)

The Indian Evidence Act, 1872  
(2 of 1872)

india  
PUBLISHING Co.

दो भागों में

निःशेषकारक टिप्पणियों, व्याख्याओं, नवीनतम निर्णय विधि  
के संदर्भों एवं राज्य संशोधनों सहित

यथा संशोधित  
दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013  
(क्रमांक 13 सन् 2013)

पुस्तक के बारे में

विधिक विवाद के निराकरण के लिए साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान रीढ़ की हड्डी के समान है।  
साक्ष्य का मूल्यांकन साक्ष्य की ग्राह्यता/अग्राह्यता सम्पूर्ण विचारण को प्रभावित करती है।

इस दृष्टि से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एक महत्वपूर्ण विधान है।

- पुस्तक में अधिनियम के प्रावधानों को अपतन संशोधित रूप में अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषा में दिया गया है।
- एक नजर में अवलोकनार्थ बेजर एक्ट अंग्रेजी व हिन्दी में समाविष्ट।
- नवीनतम निर्णय विधि समेत विस्तृत विधिक मीमांसा।
- सभी महत्वपूर्ण जर्नलस से वृष्टांतों को समावेश किया गया है।
- विस्तृत विषय-सूची, निर्णय विधि की नामनिर्देशिका व विषय-अनुक्रमणिका से सज्जित।

लेखक

एस. के. जैन

एड्योकेट

भारत सरकार के विधि मंत्रालय से अनेक बार पुरस्कृत

पुनः मुद्रित संस्करण : 2016 | ISBN - 978-93-80093-87-1 | मूल्य : 3400.00 (रिंट दो भागों में)

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी

कचहरी चौक, जीधन बीमा मार्ग, रायपुर (छ.ग.) 492 001  
फोन : 2583803, 2582532, फैक्स : 0771-2582532  
मो. : 9302833256, ई-मेल : india\_pub2001@yahoo.com

B.L. Sharma Asst. T.C. Date- 31/5/2017

# CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1991 & RULES, 1991

## छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 एवं नियम, 1991

यथा संशोधित

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016  
(क्रमांक 24 सन् 2016) (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)

समाहित

- संशोधित अधिनियमों/अधिसूचनाओं की सूची
- महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं सहित

Diglot Edition • द्विभाषी संस्करण

इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी  
प्रकाशन विभाग



# CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1991

## CONTENTS

Sections	Pages
1. Short title, extent and commencement	1
2. Definitions	1
3. Levy of tax on Motor Vehicles	2
4. Tax payable by dealer or manufacturer	2
5. Payment of tax	2
6. Bar of imposition of tax by any local authority	3
7. Grant to local authorities	3
8. Filing of declaration and determination of tax payable	4
9. Production of certificate of insurance before the taxation authority	5
10. Manner of payment of tax	5
11. General exemption from levy of tax	5
12. Grant of token	5
13. Penalty for failure to pay tax	6
14. Refund of tax	6
15. Recovery of tax, penalty with interest	7
16. Power of entry, seizure and detention of Motor Vehicles in case of non-payment of tax	7
16-A. Power to produce transport vehicle before the Taxation authority	9
17. Offences, penalties and Competent Court	9
17-A. Composition of offences	10
18. Officers to be public servants	10
19. Bar of suit or other proceedings	10
20. Appeal	10
20-A. Appeal against order of Confiscation	11
20-B. Revision before Court of Session against order of Appellate Authority	11
20-C. Bar to jurisdiction of Court etc. under certain circumstances	12
21. Power of State Government to exempt from tax	12
22. Maintenance of demand and recovery register of tax	12
23. Power to amend the Schedule	12
24. Power to make rules	12
25. Power to remove difficulties	13
26. Repeal and Savings	13
First Schedule	14-37
First Schedule-A	37
Second Schedule	37-41
Third Schedule	41

-:C-2:-

# छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

## विषय-सूची

धाराएँ	पृष्ठ क्र.
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
2. परिभाषाएँ	1
3. मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण	2
4. व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर	2
5. कर का संदाय	2
6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन	3
7. स्थानीय प्राधिकरणों के अनुदान	3
8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण	4
9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना	5
10. कर के संदाय की रीति	5
11. कर के उद्ग्रहण के सामान्य छूट	5
12. टोकन प्रदान करना	5
13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति	6
14. कर की वापसी	6
15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली	7
16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति	7
16-क. कराधान प्राधिकारी के समक्ष परिवहन यान को प्रस्तुत करने की शक्ति	9
17. अपराध, शास्तियाँ और सक्षम न्यायालय	9
17-क. अपराधों का प्रशमन	10
18. अधिकारी लोक सेवक होंगे	10
19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन	10
20. अपील	10
20-क. अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील	11
20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण	11
20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन	12
21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति	12
22. कर की माँग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना	12
23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति	12
24. नियम बनाने की शक्ति	12
25. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति	13
26. निरसन और व्यावृत्तियाँ	13
प्रथम अनुसूची	14-37
प्रथम अनुसूची-क.	37
द्वितीय अनुसूची	37-41
तृतीय अनुसूची	41

-:C-2:-



# CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION RULES, 1991

## CONTENTS

Rules	Pages
1. Short title and commencement	42
2. Definitions	42
3. Jurisdiction of Taxation Authority	42
4. Entries of tax payable	43
5. Filing of declaration	43
6. Filing of declaration when motor vehicle is altered	44
6-A. Determination of tax payable	45
7. Manner of payment of tax etc.	45
8. Manner of payment of tax in respect of motor vehicles of other State	46
8-A. Filing of declaration, determination and payment of tax by a fleet owner	48
9. Token	48
9-A. Issue of Special Token	49
10. Imposition and payment of penalty etc.	50
11. Procedure for intimation of non-use of motor vehicle	50
12. Procedure for intimation of non-use of permit	52
13. Procedure, etc. for intimation of non-operation of motor vehicle in unforeseen circumstances	53
13-A. Procedure for intimation for non-use of permit etc. on part-route	55
14. Procedure for refund	55
15. Recovery of tax, etc.	58
16. Procedure regarding entry and search	59
17. Procedure for seizure and detention of motor vehicle in case of non-payment of tax	59
18. Appeals	59
18-A. Appeal against the order of Confiscation	61
19. Rounding off	61
20. Register of Demand and Recovery, etc.	62
21. Preservation and elimination of records, etc.	62
See forms 'a' to 'x' and Notifications in Hindi	63-101

-:C-3:-

# छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991

## विषय-सूची

नियम	पृष्ठ क्र.
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	42
2. परिभाषा	42
3. कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता	42
4. देय कर की प्रविष्टियाँ	43
5. घोषणा का फाइल किया जाना	43
6. मोटरयान परिवर्तित हो जाने पर घोषणा का फाइल किया जाना	44
6-क. देय कर का अवधारण	45
7. कर आदि के संदाय की रीति	45
8. अन्य राज्यों के मोटरयानों के संबंध में कर का संदाय करने की रीति	46
8-क. बेड़ा स्वामी द्वारा घोषणा का फाइल किया जाना, कर का अवधारण और संदाय	48
9. टोकन	48
9-क. स्पेशल टोकन जारी करना	49
10. शास्ति आदि का अधिरोपण और संदाय	50
11. मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया	50
12. अनुज्ञापन का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया	52
13. अकल्पित परिस्थितियों में मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया आदि	53
13-क. मार्ग के भाग पर अनुज्ञा-पत्र आदि का उपयोग न किए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया	55
14. वापसी के लिए प्रक्रिया	55
15. कर आदि की वसूली	58
16. प्रवेश और तलाशी के संबंध में प्रक्रिया	59
17. कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान के अभिग्रहण और निरोध के लिए प्रक्रिया	59
18. अपील	59
18-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील	61
19. पूर्णांकन करना	61
20. मांग और वसूली का रजिस्टर	62
21. अभिलेखों आदि का परिरक्षण और नष्टकरण	62
प्रारूप 'क' से 'भ'	63-98
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ	99-100
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ	100-101

-:C-3:-



## विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000

अधिसूचना क्र. 586/161/परि./2001, दिनांक 31 जनवरी, 2001 — म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् —

### आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम “विधि अनुकूलन आदेश, 2000” है।
- (2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा।
- समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्वारा, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएँ। उपांतरणों के अध्वधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द “मध्यप्रदेश” जहाँ कहीं भी यह आया हो, के स्थान पर शब्द “छत्तीसगढ़” स्थापित किया जाए।
- अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कोई भी बात या कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

### अनुसूची

क्रमांक	विधियों का नाम
1.	मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991)
2.	मध्यप्रदेश मोटर यान कराधान नियम, 1991
3.	मोटर यानों से प्रदूषण की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अधिकृत करने संबंधी योजना, 1993
4.	मध्यप्रदेश मोटर यान नियम, 1994
5.	केवल वही कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) जो मोटर यान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा की गई है।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-2-2001 में पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित]

## संशोधित अधिनियमों/अधिसूचनाओं की सूची

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1991 (प्रभावी दिनांक 1-1-1992);
2. अधिसूचना दिनांक 30-09-1992 (प्रभावी दिनांक 1-10-1992);
3. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 (प्रभावी दिनांक 10-10-1992);
4. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1997 (प्रभावी दिनांक 1-4-1997);
5. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1998 (प्रभावी दिनांक 1-9-1998);
6. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1999 (प्रभावी दिनांक 15-2-2000);
7. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2000 (प्रभावी दिनांक 24-5-2000);
8. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 (प्रभावी दिनांक 1-5-2001);
9. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 (प्रभावी दिनांक 23-4-2002);
10. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2010 (प्रभावी दिनांक 10-11-2010);
11. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2011 (प्रभावी दिनांक 12-10-2011);
12. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 (प्रभावी दिनांक 01-03-2013);
13. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013, (प्रभावी दिनांक 07-09-2013);
14. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, (प्रभावी दिनांक 10-08-2015);
15. छ.ग. अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 (प्रभावी दिनांक 15-02-2016)।

## नवीनतम संशोधन - एक नजर में

वर्ष 2017 में हुए संशोधनों के लिए देखें :-

- Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Rules, 1991  
Page No. 59  
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991  
पृष्ठ क्र. 59

वर्ष 2016 में हुए संशोधनों के लिए देखें :-

- Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation Act, 1991  
Page No. 36, 37, 38  
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991  
पृष्ठ क्र. 36, 37, 38



# CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1991

(No. 25 of 1991)

[Received the assent of the President on 21-9-1991; assent first Published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated 27-11-1991.]

An Act to consolidate and amend the law relating to levy of a tax on motor vehicles in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the "Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991".

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date<sup>2</sup> as the State Government may by notification, appoint.

2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Taxation Authority" means an officer appointed by the State Government as such for the purposes of this Act;

(b) "Owner" means the person in whose name a motor vehicle is registered under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), and includes :—  
(i) a person having possession or control of a motor vehicle for the time being;

(ii) a person responsible for the management of business of such owner; and

(iii) in case of a transport vehicle covered by a permit the holder of permit or a person or persons, who have acquired a right of succession to the possession of the vehicle and to the permit under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988);

<sup>3</sup>[(ba) "Private Service Vehicle" includes a motor vehicle owned by a partnership firm, a body corporate, a company or a factory and does not include a motor vehicle used for public purposes;]

(c) "Tax" means a tax leviable under this Act;

1. M.P. Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) under section 79 the words "Madhya Pradesh" substitute as "Chhattisgarh"; Notification No. 586/161/Tr./2001 dated 31-1-2001; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 26-2-2001 on pages 77-78.

2. Come into force in the whole State of Chhattisgarh w.e.f. 1-11-2000.

3. Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

—: I :-

# छत्तीसगढ़ मोटरयान करधान अधिनियम, 1991

(क्रमांक 25 सन् 1991)

[दिनांक 21 सितंबर, 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 नवंबर, 1991 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

छत्तीसगढ़ राज्य में मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण करने संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मोटरयान करधान अधिनियम, 1991" है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह ऐसी तारीख<sup>2</sup> को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ — इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "करधान प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ख) "स्वामी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसके अंतर्गत है —

(एक) कोई व्यक्ति, जो किसी मोटरयान का तत्समय कब्जा या निर्वहण रखता है;

(दो) कोई व्यक्ति, जो ऐसे स्वामी के कारोबार के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है; और

(तीन) अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत आने वाले परिवहन यान की दशा में, अनुज्ञा पत्र का धारक या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अधीन यान के कब्जे का और अनुज्ञा पत्र के लिए उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिया है;

<sup>3</sup>[(खक) "निजी सेवायान" में सम्मिलित है भागीदारी फर्म, निगमित, निकाय, कंपनी या फैक्ट्री के स्वामित्व के मोटरयान एवं लोक उद्देश्यों में उपयोग होने वाले वाहन सम्मिलित नहीं है;]

(ग) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर;

1. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 के अधीन "मध्यप्रदेश" के स्थान में "छत्तीसगढ़" स्थापित; अधिसूचना क्रमांक 586/161/परि./2001 दिनांक 31 जनवरी, 2001; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-2-2001 को पृष्ठ 77-78 पर प्रकाशित।

2. संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 1-11-2000 से प्रवृत्त।

3. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित; (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।

—: I :-



<sup>1</sup>[(d) "Year" in case of a fleet owner means the financial year, and in any other cases, means a period of twelve months commencing on the first day of the month in which a motor vehicle is registered or a new registration mark is assigned to it under the Motor Vehicles Act, 1988 and a "quarter" means every three months commencing on the first day of the month in which a motor vehicle is registered or a new registration mark is assigned to it];

(e) the words and expressions used but not defined in this Act shall have the meanings assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).

**3. Levy of tax on Motor Vehicles—**(1) A tax shall be levied on every motor vehicle used or kept for use in the State at the rate specified in the First Schedule:

<sup>2</sup>[Provided that the life time tax shall be levied at the rates specified in the Second Schedule in respect of motor vehicles specified therein:]

Provided further that in respect of a motor vehicle passing through the State from a manufacturer to a dealer under a temporary certificate of registration for a period not exceeding one month, the rate of tax shall be one third of the tax payable for a quarter.

(2) A Transport vehicle of which the certificate of registration is current, shall for the purposes of this Act, be presumed to have been in use-or kept for use, notwithstanding the expiry of the certificate of fitness in case of such transport vehicle.

**4. Tax payable by dealer or manufacturer—**A tax at the annual rate specified in the Third Schedule in lieu of the rates specified in the First Schedule, shall be paid by a manufacturer of or a dealer in motor vehicles, in respect of the motor vehicles in his possession in the course of his business as such manufacturer or dealer under the authorisation of a trade certificate granted under the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

**5. Payment of tax—**(1) The tax levied under this Act shall be paid in advance by the owner of the motor vehicle, at his choice, quarterly, half yearly or annually on a token to be obtained by him for that quarter, half year or year, within fifteen days from the commencement of the quarter, half year or year, as the case may be. Tax for a half yearly token shall not exceed twice and tax for an annual token shall not exceed four times the tax for a quarterly token:

Provided that the tax shall be paid in respect of a motor vehicle used or kept for use for any period expiring on the last day of a quarter and not exceeding two months, at two thirds of the quarterly tax or one-third of such tax according to the period exceeds or does not exceed one month:

Provided further that whenever the rates of tax specified in the First Schedule are enhanced and the owner of a motor vehicle becomes liable to pay the tax at the enhanced rate, then such owner shall deposit the difference of amount at the time of payment of tax for the subsequent period in respect of that motor vehicle:

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).

<sup>1</sup>[(घ) बेड़ा स्वामी के मामले में "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष और किसी अन्य प्रकरण के मामले में अभिप्रेत है बारह मासों की वह कालावधि जो उस माह के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है जिसको कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया गया हो और "तिमाही" से अभिप्रेत है उस मास के प्रथम दिन से, जिसको कि मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया गया हो, प्रत्येक तीन मास;]

(ङ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं वही अर्थ होंगे जो उनके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) में दिए गए हैं।

**3. मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण —** (1) राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा:

<sup>2</sup>[परन्तु जीवनकाल कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उसमें विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में किया जाएगा:]

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसी मोटरयान के संबंध में, जो किसी विनिर्माता से व्यापारी को एक मास से अनधिक की कालावधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के अधीन राज्य में होकर जा रही है, कर की दर किसी तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

(2) किसी परिवहन यान के बारे में, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि वह उपयोग में आ रहा है या उपयोग के लिए रखा गया है, भले ही ऐसे परिवहन यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का अस्वास्थ्य न हो गया हो।

**4. व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर —** मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा ऐसे मोटरयानों के संबंध में, जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अधीन मंजूर किए गए व्यापार प्रमाण-पत्र प्राधिकार के अधीन ऐसे विनिर्माता या व्यापारी के रूप में उसके कारबार के अनुक्रम में उसके कब्जे में है, कर का संदाय प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के बजाय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक दरों से किया जाएगा।

**5. कर का संदाय —** (1) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा उसकी पसंद पर, या तो तिमाही, छहमाही या वार्षिक रूप में, यथास्थिति उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के प्रारंभ होने से पन्द्रह दिन के भीतर उसके द्वारा उस तिमाही, छहमाही या वर्ष के लिए, उसके द्वारा अभिप्राप्त किए जाने वाले टोकन पर अग्रिम में किया जाएगा। किसी छहमाही टोकन के लिए कर, तिमाही टोकन के लिए कर के दो गुने से और वार्षिक टोकन के लिए कर तिमाही टोकन के लिए कर के चार गुने से अधिक नहीं होगा:

परन्तु उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए किसी मोटरयान के संबंध में किसी तिमाही के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली किसी कालावधि के लिए जो दो मास से अनधिक है, कालावधि के एक मास से अधिक होने या अधिक न होने के अनुसार, ऐसे तिमाही कर के दो तिहाई या एक तिहाई कर का संदाय किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरों में जब कभी वृद्धि की जाती है और मोटरयान का स्वामी बढ़ी हुई दर पर कर का संदाय करने का दायी हो जाता है तो ऐसा स्वामी कर की रकम का अंतर, उस मोटरयान की बाबत पश्चात्पूर्वी कालावधि के लिए कर के संदाय के समय जमा करेगा:

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।



<sup>1</sup>[Provided also that the tax levied in respect of a stage carriage plying on a route other than a city route or a contract carriage other than a motor cab shall be paid in advance monthly, quarterly, half yearly or annually within ten days from the beginning of the month, quarter, half year or year, as the case may be.]

<sup>2</sup>[Provided also that in respect of goods vehicle, Stage Carriage or a Contract carriage, as the case may be, where the owner pays tax for more than three months in lump-sum, he shall be entitled for a rebate on the tax leviable for the period and at the rate as specified in the FIRST SCHEDULE-A.]

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax levied under the first proviso to sub-section (1) of Section 3 shall be for the life time of the motor vehicle and shall be paid in advance in lump-sum by the owner :

Provided that—

- (i) in case of a motor vehicle specified in the first proviso to sub-section (1) of Section 3 registered in Chhattisgarh, the total amount of tax paid prior to the commencement of this Act shall be deducted from the amount of life time tax specified in the Second Schedule;
- (ii) in case of a motor vehicle specified in first proviso to sub-section (1) of Section 3 registered in any other State and brought into the State of Chhattisgarh, an amount of tax that ought to have been paid under First Schedule had the vehicle been originally registered and used in Chhattisgarh till the date of payment of life time tax, shall be deducted from the amount of life time tax specified in the Second Schedule. The owner of such vehicle shall furnish "No Dues Certificate" issued by the Taxation Authority of that State :

Provided further that the maximum amount deductible under clause (i) or (ii) of the first proviso shall not in any case exceed fifty per cent, of the amount of life time tax specified in the Second Schedule :

Provided also that in case the tax in respect of motor vehicles referred to in the first proviso to sub-section (1) of Section 3 has already been paid prior to the commencement of this Act, the life time tax shall be levied after the expiry of the period for which the tax was so paid and such tax shall be paid within one month from the date of the expiry of the said period.

**6. Bar of imposition of tax by any local authority**—Notwithstanding anything contained in any other enactment for the time being in force no local authority shall, after the commencement of this Act, impose or enhance a tax, toll or licence fee in respect of a motor vehicle and if any local authority has imposed such tax, toll or licence fee since before the first day of April, 1942 and the same is still in force at the commencement of this Act, any person who is liable to pay such tax, toll or licence fee to such authority shall be deemed to have paid it.

**7. Grant to local authorities**—(1) The State Government shall at the close of each financial year make to every cantonment board, municipal committee and

1. Ins. by Madhya Pradesh Act No. 26 of 1991.

2. Ins. by Chhattisgarh Act No. 4 of 2013 (w.e.f. 1-3-2013).

<sup>1</sup>[परन्तु यह भी कि किसी शहर मार्ग से भिन्न किसी मार्ग पर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ी या मोटर केब से भिन्न गाड़ी के संबंध में उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल का संदाय यथास्थिति उस मास तिमाही, छहमाही अथवा वर्ष के प्रारंभ में दस दिन के भीतर अग्रिम में मासिक तिमाही, छहमाही, या वार्षिक रूप में किया जाएगा।]

<sup>2</sup>[परन्तु यह भी कि माल वाहन, प्रक्रम वाहन अथवा संविदा वाहन, यथास्थिति, के संबंध में जहां वाहन मालिक, तीन माह से अधिक के लिए एकमुश्त कर जमा करता है तो उसे उद्ग्रहणीय कर पर ऐसी अवधि के लिए एवं उस दर पर छूट की पात्रता होगी जैसा कि प्रथम अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट है।]

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन उद्ग्रहीत कर मोटरयान के जीवनकाल के लिए होगा और स्वामी द्वारा इसका एक मुश्त अग्रिम में संदाय किया जाएगा :

परन्तु —

(एक) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी मोटरयान के छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रीकृत होने की दशा में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व संदत कर की कुल रकम को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल-कर की रकम में से घटा दिया जाएगा।

(दो) धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे यान की दशा में, जो किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत है और छत्तीसगढ़ राज्य में लाया गया है, कर की वह रकम, जीवन काल कर के संदाय की तारीख तक, प्रथम अनुसूची के अधीन संदत किया जाना होता, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन-काल-कर की रकम में से घटा दी जाएगी ऐसे यान का स्वामी उस राज्य के कराना प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया "कोई बकाया नहीं" (नो ड्यूज) प्रमाण-पत्र देता :

परन्तु यह और भी कि धारा 5 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन घटाई जाने वाली अधिकतम रकम किसी भी दशा में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट जीवन काल कर की रकम के 50% से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि यदि धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट मोटरयान की दशा में कर का संदाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कर दिया गया है तो जीवन-काल-कर का उद्ग्रहण उस कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् किया जाएगा, जिसके लिए इस प्रकार कर का संदाय किया गया था और ऐसे कर का संदाय उक्त कालावधि के अवसान होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा।

**6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन** — तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी मोटरयान की बाबत ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित नहीं करेगा या उसमें वृद्धि नहीं करेगा और यदि स्थानीय प्राधिकरण ने 1 अप्रैल, 1942 के पूर्व से ऐसा कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस अधिरोपित की है और वह इस अधिनियम प्रारंभ होने के समय भी प्रवृत्त है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में, जो ऐसा कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का संदाय ऐसे प्राधिकरण को करने के लिए दायी है, यह समझा जाएगा कि उसने उसका संदाय कर दिया है।

**7. स्थानीय प्राधिकरणों के अनुदान** — (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक छावनी बोर्ड, नगरपालिका समिति तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति को, जो 1 अप्रैल 1942 के पूर्व मोटरयान

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1991 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 4 सन् 2013 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 01-3-2013 से प्रयोज्य)।



notified area committee which was imposing tax, toll or licence fee in respect of motor vehicle, before the 1st day of April, 1942 a grant of the same as was being paid to such board, committee immediately before the commencement of this Act;

Provided that no sum shall be payable to a Cantonment Board unless it agrees not to recover any tax, toll or licence fee in respect of motor vehicles.

(2) Any sum payable under sub-section (1) shall be charged on the Consolidated Fund of the State.

**18. Filing of declaration and determination of tax payable—**(1) Every owner, who is liable to pay the tax under this Act shall file a declaration with the Taxation Authority together with the proof of the payment of the tax which he appears to be liable to pay in respect of such vehicle in such form and within such time as may be prescribed.

(2) When any motor vehicle in respect of which tax has been paid is altered in such a manner as to cause the vehicle to become a motor vehicle in respect of which higher rate of tax is payable, the owner of such vehicle shall file an additional declaration with the Taxation Authority together with the certificate of registration and the proof of the payment of difference of tax which he appears to be liable to pay in respect of such vehicle, in such form and within such time as may be prescribed.

(3) On receipt of the declaration under sub-section (1) or the additional declaration under sub-section (2) as the case may be, the Taxation Authority shall, after making such enquiry as it deems fit and after giving to the owner an opportunity of being heard, determine, by an order in writing, the tax payable by the owner and intimate the same to him in such form and within such time as may be prescribed.

(4) Where the owner fails to file a declaration required under sub-section (1) or (2) the Taxation Authority may, on the basis of information available with it and after giving to the owner an opportunity of being heard, by an order in writing, determine the amount of tax payable by such owner *suo motu* and intimate the same to him in such form and within such time as may be prescribed.

(5) On determination of the tax payable under sub-section (3) or (4) as the case may be, by the Taxation Authority, the difference of the amount of tax payable and the amount of tax paid shall as the case may be, be paid by or refunded to the owner in a manner applicable to the payment or refund of tax under this Act and rules.

(6) Where the owner files a false declaration the taxation authority shall, after giving the owner an opportunity of being heard, by an order in writing, impose a penalty not exceeding twice the amount of tax determined under sub-section (3).

**Explanation.**—"Alteration in a motor vehicle" includes an acquisition, surrender or non-use of or any change in a permit by which the vehicle is covered.]

#### Comments

**Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 S.8.-** Tax on plying of buses- Demand notice- Holding an enquiry giving opportunity of hearing before passing the order determining the tax is mandatory- Demand notice issued without

1. Subs. by Presi. Act No. 10 of 1993, Sec. 8 (w.e.f. 10-10-1992).

के संबंध में कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस का अधिरोपण करती थी, उतनी ही राशि का अनुदान देगी, जितनी राशि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे बोर्ड, समिति को संदाय की जा रही थी :

परन्तु किसी छावनी बोर्ड को कोई राशि तब तक देय नहीं होगी जब तक कि वह छावनी बोर्ड मोटरयानों की बाबत कोई कर, पथकर या अनुज्ञप्ति फीस वसूल नहीं करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय की राशि राज्य की संवित निधि पर भारित होगी।

**18. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण —** (1) प्रत्येक स्वामी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी है, कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ ऐसे कर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(2) जब कोई मोटरयान, जिसकी बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ऐसी रीति में परिवर्तित किया जाता है कि जिससे वह यान एक ऐसा मोटरयान बन जाता है जिस पर कर की उच्चतर दर देय है तो ऐसे यान का स्वामी कराधान प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक अतिरिक्त घोषणा फाइल करेगा जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र होगा और ऐसे कर के अंतर, जिसका कि वह ऐसे यान की बाबत संदाय का दायी प्रतीत होता हो, का संदाय करने का सबूत होगा।

(3) यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन घोषणा या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा ऐसे स्वामी के द्वारा देय कर की अवधारण करेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसे कि विहित किया जाए, सूचना देगा।

(4) जहाँ स्वामी उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर और स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे स्वामी द्वारा देय कर की रकम का स्वप्रेरणा से अवधारण कर सकेगा तथा उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए सूचना दे सकेगा।

(5) यथास्थिति, उपधारा (3) या (4) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा देय कर का अवधारण किए जाने पर यथास्थिति देय कर और संदत् किए गए कर की रकम का अंतर इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन संदाय करने या वापस करने के बारे में लागू रीति के अनुसार स्वामी द्वारा संदाय किया जाएगा अथवा उसे वापस किया जाएगा।

(6) जहाँ स्वामी कोई मिथ्या घोषणा फाइल करता है, वहाँ कराधान प्राधिकारी, स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा जो उपधारा (3) के अधीन अवधारित कर की रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण —** 'मोटरयान में परिवर्तन' में सम्मिलित है, ऐसे किसी अनुज्ञा पत्र, जिसके अंतर्गत यान है, का अर्जन, समर्पण या उपयोग न किया जाना या उसमें कोई परिवर्तन किया जाना।]

#### टिप्पणी

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम (1991) धारा 8— बसों के चलाने पर कर - डिमांड नोटिस- कर निर्धारण आदेश पारित करने के पहले सुनवाई का अवसर देते हुए जांच करना आज्ञापक - ट्रैवलिंग कंपनी को सुनवाई का अवसर दिये बिना डिमांड नोटिस दी गयी - अभिखंडित किये जाने योग्य हैं - कर प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह

1. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993, धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य)।



affording opportunity of hearing to travelling company- Liable to be quashed- Taxation authority directed to initiate fresh process on declaration made by owner earlier, if any or suo moto in accordance with provision of section 8 of the Act, affording proper opportunity of hearing and pass order [Kanker Roadways vs State of Chhattisgarh and other, AIR 2014 (NOC) 35(CHH)]

### 9. Production of certificate of insurance before the taxation authority—

Every owner shall, at the time of filing of declaration under Section 8, produce before the Taxation Authority a valid certificate of insurance in respect of the motor vehicle which complies with the requirements of Chapter XI of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988).

**10. Manner of payment of tax—**Payment of every amount due under this Act, if it exceeds Rupees two hundred and fifty shall be made by production before the Taxation Authority, of a demand draft obtained from any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) to the value for which payment is required or in such other manner as may be prescribed.

**11. General exemption from levy of tax—**(1) No tax shall be leviable on any motor vehicle used or kept for use by a Municipal Corporation, Municipal Council, Notified Area Committee, Cantonment Board or Special Area Development Authority, solely for the purpose of conservancy and fire extinguishing or as ambulance, and any motor vehicle owned by the State Government.

(2) No tax shall be leviable on any motor vehicle used or kept for use solely for the purpose of agriculture.

**Explanation (I)—**For the purpose of sub-section (2) Tractor-Trailer combination belonging to a *bonafide* agriculturist used for transportation of—

- agricultural produce grown on the land cultivated personally; or
- any material required for the purpose of agriculture,

between the land cultivated personally and his place of residence, godown or any market place of such agricultural produce or such material shall be deemed to be used solely for the purposes of agriculture but any other motor vehicle used for transporting agricultural produce shall not be deemed to be used solely for the purposes of agriculture.

**Explanation (II)—**For the purposes of explanation (I) the expressions "*bonafide agriculturist*" "*to cultivate personally*" and "*agriculture*" shall have the meanings assigned to them in Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

**12. Grant of token—**(1) Where a tax in respect of a motor vehicle is paid by any person for a particular period or if no such tax is payable therefor, the Taxation Authority shall:—

- grant to such person a token in such form as may be prescribed to use the motor vehicle in the State during the said period; and
- record in the certificate of registration of motor vehicle that the tax has been paid or that no tax is payable, in respect of the motor vehicle for the said period:

मालिक के द्वारा पहले की गयी घोषणा पर यदि कोई हो, नये शिरे से कार्यवाही करे या अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये, आदेश पारित करे। [कांकर रोडवेज विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य, एआईआर 2014 (एनओसी) 35 (सीएचएच)]

**9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना —** प्रत्येक स्वामी धारा 8 के अधीन घोषणा फाइल करते समय कराधान प्राधिकारी के समक्ष, मोटरवाहन के संबंध में एक विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र पेश करेगा जो मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) के अध्याय 11 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो।

**10. कर के संदाय की रीति —** इस अधिनियम के अधीन शोध्य राशि, यदि वह 250 रुपये से अधिक है, का संदाय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक से अभिप्राप्त उतने मूल्य का मांगदेय ड्राफ्ट, जितने का संदाय अपेक्षित है, कराधान प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसा कि विहित की जाए।

**11. कर के उद्ग्रहण के सामान्य छूट —** कोई भी कर ऐसे मोटरवाहन पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा जिसे किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, या छावनी बोर्ड या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा अनन्यतः सफाई तथा आग-बुझाने के प्रयोजनों के लिए या रोगी वाहन (एम्बुलेंस) के रूप में उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के लिए रखा जाता है और कोई भी कर किसी ऐसे मोटरवाहन पर उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो सरकार के स्वामित्व में हो।

(2) कोई कर किसी भी मोटरवाहन पर, उद्ग्रहणीय नहीं होगा जो अनन्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग के लिए रखा जाता है।

**स्पष्टीकरण —** (1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, वास्तविक कृषक के किसी ऐसे ट्रैक्टर अनुयाय संयोजन के संबंध में जो स्वयं उस वास्तविक कृषक द्वारा खेती की गई भूमि तथा उसके निवास स्थान, गोदाम या ऐसी कृषि उपज या ऐसी सामग्री के किसी मण्डी स्थान के बीच —

(एक) ऐसी कृषि उपज के, जो स्वयं उस वास्तविक कृषक द्वारा खेती की गई भूमि पर उगाई गई हो; या

(दो) किसी ऐसे सामग्री के, जो कृषि के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, परिवहन के लिए उपयोग में लाया गया हो, यह समझा जाएगा कि वह अनन्यतः कृषि के प्रयोजनों के परिवहन के लिए उपयोग में लाया गया हो, यह समझा जाएगा कि वह अनन्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है किन्तु कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग में लाये गये किसी अन्य मोटरवाहन के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अनन्यतः कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है।

**स्पष्टीकरण —** (2) स्पष्टीकरण (1) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'वास्तविक कृषक' 'स्वयं खेती करना' और 'कृषि' के वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिए गए हैं।

**12. टोकन प्रदान करना —** (1) जहाँ किसी मोटरवाहन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट कालावधि के लिए कर का संदाय किया जाता है या यदि उसके लिए ऐसा कोई कर देय नहीं है तो कराधान प्राधिकारी, —

- ऐसे व्यक्ति को, उक्त कालावधि के दौरान राज्य में मोटरवाहन का उपयोग करने के लिए टोकन ऐसे प्ररूप में प्रदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए; और
- मोटरवाहन के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यह अभिलिखित करेगा कि मोटरवाहन के संबंध में उक्त कालावधि के लिए कर का संदाय किया जा चुका है अथवा कोई कर देय नहीं है:



Provided that where a life time tax is payable under this Act, payment of such tax by any person shall be recorded in the certificate of registration and no token shall be granted to such person.

(2) Every token granted under sub-section (1) shall be valid throughout the State.

(3) No motor vehicle shall be used in the State at any time unless a token permitting its use during such time has been obtained and displayed on the vehicle and whoever fails to do so shall be punishable with a fine which may extend to fifty rupees.

**13. Penalty for failure to pay tax—**(1) If the tax due in respect of any motor vehicle has not been paid as specified in Section 5, the owner shall, in addition to the payment of tax due, be liable to a penalty at the rate of <sup>1</sup>[one-twelfth] of <sup>2</sup>[the unpaid amount of tax] for the default of each month or part thereof but <sup>1</sup>[equal to the outstanding and unpaid amount of tax] the unpaid amount of tax to be imposed by the Taxation Authority by order in writing and in such manner as may be prescribed:

Provided that if the life time tax under this Act has not been paid, the owner shall, in addition to payment of tax due, be liable to penalty at the rate of <sup>1</sup>[one-hundredth] of the life time tax for the default of <sup>1</sup>[each month or part thereof] but not exceeding the life time tax payable under the first proviso to sub-section (1) of Section 3:

<sup>3</sup>Provided further that if the payment of penalty of any period is outstanding on 1-11-2000 and defaulter pays it before 1-11-2002, then he shall be given a rebate of 50% in the outstanding amount of penalty.]

(2) If the owner fails to pay any amount of the tax within the time prescribed under sub-section (1) of Section 5, he shall subject to such conditions and exceptions as may be prescribed, be liable to pay interest at such rate as the State Government may from time to time, by notification, specify, on the amount to be paid from the date on which such payment is due till such amount is actually paid.

**14. Refund of tax—**(1) Where—

(i) the tax for any motor vehicle has been paid for any <sup>1</sup>[month, quarter, half year or year] and the motor vehicle has not been used during the whole of that <sup>1</sup>[month, quarter, half year or year] or a continuous part thereof not being less than one month and written intimation of such non-use has been given in the prescribed form to the Taxation Authority in the manner prescribed prior to the commencement of the period of such non-use; or

(ii) the vehicle has been so altered as to entitle the owner to the refund of a portion of tax already paid, a refund of the tax shall be payable at such rates and subject to such condition as may be prescribed:

परन्तु जहाँ इस अधिनियम के अधीन-काल-कर देय है वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के संदाय का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लेख कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को कोई टोकन प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदान किया गया प्रत्येक टोकन संपूर्ण राज्य में विधिमान्य होगा।

(3) कोई मोटरयान राज्य में किसी भी समय तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक कि ऐसी कालावधि के दौरान उसके उपयोग के लिए अनुज्ञा देने का टोकन अभिप्राप्त करके यान पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है और जो कोई ऐसा करने में असफल रहता है जुर्माने से, जो 50 रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति —** (1) यदि किसी मोटरयान के संबंध में शोध्य कर का, धारा 5 में, विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए <sup>1</sup>[कर की असंदत रकम] के <sup>2</sup>[एक-बारहवें] की दर से, किन्तु <sup>2</sup>[कर की बकाया तथा असंदत रकम के बराबर] ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो कराधान प्राधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिरोपित की जाएगी:

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन काल का संदाय नहीं किया है तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, <sup>2</sup>[प्रत्येक मास या उसके भाग] के व्यतिक्रम के लिए जीवन काल कर के एक <sup>2</sup>[एक-शतांश] की दर से, किन्तु धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन देय जीवन काल कर से अनधिक, शास्ति के लिए दायी होगा:

<sup>3</sup>परन्तु यह भी कि यदि 1-11-2000, को किसी अवधि की शास्ति का भुगतान बकाया होने पर और यदि वृत्तिकर्ता 1-11-2002 के पूर्व भुगतान करता है तो उसे शास्ति के बकाया राशि में 50% की छूट दी जाएगी।]

(2) यदि स्वामी कर की किसी रकम का धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो वह ऐसी शर्तों और अपवादों के अध्वधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए उस रकम पर, जिसका कि संदाय किया जाता है, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा संदाय शोध्य हो जाए, ऐसी रकम वस्तुतः संदाय की जाने तक की कालावधि के लिए ब्याज का संदाय ऐसी दर से करने का दायी होगा, जो राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना विनिर्दिष्ट करे।

**14. कर की वापसी —** (1) जहाँ —

(एक) किसी मोटरयान के लिए किसी <sup>1</sup>[मासिक, तिमाही, छःमाही या वर्ष] की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है और उस मोटरयान का, उस संपूर्ण <sup>1</sup>[मासिक, तिमाही, छःमाही या वर्ष] के दौरान या उसके ऐसे निरंतर भाग के दौरान जो एक मास से कम का न हो, उपयोग नहीं किया गया है और ऐसा उपयोग न किए जाने की विहित प्ररूप में सूचना कराधान प्राधिकारी को ऐसा उपयोग न किए जाने की कालावधि के प्रारंभ होने के पूर्व विहित रीति में दी गई हो; या

(दो) यान को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया हो कि जिससे स्वामी उस कर के जिसका कि पहले ही संदाय किया जा चुका है, किसी भाग की वापसी के लिए हकदार हो जाए वहाँ कर की वापसी, ऐसी दरों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए की जाएगी जैसा कि विहित की जाए,

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).  
2. Subs. by Presi. Act No. 10 of 1993 (w.e.f. 10-10-1992); for the words "quarterly tax"  
3. Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

1. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य); शब्द "तिमाही कर" के स्थान पर।  
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।  
3. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



<sup>1</sup>[Provided that if for reasons to be prescribed by the State Government, it has not been possible to operate a public service vehicle covered by a regular permit on the route, the refund of tax may be made for a period less than a month to such extent and on such terms and conditions as may be prescribed.]

(2) Where the life time tax has been paid under the <sup>2</sup>[Second Schedule] in respect of a motor vehicle specified therein, the owner shall be entitled to a refund of the balance amount of life time tax after deducting the amount of tax that would have been payable under First Schedule if he proves to the satisfaction of the Taxation Authority that such motor vehicle has been—

- permanently removed out of the State and it has been brought on the record of the Taxation Authority of any other State; or
- destroyed or rendered permanently incapable of use and its certificate of registration has been cancelled under the Motor Vehicles Act, 1988 and such motor vehicle has not been used in the State; or
- converted or used as a transport vehicle and the owner of such a motor vehicle has become liable to pay tax as applicable to such transport vehicle under sub-section (1) of Section 3.

(3) If the refund entitled under sub-section (2) is not made within one month of making an application for refund alongwith the required proof, the owner shall be entitled to receive interest on the amount of refund at such rate as the State Government may from time to time, by notification, specify.

**15. Recovery of tax, penalty with interest—**(1) Where any owner fails to pay tax under this Act or the penalty or both, the Taxation Authority shall serve on such owner a notice in the form prescribed for the sum payable to the State Government.

(2) Any tax, penalty or interest under this Act may be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(3) The tax shall be the first charge on the vehicle in respect of which it is due as also on its accessories and such motor vehicle and the accessories thereof may be attached and sold for the recovery of tax, penalty or interest under the appropriate law relating to the recovery of land revenue.

**16. Power of entry, seizure and detention of Motor Vehicles in case of non-payment of tax—**(1) The Taxation Authority or any other officer, authorised by the State Government in this behalf, may at all reasonable time enter into and inspect any motor vehicle or premises where he has reason to believe that a motor vehicle is kept for the purpose of verifying whether the provisions of this Act or any rules made thereunder are being complied with :

Provided that no officer shall be authorised under this sub-section with respect to motor cycles and motor cars.

(2) Any person driving a motor vehicle in any public place shall, on being so required by the Taxation Authority or any officer authorised in this behalf by the State Government, produce—

1. Ins. by Madhya Pradesh Act No. 26 of 1991.

2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).

<sup>1</sup>[परन्तु यदि राज्य सरकार विहित किए जाने वाले कारणों से किसी लोक सेवायान को जो नियमित अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आता है, मार्ग पर चलाया जाना संभव नहीं हो तो कर की वापसी एक मास से कम कालावधि के लिए ऐसी सीमा तक और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जा सकेगी जैसा कि विहित किया जाए।]

(2) जहाँ <sup>2</sup>[द्वितीय अनुसूची] के अधीन जीवनकाल कर का संदाय उसमें विनिर्दिष्ट किसी यान के संबंध में किया जा चुका है, वहाँ स्वामी उस जीवनकाल कर की वह रकम जो प्रथम अनुसूची के अधीन देय होती, घटाने के पश्चात् बचने वाली शेष रकम की वापसी का हकदार होगा, यदि वह कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा मोटरयान—

- स्थायी रूप से राज्य के बाहर हटा दिया गया है और उसे किसी अन्य राज्य के कराधान प्राधिकारी के अभिलेख पर ले आया गया है; या
- नष्ट हो चुका है या उपयोग में लाए जाने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दूर रद्द कर दिया गया है और ऐसे मोटरयान का उपयोग राज्य में नहीं किया गया है; या
- परिवहन यान के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है या उसका उपयोग उस रूप में किया गया है और ऐसे मोटरयान का स्वामी उस कर को संदाय करने के लिए दायी हो गया है जो ऐसे परिवहन यान की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन लागू है।

(3) यदि ऐसी वापसी जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन कोई हकदार हो गया है, वापसी के लिए आवेदन अपेक्षित सबूत के साथ किए जाने से एक भाग के भीतर नहीं की जाती है तो स्वामी वापसी के रकम पर ब्याज ऐसी दर से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर, द्वारा अधिसूचना विनिर्दिष्ट करे।

**15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली —** (1) जहाँ कोई स्वामी इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या दोनों का संदाय करने में असफल रहता है, वहाँ कराधान प्राधिकारी, राज्य सरकार को देय राशि के लिए, विहित प्ररूप में एक सूचना की तामील ऐसे स्वामी पर करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई कर, शास्ति या ब्याज उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

(3) कर, उस यान पर, जिसके कि संबंध में वह शोध्य है, साथ ही उसके उपसाधनों पर भी, प्रथम प्रभार होगा और ऐसे मोटरयान और उसके उपसाधनों को भू-राजस्व की वसूली से संबंधित समुचित विधि के अधीन, कर, शास्ति या ब्याज की वसूली के लिए कुर्क किया जा सकेगा तथा बेचा जा सकेगा।

**16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति —** (1) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी मोटरयान में या ऐसे परिसर में, जहाँ कि उसे किसी मोटरयान के रखे होने का विश्वास करने का कारण हो, यह सत्यापित करने के प्रयोजन से कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए कहीं नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिकारी मोटर साइकिलों और मोटरकारों के संबंध में प्राधिकृत नहीं किया जावेगा।

(2) सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाने पर —

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1991 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।



- (a) the certificate of registration;
- (b) the token in evidence of the payment of tax; and
- (c) the certificate of insurance relating to the use of the vehicle and shall keep such vehicle stationary for such time as may be required by such authority or officer to satisfy himself that the tax in respect of such motor vehicle has been paid :

Provided that in the case of a motor vehicle other than a transport vehicle; the certificates so required shall be produced for inspection within such period and in such manner as may be prescribed under sub-section (4) of Section 130 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(3) The Taxation Authority or any officer authorised by the State Government in this behalf may if it/he has reason to believe that a motor vehicle has been or is being used without payment of tax, penalty or interest due, seize and detain such motor vehicle and for this purpose take or cause to be taken any step as may be considered proper for the temporary safe custody of such motor vehicle and for the realisation of tax due.

<sup>1</sup>[(4) Where a motor vehicle has been seized and detained under sub-section (3), the owner or the person in-charge of such vehicle may apply to the Taxation Authority or any officer authorised in this behalf by the State Government together with the relevant documents for the release of the vehicle and if such authority or officer after verification of such documents, is satisfied that no amount of tax is due in respect of that vehicle, may by an order in writing release such vehicle.]

<sup>2</sup>[(5) Where a motor vehicle has been seized and detained under sub-section (3), the Court taking cognizance of the offence shall not release such vehicle.

(6) Subject to the provisions of sub-section (8), where, the taxation authority upon receipt of report about the seizure of the vehicle under sub-section (3) is satisfied that the owner has committed offence under Section 66 read with Section 192-A of the Motor Vehicles Act, 1988 of plying Vehicle without permit and he may by order in writing and for reasons to be recorded confiscate the vehicle seized under said sub-section. A copy of order of confiscation shall be forwarded without any undue delay to the Transport Commissioner.

(7) No order of confiscating any vehicle shall be made under sub-section (6) unless the Taxation Authority :—

- (a) sends an intimation in the form prescribed about initiation of proceedings for confiscation of vehicle to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made;
- (b) issues a notice in writing to the person from whom the vehicle is seized and to the registered owner;
- (c) affords an opportunity to the persons referred to in clause (b) of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation; and

1. Ins. by Presi. Act No. 10 of 1993 (w.e.f. 10-10-1992).

2. Ins. by Madhya Pradesh Act No. 27 of 1999 (w.e.f. 15-2-2000).

- (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;
- (ख) कर का संदाय के साक्ष्य में टोकन; और
- (ग) यान के उपयोग के संबंध में बीमा प्रमाण पत्र; प्रस्तुत करेगा और उस यान को इतने समय के लिए खड़ा रखेगा जितना कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वयं का यह समाधान करने के लिए अपेक्षित किया जाए कि ऐसे मोटरयान के संबंध में कर का संदाय कर दिया गया है :

परन्तु परिवहन यानों से भिन्न किसी भी यान के संबंध में इस प्रकार अपेक्षित किए गए प्रमाण पत्रों के निरीक्षण के लिए ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 की उपधारा (4) के अधीन विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी मोटरयान का उपयोग, शोध्य कर, शास्ति या ब्याज का संदाय किए बिना, किया गया है, या किया जा रहा है तो वह ऐसे मोटरयान को अधिग्रहीत कर सकेगा तथा उसे निरुद्ध कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा जो ऐसे मोटरयान की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और शोध्य कर की वसूली के लिए उचित समझी जावे।

<sup>1</sup>[(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी मोटरयान को अधिग्रहीत तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे यान का स्वामी या भार साधक व्यक्ति कराधान प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों के साथ यान को निरुद्ध करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी का ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उस यान की वावत कर की कोई रकम शोध्य नहीं है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान को निरुद्ध कर सकेगा।]

<sup>2</sup>[(5) जहाँ किसी मोटरयान की उपधारा (3) के अधीन अधिग्रहीत तथा निरुद्ध कर लिया गया हो, वहाँ अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय ऐसे यान को निरुद्ध नहीं करेगा।

(6) उपधारा (8) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जहाँ कराधान प्राधिकारी का उपधारा (3) के अधीन यान के अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि स्वामी ने मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192-क के सहपठित धारा 66 के अधीन अनुज्ञा पत्र के बिना यान चलाने का अपराध किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उक्त उपधारा के अधीन अधिग्रहीत यान का अधिहरण कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति बिना किसी असम्यक् विलंब के परिवहन आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन यान के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कराधान प्राधिकारी, —

- (क) उस अपराध जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को यान के अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के बारे में विहित प्रारूप में सूचना न भेजे;
- (ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कि यान अधिग्रहीत किया गया है, तथा रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, लिखित सूचना जारी न कर दे;
- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान न कर दे; और

1. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य)।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 15-2-2000 से प्रयोज्य)।



- (d) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purpose.

(8) No order of confiscation, under sub-section (6), of any vehicle shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (7) proves to the satisfaction of the Taxation Authority that such vehicle was used under valid documents required under the Act.]

#### Comments

M.P. Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, section 16(3)- Code of Criminal Procedure, 1973, section 451 and 457- Appellants bus seized by officer-in-charge, Traffic for offence under section 16(3) of the Adhiniyam as well as for offences under Motor Vehicles Act and the Rules- said officer was not notified by the State Government under its Notification dated 9-1-1992 to seize Vehicles for any violation of the Adhiniyam and as such was not competent to seize the vehicle for the offence under section 16(3) of the Adhiniyam-Held-seizuer of the Bus under section 16(3) of the Adhiniyam was bad in law and was quashed. [Padmesh Gautam vs State of M.P. and others, 2013(3) M.P.H.T. 54(D.B.)]

M.P. Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 sections, 16(6), (7), (8), 20-A, 20-B and Motor Vehicles Act, 1988 section 66, 192-A— There is clear conflict between the two enactments- Provision of section 16(6) of 1991 Act and the consequential provisions are repugnant to section 66 read with section 192-A of Motor Vehicle Act, 1988 and hence invalid as the State Law has not complied with the requirements under Article 254(2) of the constitution obtaining assent of the president to the State Law [M.P. permit owners Assn. vs State of M.P., 2004(2) M.P.L.J. (SC) 210]

<sup>1</sup>[16-A. Power to Produce Transport Vehicle before the Taxation Authority— Owner of a transport vehicle on being so required by the Taxation Authority or any officer authorized in this behalf by the State Government, shall produce the vehicle for the physical verification of seats, seating layout, sleeper berth, installation of operational Air-condition unit, floor space and weight or ascertaining class of public service vehicle i.e. ordinary, express, tourist vehicle, sleeper coach, semi-sleeper coach and goods vehicle or any basic information necessary for assessment and calculation of tax.]

<sup>2</sup>[17. Offences, penalties and Competent Court—(1) An owner of a motor vehicle if—

- submits or allows to be submitted an incorrect or incomplete declaration or additional declaration under Section 8 or fails to submit a declaration or additional declaration as required under above Section; or
- submits or allows to be submitted an incorrect or incomplete returns under express conditions of a permit of motor vehicle or fails to submit a return as required under the conditions of permit; or

1. Ins. by Chhattisgarh Act No. 4 of 2013 (w.e.f. 1-3-2013).

2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

- (घ) अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की जिनको कि खण्ड (ख) के अधीन सूचना जारी की गई है, ऐसी तारीख को, जो इस प्रयोजन के लिए नियत की जाए, सुनवाई न कर दे।

(8) उपधारा (6) के अधीन किसी यान के अधिग्रहण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि उपधारा (7) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा यान अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमाम्य दस्तावेजों के अधीन उपयोग में लाया गया था।]

#### टिप्पणी

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991, धारा 16(3)- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 451 और 457- अपीलार्थी की बस ट्रैफिक प्रभारी द्वारा कराधान अधिनियम की धारा 16(3) तथा मोटरयान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के उल्लंघन अपराध में जप्त की गयी- उक्त अधिकारी 9-1-1992 को जारी राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा कराधान अधिनियम के उल्लंघन में वाहन जप्त करने हेतु अधिसूचित नहीं था- इस तरह कराधान अधिनियम की धारा 16(3) के तहत वह वाहन जप्त करने हेतु सक्षम नहीं था- अभिनिर्यातित- कराधान अधिनियम की धारा 16(3) के तहत की गयी वाहन जप्ती कानून का दुरुपयोग अतः अभिखंडित की जाती है।

[पद्मेश गौतम विरुद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य, 2013(3) एम.पी. एच.टी. 54(डी.बी.)]

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991, धारा 16(6), (7), (8), 20-क, 20-ख तथा मोटरयान अधिनियम, 1988, धारा 66, 192-क— दोनों अधिनियमों के बीच स्पष्ट विरोध है— कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16(6) के प्रावधान तथा उसके परिणामिक प्रावधान से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 सहपठित धारा 192-क के प्रावधानों से विरुद्ध है और इसलिए अवैध है क्योंकि राज्य का कानून संविधान के अनुच्छेद 254(2) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है जिसके तहत राज्य विधि को राष्ट्रपति की सहमति हासिल करनी होती है। [एम.पी. परमिट ओनर्स. विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2004(2) एम.पी.एल.जे. (एस.सी.) 210]

<sup>1</sup>[16-क. कराधान प्राधिकारी के समक्ष परिवहन यान को प्रस्तुत करने की शक्ति— कराधान प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जाने पर परिवहन यान का स्वामी सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत की वातानुकूलित इकाई का प्रतिष्ठापन, फर्श क्षेत्र एवं भार के भौतिक सत्यापन हेतु या लोक सेवायान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, पर्यटक यान, शयन यान, अर्द्ध-शयन यान एवं माल यान सुनिश्चित करने अथवा कोई भी आधारभूत जानकारी जो कर के निर्धारण एवं गणना के लिए आवश्यक हो, के लिए वाहन को प्रस्तुत करेगा।]

<sup>2</sup>[17. अपराध, शास्तियाँ और सक्षम न्यायालय — (1) मोटरयान का स्वामी यदि,—

- धारा 8 के अधीन गलत या अपूर्ण घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है; या
- मोटरयान के परमिट की अभिव्यक्त शर्तों के अधीन गलत या अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या परमिट द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 1-3-2013 से प्रयोज्य)।

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



- (c) fraudulently or intentionally or otherwise contravenes the provisions of non-use or vehicle mentioned in sub-section (1) of Section 14 or rules made thereunder; or
- (d) wilfully acts in contravention of any of the provisions of this Act or any rules made thereunder or any lawful orders passed in accordance therewith, shall be punishable with fine, which may extend to five thousand Rupees and for any second or subsequent offence with fine which shall not be less than five thousand Rupees and may extend up to ten thousand Rupees.

(2) The amount of any tax under Section 3 and penalty under Section 13 shall be recoverable as if it were a fine.

(3) Offence punishable under this Act shall be enquired into or tried by the Court of Magistrate First Class.]

<sup>1</sup>[17-A. Composition of offences—(1) The Taxation Authority may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under Section 17, compound such offences by way of composition thereof at the rate as State Government may by notification specify in this behalf.

(2) On payment by the defaulter such sum as may be determined by the Taxation Authority under sub-section (1), no further action shall be taken against him and if any proceedings in respect of such unlawful act has already been instituted against him in any Court such payment shall have the effect of the exoneration or discharge.]

**18. Officers to be public servants**—All officers acting under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

**19. Bar of suit or other proceedings**—No suit or other proceedings shall lie in a Civil Court in regard to any matter for which provision is made in this Act or the rules made thereunder and no prosecution, suit or other proceedings shall lie against any public servant for anything done or intended to be done in good faith under this Act or any rule made thereunder.

**20. Appeal**—Any person —

- (a) aggrieved by an order made for levy of tax or for penalty imposed under Section 13; or
- (b) aggrieved by the seizure of motor vehicle made under Section 16; or
- (c) aggrieved by any order passed under this Act, may;

Within the prescribed time and in the prescribed manner appeal to the prescribed authority, who shall, after giving such person and the Taxation Authority an opportunity of being heard, dispose of the said appeal and the decision thereon shall be final:

Provided that no appeal shall be entertained unless the amount of tax and penalty levied, in respect of which the appeal has been preferred has been paid.

1. Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उल्लिखित वाहन अनुपयोगी के उपबंधों का कपटपूर्ण या सत्याशय या अन्यथा उल्लंघन करता है; या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अनुसार पारित विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन में जानबूझकर कार्य करता है, ऐसे जुर्माने से जो 5,000.00 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और किसी द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो 5,000.00 रुपये से कम नहीं होगा और 10,000.00 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) धारा 3 के अधीन कोई कर और धारा 13 के अधीन शास्ति जुर्माने के तौर पर वसूली योग्य होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध की जांच तथा विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जाएगा।]

<sup>1</sup>[17-क. अपराधों का प्रशमन — (1) कराधान प्राधिकारी द्वारा धारा 17 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए या तो प्रक्रिया संस्थित करने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध का ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संयोजन द्वारा शमन कर सकेगा।

(2) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित राशि का व्यतिक्रमी द्वारा संदाय करने पर उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि ऐसे अविधिपूर्ण कार्य के संबंध में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पूर्व में संस्थित की गई है तो उसे ऐसे संदाय से माफी दी जाएगी या उन्मुक्त हो जाएगी।]

**18. अधिकारी लोक सेवक होंगे** — इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले समस्त अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 की सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

**19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन** — किसी भी ऐसे विषय के बाबत जिसके लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंध किया गया है, कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियाँ किसी सिविल न्यायालय में नहीं होंगी और किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।

**20. अपील** — कोई व्यक्ति —

(क) जो कर के उद्ग्रहण अथवा धारा 13 के अधीन अधिरोपित शास्ति के लिए किए गए किसी आदेश से व्यथित है; या

(ख) धारा 16 के अधीन किए गए मोटरयान के अभिग्रहण से व्यथित है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है;

विहित समय के भीतर और विहित रीति में, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और ऐसे कराधान प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उक्त अपील का निपटारा करेगा और उस पर किया गया विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उद्ग्रहीत कर और अधिरोपित शास्ति की रकम का, जिसके संबंध में वह अपील प्रस्तुत की गई है, संदाय न कर दिया गया हो।

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



## Comments

**Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, Section-20-** Petition challenging seizure of vehicle as well as order passed by Taxation officer imposing liability of payment of tax—Remedy of filing appeal under Section 20 of Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 available to petitioner—Petition dismissed. [Rajendra Singh Chhabra vs State of M.P., 2003(3) M.P.L.J. 426]

**[20-A. Appeal against order of Confiscation—]** (1) Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the order or if fact of such order has not been communicated to him, within thirty days of the date of knowledge of such order; prefer an appeal in writing accompanied by such fee and payable in such form as may be prescribed, and by certified copy of order of confiscation to the Appellate Authority.

**Explanation—**The time requisite for obtaining certified copy of order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in the sub-section.

(2) The Appellate Authority shall send intimation in writing of lodging of appeal to the Taxation Authority.

(3) The Appellate Authority may pass such order of interim nature for custody, or disposal if necessary of the confiscated vehicle as may appear to be just in the circumstances of the case.

(4) On the date fixed for hearing of the appeal or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person, or through a legal practitioner and shall thereafter proceed to pass as order of confirmation, reversal or modification of the order of confiscation.

(5) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.

(6) Copy of final order or of order of consequential nature, shall be sent to the Taxation Authority for compliance.

**20-B. Revision before Court of Session against order of Appellate Authority—** (1) If the owner of a vehicle aggrieved by final order or by order of consequential nature passed by the Appellate Authority in respect of confiscated vehicle, he may within thirty days of the order sought to be impugned, submit a petition for revision to the Court of Session only on a point of law within the Session division where the headquarters of the Appellate Authority are situated.

**Explanation—**In computing the period of thirty days under this sub-section, the time requisite for obtaining certified copy of order of Appellate Authority shall be excluded.

(2) The Court of Session may confirm, reverse or modify any final order or an order of consequential nature passed by the Appellate Authority.

(3) Copies of the order passed in revision shall be sent to the Appellate Authority and to the Taxation Authority for compliance or for taking such further action as may be directed by such Court.

1. Sections 20-A to 20-C Ins. by Madhya Pradesh Act No. 27 of 1999 (w.e.f. 15-2-2000).

## टिप्पणी

**मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 धारा 20—** कर अधिकारी द्वारा कर आरोपित करने तथा वाहन जन्दी आदेश के खिलाफ याचिका—याचिकाकर्ता को मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के धारा 20 के तहत अपील दायर करने का उपचार प्राप्त है—याचिका निरस्त की गयी। [राजेन्द्र सिंह छावड़ा विरुद्ध म.प्र. राज्य, 2003(3) एम.पी.एल.जे. 426]

**[20-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील—]** (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर या यदि ऐसे आदेश का तथ्य उसे संसूचित नहीं किया गया हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में देव ऐसी फीस जैसी कि विहित की जाए तथा अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लिखित में अपील कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण—** इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की गणना करते समय अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपील दाखिल किए जाने की प्रज्ञापना लिखित रूप में कराधान प्राधिकारी को भेजेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो तो अधिहरित यान की अभिरक्षा या उसके व्ययन के लिए अंतरिम प्रकृति का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में इसे न्याय संगत प्रतीत हो।

(4) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख को या ऐसी तारीख को, जिसको कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को, यदि वे स्वयं या उनके विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित हों, सुनेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टिकरण, उल्टाव या उपांतरण का आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(6) अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए कराधान प्राधिकारी को भेजी जाएगी।

**20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण—**

(1) अधिहरित यान के संबंध में अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के आदेश के द्वारा यदि यान का स्वामी व्यक्ति व्यथित है तो वह आदेश के, जिसे आक्षेपित किया जाना चाहा गया है, तीस दिन के भीतर विधि के प्रश्न पर उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है।

**स्पष्टीकरण—** इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की गणना करने में अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश या पारिणामिक स्वरूप के किसी आदेश की सेशन न्यायालय पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रतियां अपील प्राधिकारी को तथा कराधान प्राधिकारी को अनुपालन के लिए अथवा ऐसी और कार्यवाही करने के लिए, जैसी कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाएँ, भेजी जाएँगी।

1. धाराएँ 20-क से 20-ग मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 15-2-2000 से प्रयोज्य)।



(4) For entertaining, hearing and deciding a revision under this Section, the Court of Session shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as prescribed for hearing and deciding a revision under the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

**20-C. Bar to jurisdiction of Court etc. under certain circumstances—** Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any law for the time being in force but subject to the provisions of sub-section (3) of Section 20-A, no Court, Tribunal or Authority (other than the Taxation Authority) shall have jurisdiction to make order with regard to possession, delivery or disposal of vehicle regarding which proceedings for confiscation are initiated under sub-section (6) of Section 16.]

**21. Power of State Government to exempt from tax—**(1) The State Government may, by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein exempt in whole or in part any motor vehicles or class of motor vehicles from the payment of tax from such date as may be specified in the notification.

(2) Any notification issued under this Section may be rescinded at any time and on such rescission the notification shall cease to be in force. A notification rescinding an earlier notification shall have prospective effect.

(3) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly and the provisions of Section 24-A of the Chhattisgarh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958) shall apply thereto as they apply to a rule.

**22. Maintenance of demand and recovery register of tax—**Each Taxation Authority shall maintain such registers and records as may be prescribed.

**23. Power to amend the Schedule—**(1) The State Government may, by notification, amend the rates of tax specified in the Schedules and thereupon the said Schedules shall stand amended accordingly :

Provided that the rate of tax shall not be increased by more than fifty per cent of the rate specified in the said Schedules :

Provided further that no notification shall be issued under this sub-section without giving in the Gazette such previous notice as the State Government may consider reasonable of its intention to issue such notification.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid on the table of the Legislative Assembly and the provisions of Section 24-A of the Chhattisgarh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958) shall apply thereto as they apply to a rule.

**24. Power to make rules—**(1) The Government may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters namely —

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय, यथाशक्य, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन पुनरीक्षण की सुनवाई करने तथा विनिश्चय करने के लिए विहित है।

**20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन —** इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 20-क की उपधारा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए (कराधान प्राधिकारी से भिन्न), किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को किसी ऐसे यान के कब्जे, परिदान या व्ययन के बारे में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके कि संबंध में धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिहरण किए जाने की कार्यवाही शुरू हो गई है।

**21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति —** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, किन्हीं मोटरयानों या मोटरयानों के किसी वर्ग को, कर के संदाय से पूर्णतः या भागतः छूट ऐसी तारीख से दे सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई कोई भी अधिसूचना किसी भी समय विखण्डित की जा सकेगी और ऐसे विखण्डन पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रह जाएगी। किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना को विखण्डित करने वाली किसी अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और छत्तीसगढ़ साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क के उपबंध उसे उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार कि वे किसी नियम को लागू होते हैं।

**22. कर की माँग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना —** प्रत्येक कराधान प्राधिकारी ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा जो विहित किए जाएँ।

**23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति —** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट कर की दरों को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित हो जाएँगी :

परन्तु कर की दर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के अपने आशय की ऐसी पूर्व सूचना दिए बिना, जैसा कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, जारी नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और छत्तीसगढ़ साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी नियम को लागू होते हैं।

**24. नियम बनाने की शक्ति —** (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् —



- <sup>1</sup>[(a) the form of declaration and the time within which declaration shall be filed under sub-section (1) or (2) of Section 8 and the form in which and the time within which the intimation of determination of tax shall be given under sub-section (3) or (4) of Section 8;]
- (b) the manner in which the payment of tax shall be made under Section 10;
- (c) the form of token which shall be granted under clause (a) of sub-section (1) of Section 12;
- (d) the authority by which and the manner in which penalty shall be imposed under sub-section (1) of Section 13;
- (e) the conditions and exceptions subject to which the interest shall be paid under sub-section (1) of Section 13;
- (f) the form and manner in which, the rates at which the conditions subject to which the refund shall be made under sub-section (1) and the rate of interest payable under sub-section (3) of Section 14;
- (g) the form in which the notice shall be served under sub-section (1) of Section 15;
- <sup>2</sup>[(g-i) the form of intimation to the Magistrate under clause (a) of sub-section (7) of Section 16;]
- (h) the time within which, the manner in which and the authority to which appeal may be preferred under Section 20
- (i) the manner in which the register shall be maintained under Section 22;
- (j) any other matter which is to be or may be prescribed.

**25. Power to remove difficulties**—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made, be laid on the table of the Legislative Assembly.

**26. Repeal and Savings**—(1) The Madhya Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1947 (No. VI of 1947) and the Madhya Pradesh Motor Vehicles (Taxation of Goods) Act, 1962 (No. 19 of 1962) (hereinafter in this section referred to as the repealed enactments) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the Acts specified in sub-section (1) any notification, rule, order, notice, certificate or token issued, or any appointment or declaration made or exemption granted or any forfeiture, cancellation or any other thing done, or any other action taken under the repealed enactments, in force immediately before such commencement shall, as far as it is not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to have been issued, made, granted, done or taken under the corresponding provisions of this Act.

1. Subs. by Presi. Act No. 10 of 1993 (w.e.f. 10-10-1992). For "(a) the form of declaration and the time within which the declaration may be filed under section 8:"
2. Ins. by Madhya Pradesh Act No. 27 of 1999 (w.e.f. 15-2-2000).

- <sup>1</sup>[(क) धारा 8 की उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा का प्ररूप तथा वह समय जिसके भीतर घोषणा फाइल की जाएगी तथा धारा 8 की उपधारा (3) या (4) के अधीन वह प्ररूप जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कर के अवधारण की सूचना दी जाएगी;]
- (ख) वह रीति जिसमें धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया जाएगा;
- (ग) उस टोकन का प्ररूप जो धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदान किया जाएगा;
- (घ) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा और वह रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जाएगी;
- (ङ) वे शर्तें और अपवाद जिनके अधीन रहते हुए धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय किया जाएगा;
- (च) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें वे दें, जिन पर और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन वापसी की जाएगी तथा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन देय ब्याज की दर;
- (छ) वह प्ररूप जिसमें धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की जाएगी;
- <sup>2</sup>[(छ-एक) धारा 16 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन मजिस्ट्रेट की प्रज्ञापना का प्ररूप;]
- (ज) वह समय जिसके भीतर, वह रीति जिसमें और वह प्राधिकारी जिसको धारा 20 के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकेगी;
- (झ) वह रीति जिसमें धारा 22 के अधीन रजिस्टर रखा जाएगा;
- (ञ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाए।

**25. कठिनाईयों दूर करने की शक्ति** — (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

**26. निरसन और व्यावृत्तियाँ** — (1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1947 (क्रमांक 6 सन् 1947) और मध्यप्रदेश मोटरयान (माल कराधान) अधिनियम, 1962 (क्रमांक 19 सन् 1962) (जो इस धारा में इसके पश्चात् निरसित अधिनियमितियों के नाम से निर्दिष्ट हैं) एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन के होते हुए भी उन निरसित अधिनियमितियों के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, नियम, आदेश, सूचना जारी किया गया प्रमाण-पत्र या टोकन, या की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या प्रदान की गई कोई छूट या किया गया कोई समपहरण, रद्दकरण या की गई कोई अन्य बात या की गई कोई अन्य कार्यवाही जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। इस अधिनियम के तत्स्थानी, उपबंधों के अधीन जारी किए गए, की गई, प्रदान किए गए या की गई समझी जाएगी।

1. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 द्वारा "घोषणा का प्रारूप और समय जिसके अन्दर धारा 8 के अधीन घोषणा फाइल की जा सकेगी" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य)।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 15-2-2000 से प्रयोज्य)।



# **FIRST SCHEDULE** [See Section 3(1)]

Class of Motor Vehicle	Rate of Quarterly tax for Motor Vehicles
(1)	(2)
<b>I. MOTOR CYCLE :</b>	Rs.
The unladen weight of which —	
(a) does not exceed 70 kilograms	18.00
(b) exceeds 70 kilograms whether used for drawing a trailer or not	28.00
<b>II. MOTORCAR :</b>	
The unladen weight of which —	
(a) does not exceed 800 kgs.	64.00
(b) exceeds 800 kgs. but does not exceed 1600 kgs.	94.00
(c) exceeds 1600 kgs. but does not exceed 2400 kgs.	112.00
(d) exceeds 2400 kgs. but does not exceed 3200 kgs.	132.00
(e) exceeds 3200 kgs.	150.00
Tax for each trailer the unladen weight of which —	
(a) does not exceed 1000 kgs.	28.00
(b) exceeds 1000 kgs.	66.00
<b>III. INVALID CARRIAGE :</b>	9.00
<b>IV. PUBLIC SERVICE VEHICLE :</b>	
Motor vehicle plying for hire or reward and used for transport of passengers —	
<sup>1</sup> (a) Vehicle permitted to carry not more than three passengers (motorcycle/auto-rickshaw/3-wheeler /4-wheeler)	Rs. 50.00 per seat per quarter.
(b) Vehicle permitted to carry more than three but not more than six passengers (3-wheeler/4-wheeler) —	
(i) covered with All India Tourist Permit	Rs. 200.00 per seat per quarter.
(ii) covered with a Permit other than mentioned in (i) above	Rs. 150.00 per seat per quarter.
(c) Vehicle permitted to carry more than six passengers & plying as stage carriage contract carriage on city routes or adjacent areas as notified by the state government time to time —	

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

## **प्रथम अनुसूची** [देखें धारा 3(1)]

मोटरवाहन का वर्ग	मोटरवाहनों के लिए तिमाही कर की दर
(1)	(2)
<b>एक. मोटर साइकिल —</b>	
जिसका लदान रहित वजन —	
(क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	18.00
(ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिसका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं।	28.00
<b>दो. मोटरकार —</b>	
जिसका लदान रहित वजन —	
(क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है	64.00
(ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है	94.00
(ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है	112.00
(घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है	132.00
(ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है	150.00
प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर-जिसका लदान रहित वजन —	
(क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है	28.00
(ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है	66.00
<b>तीन. अशक्त यात्री गाड़ी —</b>	9.00
<b>चार. लोक सेवा यान —</b>	
किराए या पारिवारिक (रिवाइड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान —	
<sup>1</sup> (क) तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/आटोरिक्शा/तिपहिया/चारपहिया)	रु. 50.00 प्रति सीट प्रति तिमाही
(ख) तीन से अधिक किन्तु छः से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (तिपहिया/चारपहिया)	
(एक) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से आच्छादित	रु. 200.00 प्रति सीट प्रति तिमाही
(दो) ऊपर (एक) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न परमिट से आच्छादित	रु. 150.00 प्रति सीट प्रति तिमाही
(ग) छः यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने तथा शहर मार्गों पर/पार्श्वस्थ क्षेत्रों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरिज)/ठेका गाड़ी (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान —	

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



- (i) in respect of vehicles permitted to ply as express service Rs. 125.00 per Seat per quarter.
- (ii) in respect of vehicles permitted to ply as ordinary service Rs. 100.00 per seat per quarter.]

<sup>1</sup>[(d) vehicles permitted to carry more than six passengers plying as stage carriage on routes other than city routes—

<sup>2</sup>[(1) In respect of vehicles permitted to ply as Ordinary service or Deluxe service or Air conditioned service for plying for total passengers which the vehicle is permitted to carry and the total distance permitted to be covered on the routes other than Inter-State route by the service in a day—

(A) In respect of Ordinary service—

(a) Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity—	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 2,300.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 3,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 3,300.00

(b) Running above 200 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity—	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 3,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 4,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 5,000.00

(c) Running more than 350 Kms. in a day with seating capacity—	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 4,500.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,500.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,500.00

(d) Running up to 300 Kms. in a day with seating capacity—	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 5,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 6,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 7,000.00

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).

2. Subs. by Notification No. F 5-6/VIII-Tr/2013 date 7-9-2013 (w.e.f. 7-9-2013)

- (एक) एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यान के बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है। रु. 125.00 प्रति सीट प्रति तिमाही
- (दो) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यान, की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है। रु. 100.00 प्रति सीट प्रति तिमाही]

<sup>1</sup>[(घ) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं,

नगर मार्गों से भिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहन के रूप में चलाए जा रहे हों—

<sup>2</sup>[(1) साधारण सेवा या डीलक्स सेवा अथवा वातानुकूलित सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों के संबंध में ऐसे कुल यात्रियों के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक में अन्तराज्यीय मार्ग से भिन्न मार्गों पर सेवा द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(अ) साधारण सेवा के संबंध में —

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 2,300.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 3,300.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 3,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 4,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 5,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,500.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,500.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,500.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 5,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 7,000.00

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013, दिनांक 7-9-2013 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 7-9-2013 से प्रयोज्य)।



(e) Running above 300 Kms. but not more than 400 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 6,500.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 7,500.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 8,500.00
(f) Running above 400 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 10,500.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 12,000.00
(g) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 10,000.00
(h) Running above 350 Kms. but not more than 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 13,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 15,000.00
(i) Running above 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 14,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 16,000.00
(j) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 11,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 12,500.00
(k) Running above 350 Kms. and upto 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 18,000.00

(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. से अधिक किंतु 400 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 7,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 8,500.00
(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 400 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 10,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00
(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 10,000.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 450 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 13,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 15,000.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 14,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 16,000.00
(ञ) जो एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित हो रही है, जिसकी बैठक क्षमता—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 11,000.00
(दो) 56 से 60 सीट के मध्य	रु. 12,500.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 450 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 18,000.00



(l) Running above 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 17,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 19,000.00

[Note: For the purpose of entries (j), (k) and (l) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly taxes for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

(B) In respect of Deluxe service-

(a) Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 4,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,000.00

(b) Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) upto 15 seats	Rs. 6,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 7,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 8,000.00

(c) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 10,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 11,000.00

(d) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 15,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 17,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 19,000.00

1. Added by Notification No. F-5-10/viii- Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015 Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015).

(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 56 से 60 सीट के मध्य	रु. 19,000.00

[टीप: बिन्दु (ज), (ट) एवं (ड) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी।]

(ब) डीलक्स सेवा के संबंध में—

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,000.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 6,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 7,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 8,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 10,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 11,000.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 15,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 17,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 19,000.00

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।



(e) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 20,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 22,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 24,000.00
(f) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 18,000.00
(g) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 25,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 27,000.00
(h) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 27,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 29,000.00
(i) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 20,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 22,000.00
(j) Running above 350 Kms. and up to 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 32,000.00
(k) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 32,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 34,000.00

(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 22,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 24,000.00
(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 18,000.00
(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 25,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 27,000.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 27,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 29,000.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 22,000.00
(ञ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 32,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 34,000.00



[Note: For the purpose of entries (i), (j) and (k) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

(C) In respect of Air-Conditioned service-

(a) Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 5,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 6,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 7,000.00

(b) Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) upto 15 seats	Rs. 7,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 8,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 9,000.00

(c) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 10,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 11,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 12,000.00

(d) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 18,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 20,000.00

(e) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 18,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 20,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 22,000.00

1. Added by Notification No. F-5-10/viii- Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015 Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015).

[टिप: बिन्दु (झ), (ज) एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी।]

(स) वातानुकूलित सेवा के संबंध में

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 5,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 7,000.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 7,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 8,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 9,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 10,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 11,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 18,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 20,000.00

(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 18,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 20,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 22,000.00

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।



(f) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 17,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 19,000.00
(g) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 26,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 28,000.00
(h) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 28,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 30,000.00
(i) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 22,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 24,000.00
(j) Running above 350 Kms. and up to 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 32,000.00
(k) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 34,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 36,000.00

<sup>1</sup>[Note: For the purpose of entries (i), (j) and (k) the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

1. Added by Notification No. F-5-10/viii- Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015 Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015)

(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 19,000.00
(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 26,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 28,000.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 28,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 30,000.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 22,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 24,000.00
(ञ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 34,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 36,000.00

<sup>1</sup> टीप: बिन्दु (झ), (ञ) एवं (ट) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।



- (2) In respect of vehicles permitted to ply as Ordinary service or Deluxe service or Air conditioned service plying on Inter-State route and permit granted in the State of Chhattisgarh by the Competent Authority for total passengers which the vehicle is permitted to carry and the total distance permitted to be covered by the service in a day-

(A) In respect of Ordinary service-

(a) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 1,200.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 1,600.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 2,000.00
(b) Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 2,300.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 3,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 3,300.00
(c) Running above 200 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 3,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 4,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 5,000.00
(d) Running more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 4,500.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,500.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,500.00
(e) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 2,500.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 3,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 3,500.00

- (2) अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलने वाली साधारण सेवा या डीलक्स सेवा अथवा वातानुकूलित सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों और छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा के संबंध में, ऐसे कुल यात्रियों के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में सेवा द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(अ) साधारण सेवा के संबंध में —

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 1,200.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 1,600.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 2,000.00
(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 2,300.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 3,300.00
(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 3,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 4,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 5,000.00
(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,500.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,500.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,500.00
(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 2,500.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 3,500.00



(f) Running above 100 Kms. but not more than 300 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 5,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 6,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 7,000.00
(g) Running above 300 Kms. but not more than 400 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 6,500.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 7,500.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 8,500.00
(h) Running above 400 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 10,500.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 12,000.00
(i) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 3,600.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 4,000.00
(j) Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 10,000.00
(k) Running above 350 Kms. but not more than 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 13,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 15,000.00

(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 300 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 5,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 7,000.00
(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. से अधिक किंतु 400 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 7,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 8,500.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 400 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 10,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 3,600.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 4,000.00
(ञ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 10,000.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 450 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 13,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 15,000.00



(l) Running above 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 14,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 16,000.00
(m) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 4,500.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 5,000.00
(n) Running above 100 Kms. and up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 11,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 12,500.00
(o) Running above 350 Kms. and up to 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 18,000.00
(p) Running above 450 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 17,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 19,000.00

<sup>1</sup>[Note: For the purpose of entries (m), (n), (o) and (p), the vehicles with seating capacity of more than 60, the monthly tax, for each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

(B) In respect of Deluxe service-

(a) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 2,000.00

1. Added by Notification No. F-5-10/viii-Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015 Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015)

(ठ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 14,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 16,000.00

(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 4,500.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 5,000.00

(ढ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 11,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 12,500.00

(ण) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 450 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 18,000.00

(त) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 19,000.00

<sup>1</sup> टीप: बिन्दु (ड), (ढ), (ण) एवं (त) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी।

(ब) डीलक्स सेवा के संबंध में —

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 2,000.00

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।

(ii) between 16 to 20	Rs. 2,500.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 3,000.00
(b) Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) upto 15 seats	Rs. 4,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,000.00
(c) Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) upto 15 seats	Rs. 6,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 7,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 8,000.00
(d) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 4,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 4,500.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 5,500.00
(e) Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 10,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 11,000.00
(f) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 15,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 17,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 19,000.00

(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 2,500.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 3,000.00
(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,000.00
(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 6,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 7,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 8,000.00
(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 4,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 4,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 5,500.00
(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 10,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 11,000.00
(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 15,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 17,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 19,000.00



(g) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 20,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 22,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 24,000.00
(h) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 6,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 6,500.00
(i) Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 18,000.00
(j) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 25,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 27,000.00
(k) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 27,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 29,000.00
(l) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 7,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 8,000.00
(m) Running above 100 Kms. and up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 20,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 22,000.00

(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 22,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 24,000.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 6,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 6,500.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 18,000.00
(ञ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 25,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 27,000.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 27,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 29,000.00
(ठ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 7,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 8,000.00
(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 22,000.00

(n) Running above 350 Kms. and up to 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 32,000.00
(o) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 32,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 34,000.00

<sup>1</sup>[Note : For the purpose of entries (l), (m), (n) and (o), the Vehicles with seating capacity of in one than 60, the Monthly tax, each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

(C) In respect of Air-Conditioned service-

(a) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 2,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 27,00.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 35,00.00
(b) Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 5,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 6,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 7,000.00
(c) Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between up to 15 seats	Rs. 7,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 8,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 9,000.00

1. Added by Notification No. F-5-10/viii-Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015, Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015)

(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 30,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 32,000.00
(ण) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 32,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 34,000.00

<sup>1</sup>[ टीप: बिन्दु (ठ), (ड), (ड) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी। ]

(स) वातानुकूलित सेवा के संबंध में —

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	₹. 2,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	₹. 2,700.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	₹. 3,500.00
(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	₹. 5,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	₹. 6,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	₹. 7,000.00
(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	₹. 7,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	₹. 8,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	₹. 9,000.00

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।



(d) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 4,200.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 5,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 6,000.00
(e) Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 10,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 11,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 12,000.00
(f) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 18,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 20,000.00
(g) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 18,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 20,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 22,000.00
(h) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 6,500.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 7,000.00
(i) Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 17,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 19,000.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 4,200.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 6,000.00
(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 10,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 11,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00
(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 18,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 20,000.00
(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 18,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 20,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 22,000.00
(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 7,000.00
(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किंतु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 19,000.00

(j) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 26,000.00
(ii) between 45 to 50	Rs. 28,000.00
(k) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 28,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 30,000.00
(l) Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 7,500.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 9,000.00
(m) Running above 100 Kms. and up to 350 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 22,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 24,000.00
(n) Running above 350 Kms. and upto 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 32,000.00
(o) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity-	The Rate of Monthly Tax
(i) between 51 to 55 seats	Rs. 34,000.00
(ii) between 56 to 60	Rs. 36,000.00

[Note : For the purpose of entries (l), (m), (n) and (o), the Vehicles with seating capacity of more than 60, the Monthly tax, each seat exceeding 60, shall be calculated proportionately on the monthly rate of tax for existing 60 seats.]

1. Added by Notification No. F-5-10/viii-Trans/2015, dated 7<sup>th</sup> August, 2015; Published Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan), dated 7-8-2015 Pages 850 (2-4). (w.e.f. 10-8-2015)

(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किंतु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	₹. 26,000.00
(दो) 45 से 50 के मध्य	₹. 28,000.00
(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	₹. 28,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	₹. 30,000.00
(ठ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 7,500.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 9,000.00
(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 22,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 24,000.00
(ढ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 30,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 32,000.00
(ण) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित—	मासिक कर की दर
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	₹. 34,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	₹. 36,000.00

[ टीप: विन्दु (ठ), (ड), (ढ) एवं (ण) के प्रयोजन हेतु 60 से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों पर, 60 से अधिक प्रत्येक सीट हेतु मासिक कर की गणना, विद्यमान 60 सीट हेतु कर की मासिक दर के आनुपातिक होगी ]

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-8-2015, पृष्ठ 849-850 पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।



(3) in respect of vehicles of other State permitted to ply as air-conditioned/deluxe or express service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned—

- |   |   |
|---|---|
| (i) under a reciprocal agreement—                     |   |
| (a) for air-conditioned/deluxe service.               | Rs. 20.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.                                    |
| (b) for express service.                              | Rs. 15.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.                                    |
| (ii) without a reciprocal agreement—                  |   |
| <sup>1</sup> [(a) for air-conditioned/deluxe service. | Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 20.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.  |
| (b) for express service.                              | Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 15.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.] |

(4) in respect of vehicle of other State permitted to ply as ordinary service for every passenger which the vehicle is permitted to carry and where the permit is countersigned—

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (i) under a reciprocal agreement    | Rs. 10.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.                                    |
| (ii) without a reciprocal agreement | Rs. 40.00 per seat per month plus Rs. 10.00 for each 10 kms. or part thereof per seat per month.] |

<sup>2</sup>[(e) Vehicle permitted to carry more than six passenger and kept as—

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| (1) Reserve Stage Carriage—   |                                |
| (i) for Ordinary Bus  | Rs. 100-00 per seat per month  |
| (ii) for Deluxe Bus   | Rs. 140-00 per seat per month  |
| (iii) for Air-Conditioned   | Rs. 180-00 per seat per month  |
| (2) Omni bus (used) as Transport vehicle/passenger Transport vehicle— |                                |
| (i) for Ordinary Bus  | Rs. 100-00 per seat per month  |
| (ii) for Deluxe Bus   | Rs. 140-00 per seat per month  |
| (iii) for Air-Conditioned   | Rs. 180-00 per seat per month] |

1. Sub. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).

2. Sub. by Notification No. F 5-6/VIII - Tr/2013, dated 7-9-2013. (w.e.f. 7-9-2013).

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र—

- (एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन प्रति हस्ताक्षरित किया गया है —  
(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए

प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु. 20.00 प्रति सीट प्रतिमास  
प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रति सीट प्रतिमास

- (ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

- (दो) पारस्परिक करार के बिना प्रति हस्ताक्षरित किया गया है —  
<sup>1</sup>[(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए

रुपए 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 20 प्रति सीट प्रति मास  
रुपए 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 15 प्रति सीट प्रति मास]

- (ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र—

- (एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन प्रति हस्ताक्षरित किया गया है प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रति सीट प्रतिमास

- (दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है रुपए 40 प्रति सीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपए 10 प्रति सीट प्रति मास]

<sup>2</sup>[(ड) ऐसा यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, और जो—

- (1) आरक्षित प्रक्रम यान के रूप में रखे गये हैं—

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (एक) साधारण बस से लिए       | रु. 100.00 प्रति सीट, प्रतिमाह |
| (दो) डीलक्स बस से लिए       | रु. 140.00 प्रति सीट, प्रतिमाह |
| (तीन) वातानुकूलित बस से लिए | रु. 180.00 प्रति सीट, प्रतिमाह |

- (2) ओमनी बस परिवहन यान के रूप में (प्रयुक्त)/यात्री परिवहन यान के रूप में रखे गये हैं :-

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (एक) साधारण बस से लिए       | रु. 100.00 प्रति सीट, प्रतिमाह  |
| (दो) डीलक्स बस से लिए       | रु. 140.00 प्रति सीट, प्रतिमाह  |
| (तीन) वातानुकूलित बस से लिए | रु. 180.00 प्रति सीट, प्रतिमाह] |

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013, दिनांक 7-9-2013 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 7-9-2013 से प्रयोज्य)।

## (f) Contract carriage—

<sup>1</sup>[(1) Vehicle permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage covered by all India tourist permit issued by Chhattisgarh State under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry—

## (a) Tourist vehicle other than Maxi cab—

- (i) having seating arrangements under sub-rule (10) of Rule 128 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, with—
- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (a) seating layout two and two | Rs. 800.00 per seat per month.  |
| (b) seating layout two and one | Rs. 950.00 per seat per month.  |
| (c) seating layout one and one | Rs. 1250.00 per seat per month. |

- (ii) for air-conditioned tourist bus (with any permitted seating layout) Rs. 950.00 per seat per month.

- (b) Tourist vehicle Maxi cab— Rs. 125.00 per seat per month.]

<sup>2</sup>[(2) vehicle permitted to carry more than six passengers and plying within the State as Contract Carriage for each seat (excluding the driver) which the vehicle is permitted to carry—

- (i) for maxicab vehicle having seating capacity exceeding 6 and upto 12 (excluding driver)— <sup>3</sup>[Rs. 300.00 per seat per quarter.]
- (ii) for vehicle having more than 12 seats (excluding driver)—
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| (a) for ordinary bus                    | Rs. 500.00 per seat per month.  |
| (b) for Air Conditioned Bus/Deluxe Bus. | Rs. 600.00 per seat per month.] |

<sup>4</sup>[(3) Vehicle permitted to carry more than six passengers & plying as contract carriage covered by All India Tourist Permit issued by other state under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 for each seat (excluding driver) which the vehicle is permitted to carry—

- (a) In respect of tourist vehicle Rs. 900.00 per seat per month.
- (b) In respect of tourist vehicle plying on casual basis other than regular basis and remains in the state not more than six days in a month Rs. 120.00 per seat per three days.]

1. Sub. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).
2. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 23 of 1998.
3. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 15 of 2000.
4. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

## (च) ठेका गाड़ी —

<sup>1</sup>[(1) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किए गए “ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट” के अंतर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

## (क) मेक्सि कैब से भिन्न टूरिस्ट यान —

(एक) केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के उपनियम (10) के अधीन निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए —

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| (क) दो या दो सीट व्यवस्था  | रु. 800.00 प्रति सीट प्रति मास  |
| (ख) दो तथा एक सीट व्यवस्था | रु. 950.00 प्रति सीट प्रति मास  |
| (ग) एक तथा एक सीट व्यवस्था | रु. 1250.00 प्रति सीट प्रति मास |

(दो) वातानुकूलित टूरिस्ट बस (किसी भी अनुज्ञात बैठक व्यवस्था के लिए) रु. 950.00 प्रति सीट प्रति मास

(ख) मेक्सि कैब टूरिस्ट यान रुपए 125 प्रति सीट प्रति मास]

<sup>2</sup>[(2) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और राज्य के भीतर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(एक) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठने की क्षमता <sup>3</sup>[रुपए 300.00 प्रति सीट प्रति तिमाही]

(दो) 12 से अधिक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता के यान के लिए —

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (क) साधारण बस के लिए             | रु. 500.00 प्रति सीट प्रति मास  |
| (ख) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए | रु. 600.00 प्रति सीट प्रति मास] |

<sup>4</sup>[(3) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं। (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

(क) नियमित आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में रु. 900.00 प्रति सीट प्रति माह

(ख) आकस्मिक आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में, जो नियमित आधार से भिन्न हो तथा एक माह में छः दिवस से अनधिक तीन दिवस राज्य में संचालित हो रु. 120.00 प्रति सीट प्रति

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



(4) Vehicle permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage on special permit granted under sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the other State for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry—

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (i) upto 7 days—                        | Rs. 150.00 per seat. |
| (a) for ordinary bus                    | Rs. 200.00 per seat. |
| (b) for air conditioned/deluxe bus      |                      |
| (ii) exceeding 7 days and upto 30 days— | Rs. 400.00 per seat. |
| (a) for ordinary bus                    | Rs. 600.00 per seat. |
| (b) for air conditioned/deluxe bus      |                      |

(5) Vehicles permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage on special permit granted under sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by Chhattisgarh State, for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry.

<sup>2</sup>[(6) Vehicles permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage on temporary permit granted under clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 for each seat (other than the driver) which the vehicle is permitted to carry.

<sup>3</sup>[(7) Vehicles permitted to carry more than six passengers and plying as contract carriage on a temporary permit granted under clause (a) of sub-section (1) of Section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the other State for each seat (excluding driver) which the vehicle is permitted to carry —

1. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 15 of 2000.
2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).
3. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 23 of 1998.

Rs. 150.00 per seat.  
Rs. 200.00 per seat.  
Rs. 400.00 per seat.  
Rs. 600.00 per seat.  
[50 paise] for ordinary bus and [one rupee] for deluxe/air conditioned bus per seat per 10 kms. or part thereof for the entire distance to be covered in accordance with the conditions of the permit, in addition to tax paid under clause (c), (d), (e) or (f) (2), as the case may be.  
50 paise for ordinary bus and one rupee for deluxe/air conditioned bus per seat per 10 kms. or part thereof for the entire distance to be covered in accordance with the conditions of the permit, in addition to tax paid under clause (c), (d), (e) or (f) (2) as the case may be.]

(4) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है—

(एक) 7 दिन के लिए —

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (क) साधारण बस के लिए                      | रु. 150.00 प्रति सीट |
| (ख) वातानुकूलित बस/डीलक्स बस के लिए       | रु. 200.00 प्रति सीट |
| (दो) 7 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक के लिए — |                      |
| (क) साधारण बस के लिए                      | रु. 400.00 प्रति सीट |
| (ख) वातानुकूलित बस/डीलक्स बस के लिए       | रु. 600.00 प्रति सीट |

(5) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है।

<sup>2</sup>[(6) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है।

<sup>3</sup>[(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है —

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

1[(i) for ordinary bus	Rs. 14.00 per seat per day.
(ii) for Air Conditioned/Deluxe bus	Rs. 20.00 per seat per day.]]
<sup>2</sup> [(g) Motor vehicles plying without permit/authorisation :—	
1. Vehicle other than Tourist Vehicle or Deluxe bus—	
(a) Vehicle permitted to carry exceeding 3 but not exceeding 6 passengers (excluding driver).	Rs. 125/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
(b) Vehicle permitted to carry exceeding 6 but not exceeding 12 passengers (excluding driver).	Rs. 250/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
(c) Vehicle permitted to carry exceeding 12 but not exceeding 29 passengers (excluding driver).	Rs. 600/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
(d) Vehicle permitted to carry exceeding 29 passengers (excluding driver).	Rs. 1000/- per seat per month in accordance with entire registered seating capacity.
2. Tourist Vehicle/Deluxe bus—	
(a) Tourist vehicle motor cab	Rs. 150/- per seat per month
(b) Tourist vehicle maxi cab	Rs. 300/- per seat per month
(c) Tourist vehicle/Deluxe bus other than motor cab and maxi cab having :—	
(i) seating layout two and two	Rs. 1600/- per seat per month.
(ii) seating layout two and one or air-conditioned bus of any layout	Rs. 1900/- per seat per month.
(iii) seating layout one and one	Rs. 2500/- per seat per month.]
<sup>3</sup> [(g-1) Vehicle permitted to operate as sleeper coach/semi-sleeper coach, the rate of tax on such vehicle shall be as under—	
(i) Deluxe sleeper coach/ Deluxe semi-sleeper coach.	tax shall be charged, which is fixed for Deluxe services/ Express services in the respective category, as the case may be, in clause (d), (e), (f) and (g) above.

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).
2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).
3. Ins. by Chhattisgarh Act No. 4 of 2013 (w.e.f. 1-3-2013).

<sup>1</sup> [(एक) साधारण बस के लिए	रु. 14.00 प्रति सीट प्रति दिन
(दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	रु. 20.00 प्रति सीट प्रति दिन]]
<sup>2</sup> [(छ) बिना अनुज्ञापत्र/प्राधिकार के चलाए जा रहे मोटरयान —	
1. टूरिस्ट यान या डीलक्स बस से भिन्न यान —	
(क) 3 से अधिक किन्तु 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 125 प्रति सीट प्रति मास
(ख) 6 से अधिक किन्तु 12 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 125 प्रति सीट प्रति मास
(ग) 12 से अधिक किन्तु 29 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 600 प्रति सीट प्रति मास
(घ) 29 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपए 1000 प्रति सीट प्रति मास
2. टूरिस्ट यान/डीलक्स बस —	
(क) टूरिस्ट यान मोटर केब	रुपए 150 प्रति सीट प्रति मास
(ख) टूरिस्ट यान मेक्सी केब	रुपए 300 प्रति सीट प्रति मास
(ग) मोटर केब एवं मेक्सी केब से भिन्न पर्यटक यान/डीलक्स बस —	
(i) दो तथा दो सीट व्यवस्था	रुपए 1600 प्रति सीट प्रति मास
(ii) दो तथा एक सीट व्यवस्था या वातानुकूलित बस किसी भी व्यवस्था की	रुपए 1900 प्रति सीट प्रति मास
(iii) एक तथा एक सीट व्यवस्था	रुपए 2500 प्रति सीट प्रति मास]
<sup>3</sup> [(छ-1) शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के रूप में संचालन के लिए अनुज्ञात वाहन हेतु, ऐसे वाहन पर कर की दर निम्नानुसार होगी—	
(एक) डीलक्स शयनयान/डीलक्स अर्द्ध-शयनयान	कर ऐसी दरों पर प्रभावि होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ङ), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में डीलक्स सेवा/एक्सप्रेस सेवा के लिए निर्धारित है।

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-5-2001 से प्रयोज्य)।
3. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 1-3-2013 से प्रयोज्य)।



- (ii) Sleeper coach/ semi sleeper coach, other than the coach mentioned in (i) above

tax shall be charged, which is fixed for ordinary services in the respective category, as the case may be, in clause (d), (e), (f) and (g) above.

(h) Un-authorize installation of seats and/or berths in a public service vehicle other than motor-cab or maxi-cab for carrying passengers for hire or reward.

- (a) Public service vehicle with unauthorized seats.

Rs. 3,000 (Rs. Three thousand) per unauthorized seat per month.

- (b) Public service vehicle with unauthorized berths.

Rs. 6,000 (Rs. six thousand) per unauthorized berth per month.

Provided that where a public service vehicle is found with unauthorized seats or/and unauthorized berth (s), the tax shall be calculated on each such occasion for the period from the date of issue of current certificate of fitness :

Provided further that where the owner of a public service vehicle is penalized twice for the offence under clause (h), on committing such offence for third time, the vehicle shall be detained by the Taxation Authority/Prescribed Authority concerned and kept in safe custody at a nearest police Station/ Police Line or Transport Checkpost and the Taxation Authority or Prescribed Authority shall forward such care within twenty four hours to the Registering Authority for the suspension of Registration Certificate under section 53 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), for appropriate action.]

**Explanation (1)**—The number of Passengers which a vehicle is permitted to carry shall not include the driver and conductor of such vehicle and shall—

- (i) in the case of a motor vehicle in respect of which a permit is granted under the Motor Vehicles Act, 1988 be the number of passengers which the motor vehicle is authorised by the permit, and
- (ii) in the case of a motor vehicle plying for hire or reward without permit granted under the Motor Vehicles Act, 1988 be the maximum number of persons or passengers which the motor vehicle may be permitted to carry, if a permit was granted under the aforesaid Act :

Provided that in the case of a motor cab or motor-car misused as a stage carriage be the number of persons or passengers actually carried at the time of such misuse.

<sup>1</sup>[Explanation (2) (a).- For the purpose of item c (i), 'an express service' shall mean a service which is permitted to ply by the Transport Authority.

1. Subs. by Notification No. F 5-6/VIII-Tr./2013, dated 7-9-2013.

- (दो) ऊपर (एक) में उल्लिखित यान से भिन्न शयनयान/ अर्द्ध-शयनयान

कर ऐसी दरों पर प्रभारित होगा जो कि ऊपर खण्ड (घ), (ङ), (च) एवं (छ), यथास्थिति, के संबंधित संवर्ग में साधारण सेवा के लिए निर्धारित है।

(ज) मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब से भिन्न लोक सेवा यान में किराये अथवा पारितोषण पर यात्रियों को ले जाने के लिए सीट एवं/अथवा शयन का अनधिकृत प्रतिष्ठापन-

- (क) लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत सीट हो।

रु. 3,000 (रुपये तीन हजार) प्रति अनधिकृत सीट प्रति माह।

- (ख) लोक सेवा यान जिसमें अनधिकृत शयन हो।

रु. 6,000 (रुपये छः हजार) प्रति अनधिकृत शयन प्रति माह

परन्तु जहाँ अनधिकृत सीट अथवा/और अनधिकृत शयन के साथ कोई लोक सेवा यान पाया जाता है, तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर, कर की गणना उस अवधि से की जाएगी जो चालू उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के जारी होने के दिनांक से संगणित हो :

परन्तु यह और कि खण्ड (ज) के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान का स्वामी, दो बार अपराध के लिए दण्डित होता है और तीसरी बार ऐसा अपराध करता है, तो संबंधित करधान प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा वाहन को निरुद्ध किया जाएगा और किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस लाइन अथवा परिवहन, चेक-पोस्ट पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा एवं करधान प्राधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी चौबीस घंटे के भीतर ऐसा प्रकरण पंजीयन प्राधिकारी को मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 53 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र को निलम्बित करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा।]

**स्पष्टीकरण (1)** — यान में, ले जाने के लिए अनुज्ञात यात्रियों की संख्या जिसमें ऐसे यान के चालक तथा परिचालक सम्मिलित नहीं होंगे, और —

- (एक) किसी मोटरयान की दशा में, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञा पत्र मंजूर किया गया है, यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी की मोटरयान में ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत है।

- (दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र के बिना किराए या पारिश्रमिक पर चलाए जा रहे किसी मोटरयान की दशा में, व्यक्तियों अथवा यात्रियों की अधिकतम वह संख्या होगी जो यदि अनुज्ञापत्र पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मंजूर किया जाता तो यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात की जाती :

परन्तु किसी ऐसी मोटर कैब या मोटरकार की दशा में, जिसका कि मंजिली गाड़ी के रूप में दुरुपयोग किया गया है, यात्रियों की संख्या वही होगी जो ऐसे दुरुपयोग में समय वस्तुतः ले जाए गए व्यक्तियों या यात्रियों की संख्या है।

<sup>1</sup>[स्पष्टीकरण (2) (क) - मद (ग) (एक) के प्रयोजन के लिए, 'एक्सप्रेस सेवा' से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जो परिवहन प्राधिकारी द्वारा चलाये जाने के लिए अनुज्ञात की गई है।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013, दिनांक 7-9-2013 द्वारा प्रतिस्थापित।



- (b) For the purpose of sub-item (d)(1) and (2) rate of tax are based on "Ordinary service", "Deluxe service" and "Air-conditioned service". "Ordinary service" includes "Express service" "Sleeper-coach" or "Semi-sleeper coach" and "Deluxe service" includes "Deluxe-Express service", "Deluxe sleeper coach" and "Deluxe semi-sleeper coach".
- (c) Rate of monthly tax under sub-item (d)(1) and (2) is based on total running distance under a permit per day and total number of passengers which a vehicle is permitted to carry. Where the vehicle is fitted with berths, the calculation of number of seats shall be arrived at as per Explanation (9) and calculation of tax shall be done accordingly and proper tax slab shall be identified therefor.]

**Explanation (3)**—The distance permitted to be covered by a vehicle in a day in respect of which a permit is granted under the Motor Vehicles Act, 1988 be the distance authorised to be covered <sup>1</sup>[according to the permit in Chhattisgarh].

**Explanation (4)**—Where in pursuance of any agreement between the government of Chhattisgarh and the Government of any State, tax in respect of any stage carriage, plying on a route partly in the State of Chhattisgarh and partly in other State is payable to the Government of Chhattisgarh only, the tax in respect of such a vehicle shall be calculated on the total distance covered by the stage carriage on such route in the state of Chhattisgarh.

**Explanation (5)**—Where a conductor is exempted to be carried in a stage carrier for the words "driver and conductor" occurring in explanation (1), shall be construed as driver only.

<sup>2</sup>[**Explanation (6)**—For the purpose of clause (e), the number of reserved stage carriages/spare buses of a holder of service of stage carriages permit shall be the difference between the total number of vehicles owned and the total number of vehicles required as per the conditions of permit held by him.

**Explanation (7)**—The words "plying without permit" in clause (g) shall include plying of a public service vehicle on an authorised route or making a trip not authorised by a permit granted under Motor Vehicles Act, 1988 but shall not include the plying of a public service vehicle under circumstances laid down in <sup>3</sup>[\* \* \*] sub-section (3) of Section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988.

**Explanation (8)**—The tax leviable under clause (g) shall be paid —

- Whether the owner of such motor vehicle is prosecuted or not, and
- Whether the criminal proceeding have been concluded or not, where a challan for plying the motor vehicle without permit or on an unauthorised route or for making an unauthorised trip <sup>4</sup>[for an unauthorised installation of seats and/or berth in a Public Service vehicle is filed.]

1. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 26 of 1991.

2. Ins. by Madhya Pradesh Act No. 26 of 1991.

3. Words "Clause (m) of" omitted by Presi. Act No. 10 of 1993 (w.e.f. 10-10-1992).

4. Ins. by Notification No. F 5-6/VIII-Tr/2013 (w.e.f. 7-9-2013).

- (ख) उप-मद (घ) (एक) एवं (दो) के प्रयोजन के लिए कर की दर "साधारण सेवा" "डीलक्स सेवा" और "वातानुकूलित सेवा" पर आधारित है। "साधारण सेवा" में "एक्सप्रेस सेवा" "शयनयान" अथवा "अर्द्ध-शयनयान" सम्मिलित है, और "डीलक्स सेवा" में "डीलक्स-एक्सप्रेस सेवा", "डीलक्स शयनयान" एवं "डीलक्स अर्द्ध-शयनयान" सम्मिलित है।
- (ग) उप-मद (घ) (एक) एवं (दो) के अंतर्गत मासिक कर की दर अनुज्ञापत्र के अंतर्गत एक दिन में परिचालित होने वाली कुल दूरी तथा कुल यात्रियों की संख्या जो ले जाने के लिए वाहन अनुज्ञात है, पर आधारित है। जहां वाहन में शयन लगे हुए हैं, सीटों की संख्या की गणना, स्पष्टीकरण (9) के अनुसार की जाएगी, और तदनुसार कर की गणना की जाएगी और उसके लिए समुचित कर की दर (टैक्स स्लेब) चिन्हित की जाएगी।

**स्पष्टीकरण (3)** — किसी यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी किसी ऐसे मोटरयान की दशा में, जिसके कि संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, वह दूरी होगी जो <sup>1</sup>[छत्तीसगढ़ में अनुज्ञापत्र के अनुसार] तय की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है।

**स्पष्टीकरण (4)** — जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार और किसी अन्य राज्य की सरकार के बीच के किसी करार के अनुसरण में, किसी ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में, जो किसी ऐसे मार्ग पर चलाई जा रही है जो भागतः छत्तीसगढ़ में और भागतः किसी अन्य राज्य में आता है, कर केवल छत्तीसगढ़ सरकार को ही देय है वहाँ ऐसे यान के संबंध में कर की संगणना, ऐसी मंजिली गाड़ी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे मार्ग पर तय की गई कुल दूरी पर की जाएगी।

**स्पष्टीकरण (5)** — जहाँ किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक को ले जाने से छूट दी गई वहाँ स्पष्टीकरण (1) में आने वाले शब्द "चालक तथा परिचालक" का अर्थ केवल "चालक" लगाया जाएगा।

<sup>2</sup>[**स्पष्टीकरण (6)** — खण्ड (ड) के प्रयोजन के लिए, मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र धारक की आरक्षित मंजिली गाड़ियों/अतिरिक्त बसों की संख्या उस अंतर के बराबर होगी, जो स्वामित्व के कुल यानों की संख्या तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अपेक्षित कुल यानों की संख्या के बीच हो।

**स्पष्टीकरण (7)** — खण्ड (छ) में के शब्द "बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे" के अंतर्गत आता है किसी अप्राधिकृत मार्ग पर किसी लोक सेवायान का चलाया जाना या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र द्वारा लोक सेवायान का चलाया जाना या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत न की गई कोई ट्रिप करना, किन्तु उसके अंतर्गत किसी लोक सेवा यान का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) <sup>3</sup>[\* \* \*] में अधिकथित परिस्थितियों के अधीन चलाया जाना नहीं आता है।

**स्पष्टीकरण (8)** — खण्ड (छ) के अधीन उद्ग्रहणीय कर का संदाय निम्नलिखित बातों के होते हुए भी किया जाएगा —

(एक) चाहे मोटरयान के स्वामी का अभियोजन किया गया हो या नहीं, और

(दो) जहाँ मोटरयान बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाने या अप्राधिकृत मार्ग पर चलाए जाने या उसके द्वारा अप्राधिकृत ट्रिप किए जाने <sup>4</sup>[या लोक सेवायान में सीट और/या शयन का अनधिकृत प्रतिष्ठान किए जाने के लिए चालान फाइल किए जाने के पश्चात् चाहे दाण्डिक कार्यवाहियाँ समाप्त हो गई हों या नहीं हुई हों]।

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 26 सन् 1991 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 द्वारा शब्दों "खण्ड (ड)" शब्द विलोपित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य)।

4. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि/2013, दिनांक 7-9-2013 द्वारा अन्तःस्थापित। (दिनांक 7-9-2013 से प्रयोज्य)।



<sup>1</sup>[Explanation (9)—Seat in respect of a public service vehicle means a seat according to the specifications permitted for the classification of such registered vehicle and each berth permitted in such vehicle shall be regarded equal to two seats for the calculation of tax under this Schedule.

**Explanation (10)**—For the purpose of calculation of tax of any public service vehicle under this Act, the physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, installation of operational Air-condition unit or ascertaining class of public service vehicle i.e. Ordinary, Express, Tourist Vehicle, Sleeper Coach, Semi-Sleeper Coach and Goods Vehicle or any vital information necessary for calculation of tax, shall be done by the Taxation Authority under this Act and under Motor Vehicle Act, 1988 and shall be entered in the office record, certificate of registration, tax certificate and token and it shall be verified from time to time by the Taxation Authority or officers authorized by the State Government in this behalf under Section 16 of this Act.]

#### V. GOODS CARRIAGE—

<sup>2</sup>(a) Goods Carriages, whose gross vehicle weight is above 3,500 Kgs. For each 500 Kgs of the gross weight or part thereof.] <sup>3</sup>[Rs.100/-Per Quarter.]

- (b) In respect of goods carriages covered by the National Permit granted under sub-section (12) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the other State the Tax shall be <sup>4</sup>[Rs. 5000] per vehicle per year.
- (c) In respect of goods carriages belonging to other States, plying on the strength of permit issued by the other State and countersigned by the State of Chhattisgarh the tax shall be paid at the rate of <sup>5</sup>[85%], specified in sub-clause (a) of clause V.
- (d) In respect of goods carriage of other State plying in the State of Chhattisgarh under temporary permit for a period not exceeding one month the rate of tax shall be 1/3 of the tax payable for a quarter as specified in sub-clause (a) of clause V.

#### <sup>6</sup>[VI. OMNI BUS <sup>7</sup>[FOR PRIVATE USE]—

For every seat of the motor vehicle with seating capacity of more than six (excluding driver) and used for transport of passengers, the registered seating capacity of which is—

1. Subs. by Chhattisgarh Act No. 4 of 2013 (w.e.f. 1-3-2013).
2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 26 of 2010 (w.e.f. 10-11-2010).
3. Subs. by Notification Act No. F-5-10/VIII-Tran. 2015 dated 7<sup>th</sup> August 2015; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 7-8-2015 Page 849-850 (1) (w.e.f. 10-8-2015).
4. Subs. by Notification date 30-9-1992 (w.e.f. 1-10-1992).
5. Subs. by Presi. Act No. 10 of 1993, for "1/2 of the rate" (w.e.f. 10-10-1992).
6. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 11 of 1997.
7. Added by Madhya Pradesh Act No. 23 of 1998.

<sup>1</sup>[स्पष्टीकरण (9) — लोक सेवायान के संबंध में सीट से अभिप्राय ऐसी एक सीट जो ऐसे पंजीकृत वाहन के वर्गीकरण के अनुज्ञात व्यौरों के अनुसार है और ऐसे वाहन में प्रत्येक अनुज्ञात शायिका को दो सीट के बराबर इस अनुसूची के अंतर्गत कर की गणना के लिए माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण (10)** — इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सेवा यान के कर की गणना के उद्देश्य से सीटों, सीट व्यवस्था, शयन, चालू हालत को वातानुकूलित इकाई के प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन अथवा लोक सेवा यान की श्रेणी जैसे साधारण, एक्सप्रेस, पर्यटक यान, शयनयान, अर्द्ध-शयनयान एवं मालयान या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कर की गणना करने के लिए आवश्यक हो, का निर्धारण, इस अधिनियम के अंतर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसे कार्यालयीन अभिलेख, पंजीयन प्रमाण-पत्र, कर प्रमाण-पत्र एवं कर टोकन में इन्द्राज किया जाएगा और इसे कराधान प्राधिकारी अथवा इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा।]

पांच. मालयान —

<sup>2</sup>[(क) ऐसे मालयान जिसका सकल यान भार, 3,500 कि. ग्राम <sup>3</sup>[रुपए 100/- प्रति तिमाही]

से अधिक है सकल यान भार के प्रत्येक 500 किलो ग्राम या उसके भाग के लिये।]

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन किसी अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए नेशनल परमिट के अंतर्गत आने वाले मालयानों के संबंध में कर रुपए <sup>4</sup>[5,000] प्रति यान प्रतिवर्ष होगा।

(ग) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में जो अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधिकार पर चल रहे हैं, कर का संदाय, खण्ड पांच के उपखण्ड (क) में तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट कर के <sup>5</sup>[85%] की दर से किया जाएगा।

(घ) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे हैं, कर की दर, खण्ड पांच के उपखण्ड (क) में तथा विनिर्दिष्ट तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

<sup>6</sup>[छह. ओमनी बस <sup>7</sup>[निजी उपयोग के लिए] —

छह से अधिक व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) के बैठने की क्षमता वाले और व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मोटरयान की प्रत्येक सीट के लिए —

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-3-2013 से प्रयोज्य)।
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2010 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 10-11-2010 से प्रयोज्य)।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2015, दिनांक 7 अगस्त 2015 द्वारा प्रतिस्थापित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 7-8-2015 पृष्ठ 849-850 (1) पर प्रकाशित (दिनांक 10-8-2015 से प्रभावी)।
4. अधिसूचना दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-1992 से प्रयोज्य)।
5. प्रेसिडेन्सियल एक्ट क्रमांक 10 सन् 1993 द्वारा "दर का 1/2" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 10-10-1992 से प्रयोज्य)।
6. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1998 द्वारा जोड़ा गया।



(a) upto 12 (excluding driver)

(b) more than 12 seats (excluding driver)

Rs. 100.00 per seat per quarter.  
Rs. 350.00 per seat per quarter.]**VII. PRIVATE SERVICE VEHICLES —**

Private service vehicle with a seating capacity of more than six persons excluding the driver and ordinarily used by or on behalf of the owner of such vehicle for the purpose of carrying persons for or in connection with his trade or business otherwise than for hire or reward —

<sup>2</sup>(i) Where the vehicle is registered in the name of owner.

Rs. 450/- per seat per quarter.]

(ii) Where the vehicle is acquired by the owner on hire under a lease agreement.

Rs. 600/- per seat per quarter.]

**VIII. EDUCATIONAL INSTITUTION BUS —**

Educational Institution Bus with a seating capacity of more than six persons excluding the driver. Ordinarily used by or on behalf of a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students and staff of the educational institution in connection with any of its activities.

<sup>3</sup>[60.00 per seat.]**<sup>4</sup>[VIII. HARVESTER, <sup>5</sup>[\*\*\*] AND MACHINE —**

The unladen weight of which :—

(i) does not exceed 1000 kgs.

Rs. 200.00 per quarter

(ii) and thereafter for each additional 1000 kgs. or part thereof

Rs. 300.00 per quarter]

**<sup>6</sup>[IX. All other motor vehicles not included in any of the class of vehicles specified in this schedule —**

The unladen weight of which :—

(i) Does not exceed 1000 kgs.

Rs. 175.00 per quarter

(ii) Exceeds 1000 kgs. but does not exceed 2000 kgs.

Rs. 225.00 per quarter

(iii) Exceeds 2000 kgs. but does not exceed 3000 kgs.

Rs. 325.00 per quarter

(iv) Exceeds 3000 kgs. but does not exceed 4000 kgs.

Rs. 425.00 per quarter

1. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 11 of 1997.
2. Subs. by Madhya Pradesh Act No. 15 of 2000.
3. Sub. by Chhattisgarh Act No. 24 of 2016; Published in chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2016 page 400(1) (w.e.f. 15-2-2016).
4. Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).
5. Omitted by Chhattisgarh Act No. 24 of 2016; Published in chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2016 page 400(1) (w.e.f. 15-2-2016).
6. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

- (क) जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 तक है रुपए 100.00 प्रति सीट प्रति तिमाही
- (ख) जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 से अधिक है रुपए 350.00 प्रति सीट प्रति तिमाही]

**<sup>1</sup>[सात. प्राइवेट सेवा यान —**

चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसके अपने व्यापार या कारबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराए अथवा पारितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राइवेट सेवा यान—

<sup>2</sup>[(एक) जहाँ कि यान स्वामी के नाम से रजिस्ट्रीकृत है

रुपए 450.00 प्रति सीट प्रति तिमाही]

(दो) जहाँ कि यान स्वामी द्वारा पट्टा करार के अधीन भाड़े पर अर्जित किया गया है

रुपए 600.00 प्रति सीट प्रति तिमाही]

**आठ. शैक्षणिक संस्था बस —**

चालक को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लाई जाती है और जिसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृंद के परिवर्तन के लिए ही किया जाता है।

<sup>3</sup>[रुपए 60.00 प्रति सीट]**<sup>4</sup>[आठ-क. कटाई यंत्र, <sup>5</sup>[\*\*\*] तथा रिग मशीन —**

जिसका लदान रहित भार —

(एक) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं

रुपए 200.00 प्रति तिमाही

(दो) और पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए

रुपए 300.00 प्रति तिमाही]

**<sup>6</sup>[नौ. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान—**

जिसका लदान रहित भार :—

(एक) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है

रुपए 175.00 प्रति तिमाही

(दो) 1,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 2,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है

रुपए 225.00 प्रति तिमाही

(तीन) 2,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 3,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है

रुपए 325.00 प्रति तिमाही

(चार) 3,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 4,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है

रुपए 425.00 प्रति तिमाही

1. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-5-2016 पृष्ठ 400 पर प्रकाशित (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)।
4. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।
5. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 द्वारा विलोपित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-5-2016 पृष्ठ 400 पर प्रकाशित (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)।
6. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।



- (v) Exceeds 4000 kgs. but does not exceed 5000 kgs. Rs. 575.00 per quarter
- (vi) Exceeds 5000 kgs. but does not exceed 6000 kgs. Rs. 750.00 per quarter
- (vii) Exceeds 6000 kgs. but does not exceed 7000 kgs. Rs. 975.00 per quarter
- (viii) And thereafter for each additional 1000 kgs. or part thereof. Rs. 300.00 per quarter
- (ix) Tax for each trailer per quarter. Rs. 100.00 per quarter

**Note—** (1) The rate of tax specified in this schedule are applicable to motor vehicles of respective class fitted with pneumatic tyres.

(2) The rate of tax in respect of a motor vehicles fitted with non-pneumatic tyres shall be one and half times the rates specified for a similar class of vehicle fitted with pneumatic tyres.]

### <sup>1</sup>[FIRST SCHEDULE-A

[See fourth proviso to section 5 (1)]

S.No.	Class of Motor Vehicle	Period of Tax payment	Rate of rebate on the Tax leviable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goods Vehicle	(a) For Two Quarters (b) For Three Quarters (c) For Four Quarters	2% 3% 4%
2.	Stage Carriage	For Three Months	4%
3.	Contract Carriage	For Three Months	4%]

### <sup>2</sup>[SECOND SCHEDULE

[See first proviso to sub-section (1) of Section 3]

#### <sup>3</sup>[PART-I]

S.No.	Description of Motor Vehicles	Rate of life time tax
(1)	(2)	(3)
<sup>4</sup> [1.	Motorcycles with or without attachment of any unladen weight	<sup>5</sup> [7% of the cost of vehicle.]

1. Ins. by Chhattisgarh Act No. 4 of 2013 (w.e.f. 1-3-2013).
2. Subs. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2001 (w.e.f. 1-5-2001).
3. Renumbered as Part-I by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).
4. Subs. by Chhattisgarh Act No. 26 of 2010 (w.e.f. 10-11-2010).
5. Subs. by Chhattisgarh Act No. 24 of 2016; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2016 Page 400(1) (w.e.f. 15-2-2016).

- (पाँच) 4,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 5,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है रुपए 575.00 प्रति तिमाही
- (छः) 5,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 6,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है रुपए 750.00 प्रति तिमाही
- (सात) 6,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 7,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है रुपए 975.00 प्रति तिमाही
- (आठ) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए रुपए 300.00 प्रति तिमाही
- (नौ) प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर रुपए 100.00 प्रति तिमाही
- टिप्पणी—** (1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए हों।
- (2) गैर हवादार (नॉन न्यूमेटिक) टायर लगे हुए किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए यान के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों को डेढ़ गुना होंगी।]

### <sup>1</sup>प्रथम अनुसूची-क

[धारा 5(1) के चतुर्थ परन्तुक देखिए]

स.क्र.	मोटरयान की श्रेणी	का भुगतान की अवधि	उद्ग्रहीत कर पर छूट की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मालयान	(क) दो तिमाहियों के लिए (ख) तीन तिमाहियों के लिए (ग) चार तिमाहियों के लिए	2 प्रतिशत 3 प्रतिशत 4 प्रतिशत
2.	प्रक्रम वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत
3.	संविदा वाहन	तीन माह के लिए	4 प्रतिशत]

### <sup>2</sup>द्वितीय अनुसूची

[देखें धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक]

#### <sup>3</sup>भाग - एक]

स.क्र.	मोटरयानों का वर्णन	जीवनकाल कर की दर
(1)	(2)	(2)
<sup>4</sup> [1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) या रहित मोटर साइकिलें	<sup>5</sup> [यान की कीमत का 7%]

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 1-3-2013 से प्रयोज्य)।
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2001 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 3-5-2001 से प्रयोज्य)।
3. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा भाग-एक के रूप में पुनः क्रमांकित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।
4. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। (दिनांक 10-11-2010 से प्रयोज्य)।
5. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-5-2016 पृष्ठ 400 पर प्रकाशित (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)।

S.No. (1)	Description of Motor Vehicles (2)	Rate of life time tax (3)
2.	Motor cars of any unladen weight — (a) Cost of which does not exceed rupees five lacs. (b) Cost of which exceeds rupees five lacs.	<sup>1</sup> [8% of the cost of vehicle.] <sup>1</sup> [9% of the cost of vehicle.]
3.	Invalid Carriage	Rs. 360/-
4.	Auto-rickshaw (Public Service Vehicle) plying for hire and reward permitted to carry not more than six passengers. (a) Vehicle purchased after taking loans under various schemes and conditions as decided by the State Government by its notification, from time to time and owned by any person belonging to scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and minority community. (b) Vehicle purchased and owned by the person other than the person mentioned in (a) above.	2% of the cost of vehicle.  <sup>1</sup> [5% of the cost of vehicle.]
<sup>2</sup> [5.]	Omnibus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver).	<sup>1</sup> [9% of the cost of vehicle.]
<sup>3</sup> [6.]	Goods carriage not more than 3,500 kgs. Gross Vehicle weight, the cost of which — (a) does not exceed Rs. 2.5 lacs (b) exceeds Rs. 2.5 lacs	12% of the cost of vehicle. 10% of the cost of vehicle.]
<sup>4</sup> [7.]	Omnibus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver).	7% of the cost of vehicle.]
<sup>5</sup> [8.]	Crane and Mechanical excavator vehicle (with a shovel at the front and a digging arm at the rear or otherwise instaled working machinery) popularly known as JCB of excavator made by other Manufacturers.	7% of the cost of vehicle.]

- Subs. by Chhattisgarh Act No. 24 of 2016; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2016 Page 400 (1) (w.e.f. 15-2-2016)
- Subs. by Chhattisgarh Act No. 26 of 2010 (w.e.f. 10-11-2010).
- Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-04-2002).
- Added by Chhattisgarh Act of 2013 (w.e.f. 01-03-2013).
- Added by Chhattisgarh Act No. 24 of 2016; Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 11-05-2016 page 400 (1) (w.e.f. 15-02-2016).

स.क्र. (1)	मोटरयानों का वर्णन (2)	जीवनकाल कर की दर (2)
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारों — (क) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है (ख) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है	<sup>1</sup> [यान की कीमत का 8%] <sup>1</sup> [यान की कीमत का 9%]
3.	अशक्त यात्री गाड़ी	रुपए 360/-
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है — (क) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किए गए तथा उसके स्वामित्व में, के यान (ख) उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किए गए तथा उनके स्वामित्व में, के यान	यान की कीमत का 2%  <sup>1</sup> [यान की कीमत का 5%]
<sup>2</sup> [5.]	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर) 12 यात्रियों तक हो	<sup>1</sup> [यान की कीमत का 9%]
<sup>3</sup> [6.]	सकल यान भार 3,500 कि.ग्रा. से अनधिक मालयान — जिसकी कीमत :— (क) रुपए 2.5 लाख से अधिक नहीं (ख) रुपए 2.5 लाख से अधिक	यान की कीमत का 12% यान की कीमत का 10%]
<sup>4</sup> [7.]	तिपहिया आटो-रिक्शा से भिन्न मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब	यान की कीमत का 7%]
<sup>5</sup> [8.]	क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन, (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो।	यान की कीमत का 7%]

- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 द्वारा प्रतिस्थापित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-5-2016 पृष्ठ 400 पर प्रकाशित (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)।
- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2010 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 10-11-2010 से प्रयोज्य)।
- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।
- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया प्रतिस्थापित (दिनांक 1-3-2013 से प्रयोज्य)।
- छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016 द्वारा जोड़ा गया; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11-5-2016 पृष्ठ 400 पर प्रकाशित (दिनांक 15-2-2016 से प्रभावी)।



**Explanation.**—1. Cost of vehicle means cost including tax realized by the dealer.

2. For calculating the life time tax on the basis of the above class of vehicle, the owner of the vehicle shall be required to produce sale receipt issued by the dealer at the time of the registration of vehicle.

3. Auto-rickshaw three-wheeler includes vehicles popularly known as Tempo, Vikram etc.].

<sup>1</sup>[4. In respect of motor cycle, motor car, auto-rickshaw (three wheeler public service vehicle), omni bus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver) and goods carriage not more than 3,500 kgs. Gross Vehicle Weight which are older than one year from the date of first registration, the computation of life-time tax shall be made on the cost mentioned in Part II of this Schedule.]

#### <sup>1</sup>[PART-II

Cost fixed in Rupees for the old Motor Vehicles according to age reckoned from the date of the first registration

S. No.	Class of Motor Vehicle	Age not more than 5 years	More than 5 but not more than 15 years	More than 15 years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Motor Cycle —</b>			
	the unladen weight of which—			
	(a) does not exceed 70 kgs.	current cost of vehicle	8,000	6,000
	(b) exceed 70 kgs.			
	(i) upto 200 cc	current cost of vehicle	15,000	8,000
	(ii) more than 200 cc but not more than 325 cc	current cost of vehicle	20,000	10,000
	(iii) more than 325 cc	current cost of vehicle	30,000	15,000
2.	<b>Motor Car —</b>			
	unladen weight of which —			
	(a) does not exceed 800 kgs.	current cost of vehicle	1,00,000	50,000
	(b) exceeds 800 kgs. but does not exceed 2,000 kgs.	current cost of vehicle	1,50,000	1,00,000
	(c) exceeds 2,000 kgs.	current cost of vehicle	6,00,000	3,00,000
3.	<b>Auto-rickshaw (Public Service Vehicle) —</b>			
	(a) does not exceed 3 seats excluding driver	current cost of vehicle	30,000	15,000
	(b) exceeds 3 seats	current cost of vehicle	60,000	20,000

1. Ins. by Chhattisgarh Act No. 22 of 2002 (w.e.f. 23-4-2002).

**स्पष्टीकरण** — 1. यान की कीमत से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा कर्तव्य सहित वसूल की गई कीमत।

2. उपरोक्त यान के वर्ग के आधार पर जीवनकालिक कर की गणना करने के लिए यान स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह व्यापारी द्वारा दी गई विक्रय रसीद यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत करें।

3. आटो रिक्षा तिपहिया में लोकप्रिय रूप से मान्य टेम्पो, विक्रय आदि सम्मिलित हैं।

<sup>1</sup>[4. मोटर साइकिल, मोटर कार, आटो रिक्षा (तिपहिया, लोक सेवा यान) निजी उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक है (चालक को छोड़कर) एवं सकल यानभार 3,500 कि.ग्रा. से अनधिक मालयान के संबंध में जो प्रथम पंजीयन दिनांक से एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, जीवनकाल कर की गणना उस अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट कीमत के आधार पर की जाएगी।]

<sup>1</sup>भाग - दो

प्रथम रजिस्ट्रीकरण दिनांक से आयु की गणना के आधार पर पुराने मोटरयानों की निश्चित की गई कीमत रूप्यों में

क्र.	मोटरयान का वर्ग	आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं	आयु 5 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक	15 वर्ष से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>मोटर साइकिल :—</b>			
	जिनका लदान रहित भार —			
	(क) 70 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	8,000	6,000
	(ख) 70 कि.ग्रा. से अधिक			
	(एक) 200 सी.सी. तक	यान का वर्तमान मूल्य	15,000	8,000
	(दो) 200 सी.सी. से अधिक किन्तु 325 सी.सी. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	20,000	10,000
	(तीन) 325 सी.सी. से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
2.	<b>मोटर कार :—</b>			
	जिनका लदान रहित भार —			
	(क) 800 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	1,00,000	50,000
	(ख) 800 कि.ग्रा. से अधिक किन्तु 2000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	1,50,000	1,00,000
	(ग) 2000 कि.ग्रा. से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	6,00,000	3,00,000
3.	<b>आटो रिक्षा (लोक सेवायान) :—</b>			
	(क) 3 सीट से अधिक नहीं चालक को छोड़कर	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
	(ख) 3 सीट से अधिक चालक को छोड़कर	यान का वर्तमान मूल्य	60,000	20,000

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2002 द्वारा अन्तःस्थापित (दिनांक 23-4-2002 से प्रयोज्य)।

S. No.	Class of Motor Vehicle	Age not more than 5 years	More than 5 but not more than 15 years	More than 15 years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Omni bus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and upto 12 (excluding driver) —			
	(a) cost of which at the time of first registration—			
	(i) does not exceed Rs. 2.5 lacs.	current cost of vehicle	1,25,000	60,000
	(ii) exceeds 2.5 lacs but does not exceed Rs. 4.0 lacs.	current cost of vehicle	1,62,500	80,000
	(iii) exceeds 4.0 lacs but does not exceed Rs. 5.5 lacs.	current cost of vehicle	2,37,500	1,10,000
	(iv) exceeds 5.5 lacs but does not exceed Rs. 8.0 lacs.	current cost of vehicle	3,12,500	1,50,000
	(v) exceeds Rs. 8.0 lacs.	current cost of vehicle	4,50,000	2,25,000
5.	Goods carriage which does not exceed 3,500 kgs. in gross vehicle weight—			
	(a) cost of which at the time of first registration—			
	(i) does not exceed Rs. 1.0 lacs.	current cost of vehicle	50,000	25,000
	(ii) exceeds 1.0 lacs but does not exceed Rs. 2.0 lacs.	current cost of vehicle	75,000	35,000
	(iii) exceeds 2.0 lacs but does not exceed Rs. 3.0 lacs.	current cost of vehicle	1,25,000	60,000
	(iv) exceeds 3.0 lacs but does not exceed Rs. 4.0 lacs.	current cost of vehicle	1,75,000	75,000
	(v) exceeds Rs. 4.0 lacs.	current cost of vehicle	2,50,000	1,25,000

**Note —** 1. Where the cost mentioned in column (4) and (5) in Part-II above is more than the current cost of a motor vehicle, the Taxation Authority shall take the current cost of such motor vehicle for the purpose of calculation of tax of this part.

क्र.	मोटरयान का वर्ग	आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं	आयु 5 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक	15 वर्ष से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	निजी उपयोग के लिए पंजीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक परन्तु 12 से अनधिक (चालक को छोड़कर) :—			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(दो) रु. 2.5 लाख से अधिक परन्तु रु. 4.00 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	1,62,500	80,000
	(तीन) रु. 4.00 लाख से अधिक परन्तु रु. 5.5 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	2,37,500	1,10,000
	(चार) रु. 5.5 लाख से अधिक परन्तु रु. 8.00 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	3,12,500	1,50,000
	(पाँच) रु. 8.00 लाख से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	4,50,000	2,25,000
5.	मालयान जिसकी सकल भार क्षमता 3,500 कि.ग्रा. से अधिक नहीं :—			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 1.00 लाख से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	50,000	25,000
	(दो) रु. 1.00 लाख से अधिक परन्तु रु. 2.00 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	75,000	35,000
	(तीन) रु. 2.00 लाख से अधिक परन्तु रु. 3.00 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(चार) रु. 3.00 लाख से अधिक परन्तु रु. 4.00 लाख से अनधिक	यान का वर्तमान मूल्य	1,75,000	75,000
	(पाँच) रु. 4.00 लाख से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	2,50,000	1,25,000

**टिप्पणी —** 1. जहाँ ऊपर भाग-दो के कालम (4) एवं (5) में निर्दिष्ट कीमत मोटरयान के चालू कीमत से अधिक है तो कराधान प्राधिकारी इस भाग के उद्देश्यों के लिए ऐसे मोटरयान की कर की गणना के लिए चालू कीमत लेगा।



(ii) Where a particular make and model of vehicle is out of manufacture and current cost is not possible to arrive at, last cost available at the discontinuation of manufacture of such make and model of vehicle shall be taken for the purposes of column 3 as current cost and the owner shall produce the proof to the satisfaction of the Taxation Authority.

(iii) Where the owner of a motor vehicle is unable to produce satisfactory proof as per note (ii) above, the current cost of such motor vehicle shall be reckoned at the rate of 25% more than the rate mentioned in column 4 of such category of motor vehicles in Part-II above.]

**[THIRD SCHEDULE**  
[See Section 4]

No.	Description of vehicles	Annual Tax for every vehicle in possession of a manufacturer or dealer
(1)	(2)	(3)
1.	Moped and Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50 cc)	Rs. 20.00
2.	Motor-Cycle other than mopeds and motorized cycles.	Rs. 30.00
3.	Three Wheelers vehicles	Rs. 100.00
4.	Light motor vehicles including chassis	Rs. 600.00
5.	Medium Passenger vehicles including chassis	Rs. 700.00
6.	Medium Goods vehicles including chassis	Rs. 700.00
7.	Heavy Passenger vehicles including chassis	Rs. 1250.00
8.	Heavy Goods vehicles including chassis	Rs. 1250.00
9.	Any other motor vehicles of a specified description	Rs. 1000.00]

2. जहाँ विशिष्ट मेक एवं माडल के वाहन का निर्माण बंद कर दिया गया हो एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो तो ऐसी मेक एवं माडल के वाहन के निर्माण के विच्छेदन पर उपलब्ध अंतिम कीमत के आधार पर कालम तीन के उद्देश्यों के लिए वर्तमान कीमत ली जावेगी एवं स्वामी कराधान प्राधिकारी की संतुष्टि का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

3. जहाँ वाहन स्वामी उपरोक्त टिप्पणी (2) के अनुसार संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, वाहन का वर्तमान मूल्य उपरोक्त भाग-दो के कालम चार में दशाई गई कीमत से 25% अधिक की दर से गणना की जाएगी।]

**[तृतीय अनुसूची**  
[देखें धारा 4]

क्र.	यानों का वर्णन	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रत्येक वाहन के लिये वार्षिक कर
(1)	(2)	(3)
1.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अनधिक)	रु. 20.00
2.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल से भिन्न मोटर साइकिल	रु. 30.00
3.	तिपहिया वाहनों के लिये	रु. 100.00
4.	हल्का मोटरवाहन जिसमें चैसिस भी सम्मिलित है	रु. 600.00
5.	मध्यम यात्री वाहन जिसमें चैसिस भी सम्मिलित है	रु. 700.00
6.	मध्यम मालवाहन जिसमें चैसिस भी सम्मिलित है	रु. 700.00
7.	भारी यात्री वाहन जिसमें चैसिस भी सम्मिलित है	रु. 1250.00
8.	भारी मालवाहन जिसमें चैसिस भी सम्मिलित है	रु. 1250.00
9.	विशिष्ट विवरण के अन्य कोई मोटरवाहन	रु. 1000.00]

## THE CHHATTISGARH MOTOR VEHICLE TAXATION RULES, 1991

Notification No. F. 8-3-91-VIII, dated 24-12-1991 — In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement—(a) These rules may be called the “Chhattisgarh Motoryan Karadhan Rules, 1991”.  
(b) They shall come into force on the date<sup>1</sup> the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 is brought into force under sub-section (3) of Section 1 of the said Act.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- “Act” means the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991);
- “alteration in a motor vehicle” means and includes any change in the particulars of the certificate of registration or the permit by which the motor vehicle is covered;
- “Fleet owner” means an owner holding a permit or permits for one hundred or more stage carriages or contract carriages, or both together;
- “Form” means a form appended to these rules;
- “Month” means a month reckoned according to the British Calendar;
- “Token” means token issued under sub-section (10) of Section 12 of the Act;
- the expression “a motor vehicle brought into the State for temporary use” means a motor vehicle brought from another State or Union Territory for being used or kept for use in Chhattisgarh for a period not exceeding three months;
- “Transport Check-post” means a barrier established under Section 4 of the Chhattisgarh Motor Parivahan Yano Par Pathkar Ka Udgrahan Adhiniyam, 1985;
- words and expressions used but not defined in these rules shall have the meaning assigned to them in the Act, and in the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and rules made thereunder.

3. Jurisdiction of Taxation Authority—The Taxation Authority appointed under clause (a) of Section 2 of the Act shall have the Jurisdiction as may be notified by the State Government:

Provided that if more than one officer is appointed as Taxation Authority, the Transport Commissioner may by an order in writing, determine their jurisdiction and functions to be performed by each of them.

1. Come into force 1-1-1992.

## छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991

अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-3-91-आठ, दिनांक 24-12-1991 — छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 (1991 का क्र. 25) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 है।

(2) ये ऐसी तारीख<sup>1</sup> को प्रवृत्त होंगे, जिसको कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवृत्त किया जाए।

2. परिभाषा — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991);
- “मोटरयान में परिवर्तन” से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा-पत्र की, जिसके अंतर्गत मोटरयान आता है, विशिष्टियों में किया गया कोई परिवर्तन;
- “बेड़ा स्वामी” से अभिप्रेत है, मंजिली गाड़ियों या ठेका गाड़ियों या दोनों को मिलाकर एक सौ या उससे अधिक के एक अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञा-पत्रों को धारण करने वाला कोई स्वामी;
- “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- “मास” से अभिप्रेत है, ब्रिटिश कलेंडर के अनुसार संगणित मास;
- “टोकन” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया टोकन;
- अभिव्यक्ति “राज्य में अस्थाई रूप से उपयोग के लिए लाया गया मोटरयान” से अभिप्रेत है, अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य उपयोग हेतु लाया गया था या उपयोग हेतु रखा गया कोई मोटरयान;
- “परिवहन जाँच चौकी” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मोटर परिवहन यानों पर पथकर का उद्ग्रहण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन स्थापित किया गया कोई नाका;
- उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए हैं।

3. कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता— अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किए गए कराधान प्राधिकारी की अधिकारिता वहीं होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:

परन्तु यदि एक से अधिक अधिकारी कराधान प्राधिकारी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा उनकी अधिकारिता और उनमें से प्रत्येक के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का अवधारण कर सकेगा।

1. दिनांक 1-1-1992 से प्रवृत्त।



**4. Entries of tax payable—**(1) Where a motor vehicle is registered in the State, or any motor vehicle is brought into the State, the Taxation Authority shall make an entry regarding the amount of monthly, quarterly, half yearly, annual or life time tax payable in respect of that Motor Vehicle in its certificate of registration as also in the 'Demand and Recovery Register' prescribed under sub-rule (2) of Rule 20.

(2) For the purpose of ascertaining the correctness of the rate of tax applicable to a motor vehicle, the Taxation Authority or any other officer authorised by it in writing in this behalf, may require the owner or the driver or any other person in charge of the motor vehicle to produce the same before such Authority or Officer, as the case may be.

**[5. Filing of declaration—**(1) The declaration required to be filed under sub-section (1) of Section 8 of the Act shall be—

- (i) in Form-'A' for a vehicle other than a transport vehicle.
- (ii) in Form-'B' for a transport vehicle other than a vehicle covered by service of stage carriages permit;
- (iii) in Form-'B-1' for a transport vehicle covered by service of stage carriages permit; and
- (iv) in Form-'C' by a manufacturer or dealer in motor vehicles;

and shall contain particulars stated therein.

(2) The declaration referred to in sub-rule (1) shall be filed—

- (i) if the tax is payable for the life time of a vehicle, on or before the last date fixed or the payment of life time tax;
- (ii) if the tax is payable for a quarter not later than Fifteen days after the commencement of the quarter;
- (iii) if the tax is payable for a month not later than ten days after the commencement of the month;
- (iv) if the tax is payable for a period less than a quarter or a month, on or before the date on which the tax becomes due :

Provided that the first declaration in respect of a motor vehicle due for registration in the state shall be filed on or before the date on which its registration becomes due :

Provided further that the first declaration in respect of a motor vehicle brought into the state for assignment of new registration mark, change of residence or place of business or transfer of ownership under Section 47, 49 or 50 of the Motor Vehicles Act, 1988 respectively shall be filed at the time of its entry in the State :

Provided also that the first declaration in respect of a motor vehicle paying tax at the monthly rate shall be filed within ten days from the date of coming into force of the Chhattisgarh Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 1992.

(3) The declaration together with crossed bank draft, paid up treasury challan marked "Original" or cash receipt evidencing the payment of tax shall be delivered to the Taxation Authority either in person by the owner or through his representative duly authorised in this behalf.

I. Subs. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.

**4. देय कर की प्रविष्टियाँ —** (1) जहाँ कोई मोटरयान राज्य में रजिस्ट्रीकृत है या कोई मोटरयान राज्य में लाया जाता है तो कराधान प्राधिकारी उस मोटरयान के संबंध में देय मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक या जीवनकाल कर की रकम से संबंधित प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में करेगा और नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन विहित किए गए "भाग और वसूली के रजिस्टर" में भी करेगा।

(2) किसी मोटरयान को लागू होने वाली कर की दर की शुद्धता अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए कराधान प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मोटरयान के स्वामी या चालक या किसी अन्य भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यथास्थिति ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करे।

**[5. घोषणा का फाइल किया जाना —** (1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित घोषणा —

- (एक) परिवहन यान से भिन्न यान के लिए प्ररूप "क" में;
- (दो) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले मोटरयान से भिन्न परिवहन यान के लिए प्ररूप "ख" में;
- (तीन) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले परिवहन यान के लिए प्ररूप "ख-1" में; और
- (चार) मंजिली गाड़ी के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा प्ररूप "ग" में, होगी और उसमें कथित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होंगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा —

- (एक) यदि कर किसी यान के जीवनकाल के लिए देय है तो जीवनकाल कर के संदाय के लिए नियत अंतिम तारीख को या उसके पूर्व;
- (दो) यदि कर किसी तिमाही के लिए देय है तो तिमाही प्रारंभ होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर;
- (तीन) यदि कर एक मास के लिए देय है तो मास प्रारंभ होने के पश्चात् 10 दिन के भीतर;
- (चार) यदि कर एक तिमाही या एक मास की कालावधि से कम कालावधि के लिए देय है तो उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको कि कर शोध हो जाता है; फाइल की जाएगी :

परन्तु किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में, जिसका राज्य में रजिस्ट्रीकरण होना है, प्रथम घोषणा उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको कि उसका रजिस्ट्रीकरण होना है, फाइल की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 47, 49 या 50 के अधीन क्रमशः नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने, निवास या व्यापार के स्थान में परिवर्तन करने या स्वामित्व का अंतरण करने के लिए राज्य में लाए गए मोटरयान की बाबत प्रथम घोषणा, राज्य में प्रवेश के समय फाइल की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि मासिक दर पर कर संदाय कर रहे मोटरयान की बाबत प्रथम घोषणा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 के प्रवृत्त होने के दस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(3) घोषणा के साथ कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट, "मूल प्रति" अंकित किया हुआ भुगतान शुदा कोषालय चालान या नगद रसीद या तो स्वामी द्वारा व्यक्तिशः या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कराधान प्राधिकारी की परित्त की जाएगी।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।



(4) If the Owner of a motor vehicle wishes to change the place for obtaining the token, he shall file a declaration in duplicate in Form-'D' before the Taxation Authority where he is regularly paying tax.

(5) On receipt of declaration in Form-D the Taxation Authority, if it is satisfied that no tax, penalty or interest is due from the owner make necessary endorsements in the certificate of registration and the 'Demand and Recovery Register' and forward the second copy of the declaration to the other Taxation Authority.]

**6. Filing of declaration when motor vehicle is altered—**<sup>1</sup>[(1) The additional declaration required under sub-section (2) of Section 8 of the Act shall be filed—

- in Form-E for a vehicle other than a vehicle covered by a service of stage carriages permit, and
- in Form-E-1 in respect of a vehicle covered by a service of stage carriages permit,

on the date on which the vehicle is altered and shall contain particulars stated therein.]

(2) The difference of tax payable in respect of a motor vehicle falling under sub-section (2) of Section 8 for the quarter, half year or year in which alteration is made shall bear the same proportion to the difference between the amount already paid and the amount payable at the higher rate for that quarter, half year or year as the unexpired portion of the quarter, half year or year bears to the quarter, half year or year :

Provided that if a motor vehicle specified in third proviso to sub-section (1) of Section 5 is altered, then the difference of tax shall be paid for the full month in which such alteration is made :

Provided further that if a motor vehicle is altered on account of grant of a stage carriage permit or a temporary stage carriage permit for which higher slab of tax is applicable, then the difference of tax shall be paid for the unexpired portion of the month in which such alteration is made, on prorata basis.

(3) Where a public service vehicle covered by a state carriage permit of a contract carriage permit is replaced by another vehicle after obtaining permission of the Authority granting the permit, the tax already paid shall be deemed to have been paid in respect of such another vehicle for the period following the date on which the vehicle is replaced. The vehicle deleted from the permit shall be liable to pay tax from the date following the date of such replacement in accordance with the provisions of the Act and these rules.

**Explanation—**(1) For the purpose of calculating the unexpired portion of the quarter, half year or year, part of a month shall be construed as a full month.

(2) The rule shall also apply to a public service vehicle which becomes liable for the payment of tax in a higher slab on account of grant of a permit for which higher slab of tax is applicable, but shall not apply to a case where a motor car in respect of which life time tax has been paid is misused as a goods vehicle, a motor cab or a stage carriage.

1. Subs. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.

(4) यदि किसी मोटरयान का स्वामी टोकन प्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन का इच्छुक है तो यह एक घोषणा प्रारूप "घ" में, दो प्रतियों में उस कराधान प्राधिकारी के समक्ष, जहाँ वह नियमित रूप से कर का संदाय कर रहा है, फाइल करेगा।

(5) प्रारूप "घ" में घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि मोटरयान के स्वामी से कोई कर, शास्ति या ब्याज शोध्य नहीं है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में तथा "मांग और वसूली के रजिस्टर" में, आवश्यक पृष्ठों पर चिह्न करेगा और घोषणा की दूसरी प्रति अन्य कराधान प्राधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।]

**6. मोटरयान परिवर्तित हो जाने पर घोषणा का फाइल किया जाना —** <sup>1</sup>[(1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में अपेक्षित अतिरिक्त घोषणा;

(एक) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले यान से भिन्न यान के लिए प्रारूप "ड" में, और

(दो) मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले यान के लिए प्रारूप "ड"-1 में, उस तारीख को जिसको कि यान में परिवर्तन किया जाता है, फाइल की जाएगी और उसमें कथित विशिष्टिओं अंतर्बिष्ट होंगी।]

(2) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले मोटरयान के संबंध में उस तिमाही, छमाही या वर्ष की बाबत, जिसमें कि परिवर्तन किया गया है, देयकर के अंतर की रकम का पूर्व से ही संदत की गई रकम और उस तिमाही, छमाही या वर्ष के लिए उच्चतर दर पर देय रकम के अंतर के साथ वही अनुपात होगी जो कि उसे तिमाही, छमाही या वर्ष के अनवसित भाग के तिमाही, छमाही या वर्ष के साथ होता है :

परन्तु यदि धारा 5 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट किया गया कोई मोटरयान परिवर्तित किया जाता है तो कर का अंतर उस संपूर्ण मास के लिए जिसमें कि ऐसा परिवर्तन किया गया है, संदत किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि ऐसे मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या किसी ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के जिसके लिए कर का उच्चतर स्लेब लागू होता है, स्वीकृत होने के कारण कोई मोटरयान परिवर्तित किया जाता है तो कर का अंतर उस मास के, जिसमें कि ऐसा परिवर्तन किया गया है, अनवसित भाग के लिए अनुत्पादित दर के आधार पर संदत किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या किसी ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले किसी लोक सेवा यान के स्थान पर, अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्रदत्त करने के पश्चात् किसी अन्य यान को स्थापित किया जाता है, वहाँ पूर्व में संदत किए गए कर के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसी तारीख जिसको कि यान प्रतिस्थापित किया गया है, के पश्चात् आने वाली कालावधि के लिए ऐसे अन्य यान के संबंध में संदत कर दिया गया है, अनुज्ञा-पत्र से हटा दिया गया यान, ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख के पश्चात् आने वाली तारीख से अधिनियमित तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

**स्पष्टीकरण —** (1) तिमाही, छमाही या वर्ष के अनवसित भाग की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी मास के भाग को संपूर्ण मास के रूप में समझा जाएगा।

(2) यह नियम ऐसे लोक सेवा यान को भी लागू होगा जो ऐसे अनुज्ञा-पत्र के, जिसके लिए कर का उच्चतर स्लेब लागू होता है, स्वीकृत होने के कारण उच्चतर स्लेब में कर का संदाय करने का दायी हो जाता है, किन्तु ऐसे मामले में लागू होगा, जहाँ उस मोटर कार का, जिसके संबंध में जीवन काल कर का संदाय किया जा चुका है, दुरुपयोग मालयान मोटर केब या मंजिली गाड़ी के रूप में किया गया है।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।



<sup>1</sup>[(4) When a vehicle is used to maintain service on the route of a service of stage carriages permit on which such vehicle is authorised to ply by such permit, no extra tax shall be leviable in respect of that vehicle if the tax due as per appropriate slab under sub-item (d) of item IV of the First Schedule of the Act in respect of such permit has duly been paid.]

<sup>1</sup>[6-A. Determination of tax payable—(1) On receipt of declaration under sub-section (1) or (2) of Section 8 of the Act the Taxation Authority shall without delay proceed to determine the amount of tax payable and shall pass the order required under sub-section (3) of the said section as early as possible.

(2) Where no declaration is filed by the owner by the last date fixed for payment of tax, the Taxation Authority shall without delay proceed *suo motu* to determine the amount of tax payable under sub-section (4) of Section 8 and shall pass order required under that sub-section as early as possible.

(3) While passing the order referred to in sub-section (3) or (4) of Section 8 of the Act, the Taxation Authority shall, simultaneously, issue the intimation of such order in Form-E-2 to be served on the owner in the manner laid down in sub-rule (2) of Rule 15.]

<sup>2</sup>[Explanation—The order passed under sub-rule (1) or (2) shall be valid until the rate of tax or the vehicle is altered and the determination of tax afresh shall be necessary only after any alteration in the rate of tax or the vehicle.]

7. Manner of payment of tax etc.—(1) The tax payable under Section 3 or 4 of the Act shall be paid to the Taxation Authority by the owner, dealer or manufacturer, as the case may be, as follows :—

- if the tax is payable for a quarter, not later than fifteen days after the commencement of the quarter;
- if the tax is payable for a month, not later than ten days after the commencement of the month; and
- if the tax is payable for a period less than a quarter or a month, <sup>1</sup>[or for the lifetime of the vehicle] as the case may be, on or before the date on which the tax becomes due :

<sup>3</sup>[Provided that the tax in respect of a motor vehicle due for registration in the State shall be paid on the date on which its registration becomes due.]

Provided further that <sup>3</sup>[the difference of the tax payable] by a public service vehicle plying on a temporary permit or a special permit shall be, paid at the time of issue of temporary permit or special permit, as the case may be.

(2) The tax may be paid for two or more quarters in advance.

<sup>3</sup>[(3) Payment of every amount under the Act shall be made through online payment system and in this regard online payment of tax, penalty, interest, composition fees and fee etc. may be made through this department's website [www.cgtransport.org](http://www.cgtransport.org):

Provided that the Taxation Authority may allow owner of the vehicle to deposit cash upto Rs. 500 in its office.]

- Ins. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.
- Ins. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 08-06-1993.
- Subs. by Notification No. 5-4/VIII-Trans/2014, dated 30-7-2014.

<sup>1</sup>[(4) जब किसी यान का, जो मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के ऐसे मार्ग पर जिस पर ऐसा यान ऐसे अनुज्ञा-पत्र द्वारा संचालन हेतु प्राधिकृत है, सेवा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उस यान की बाबत कोई अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा यदि ऐसे अनुज्ञा-पत्र की बाबत प्रथम अनुसूची के मद चार की उप मद (घ) के अधीन युक्तियुक्त स्लेब के अनुसार शोधकर का संदाय सम्यक् रूप से कर दिया गया है।]

<sup>1</sup>[6-क. देय कर का अवधारण — (1) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर करायान प्राधिकारी, विलंब किए बिना देय कर की रकम का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा।

(2) जहाँ स्वामी द्वारा कर का संदाय करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कोई घोषणा फाइल नहीं की जाती है, तो करायान प्राधिकारी, विलंब किए बिना देय कर की रकम का अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन स्वप्रेरणा से अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा और उस उपधारा के अधीन यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) या (4) के अधीन आदेश पारित करते समय करायान प्राधिकारी ऐसे आदेश की उसी समय प्ररूप “ड-2” में सूचना जारी करेगा जो स्वामी पर नियम 15 के उपनियम (2) में अधिकथित रीति में तामील की जाएगी।]

<sup>2</sup>[स्पष्टीकरण — उपनियम (1) या (2) के अधीन पारित आदेश तब तक वैध रहेगा जब तक कि कर की दर या यान परिवर्तित न कर दिया जाए और कर का नया अवधारण कर की दर या यान में किसी परिवर्तन के पश्चात् ही आवश्यक होगा।]

7. कर आदि के संदाय की रीति — (1) अधिनियम की धारा 3 या 4 के अधीन देय कर का संदाय यथास्थिति स्वामी, व्यापारी या विनिर्माता द्वारा करायान प्राधिकारी को निम्नानुसार किया जाएगा, —

- यदि किसी तिमाही के लिए कर देय हो तो उस तिमाही के प्रारंभ होने के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर;
- यदि किसी मास के लिए कर देय हो तो उस मास के प्रारंभ होने के पश्चात् दस दिन के भीतर;
- यदि एक तिमाही या एक मास से कम की कालावधि के लिए <sup>1</sup>[या यान के जीवनकाल के लिए] कर देय हो तो उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको कि कर देय होता है :

<sup>3</sup>[परन्तु किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में, जिसका राज्य में रजिस्ट्रीकरण होना है, कर उस तारीख को, जिसको कि उसका रजिस्ट्रीकरण होना है, संदत्त किया जाएगा।]

परन्तु यह और भी कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र चलाए जाने वाले लोक सेवा यान द्वारा <sup>3</sup>[देय कर का अंतर] यथास्थिति, अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र जारी होते समय संदत्त किया जाएगा।

(2) कर का संदाय हो या अधिक तिमाहियों के लिए अग्रिम में संदत्त किया जा सकेगा।

<sup>3</sup>[(3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक रकम का भुगतान ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में, कर (टेक्स), शास्ति, ब्याज, प्रशमन शुल्क आदि का ऑनलाइन भुगतान, इस विभाग की वेबसाइट [www.cgtransport.org](http://www.cgtransport.org) के माध्यम से किया जा सकेगा:

परन्तु करायान प्राधिकारी, वाहन के स्वामी को 500 रुपये तक की राशि नगद में जमा करने के लिये अपने कार्यालय में अनुज्ञात कर सकेगा।]

- अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अन्तःस्थापित।
- अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।
- अधिसूचना क्रमांक 5-4/आठ-परि./2014, दिनांक 30-07-2014 द्वारा प्रतिस्थापित।



(4) In case the amount due is allowed to be deposited in cash in the Office of the Taxation Authority, the person authorised by the Taxation Authority to receive cash shall prepare a money receipt in triplicate :—

- (a) in Form 'F' if the payment is in respect of life time tax;
- (b) in Form 'G' in other cases;

and the second copy shall be given to the person depositing the amount and the first copy shall be posted with the declaration prescribed under Rule 5 or 6, as the case may be.

<sup>1</sup>[(5) The date of payment of tax shall be the date of depositing the amount in cash in the office of the Taxation Authority:

Provided that the date of payment of tax by adjustment of a refund claim as per sub-rule (9) of rule 14 shall be deemed to be the date of presentation of application for refund of tax under sub-rule (2) of the said rule.]

(6) The Taxation Authority after satisfying itself that the tax due in respect of a motor vehicle has been paid, shall make an endorsement duly signed and stamped with office seal in the Certificate of registration specifying therein the amount of tax paid and the period for which it is paid. Simultaneously, an endorsement shall be made in the 'Demand and Recovery Register' prescribed under sub-rule (2) of Rule 20, which shall be signed by the Taxation Authority itself or by an Officer not below the rank of Sub-Inspector duly authorised by it in writing in this behalf.

**8. Manner of payment of tax in respect of motor vehicles of other State—**(1) Except as hereinafter provided in this rule, a motor vehicle brought into the State otherwise than for temporary use shall be liable to pay tax in accordance with the First or Second Schedule of the Act, as the case may be.

(2) A motor vehicle covered with All India Tourist Permit granted under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Transport Authority of other State with a valid authorisation to ply in Chhattisgarh, shall pay tax at the Transport Check-post at the time of entry into Chhattisgarh. The payment shall be made in cash or through a crossed Bank Draft payable to Transport Commissioner, Chhattisgarh at <sup>2</sup>[Gwalior], and the same shall be endorsed by the Officer-in-charge of Check-post in the authorisation.

(3) The tax payable under sub-item (b) of item-V of the First Schedule in respect of National permit granted by the Transport Authority of other State under sub-rule (2) of Rule 87 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, <sup>3</sup>[shall be paid at the time of the grant of authorisation in lump-sum once or in two half yearly instalment.]

(4) If the initial authorisation referred to in sub-rule (3) is granted at any time after the first quarter of the year, the amount shall be payable on a prorata basis for the remaining quarters of the year including the quarter in which the authorisation is granted.

1. Subs. by Notification No. 5-4/VIII-Trans/2014, dated the 30-7-2014.
2. It will be reasonable to replace Gwalior by Raipur or any other city which is directed by Chhattisgarh Govt.
3. Subs. by Notification No. F. 8-3-93-VIII, dated 8-10-1993.

(4) कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में शोध्य रकम नगद जमा करने के लिए अनुज्ञात किए जाने की दशा में नकद रकम प्राप्त करने के लिए कराधान प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति —

- (क) यदि संदाय जीवन-काल कर के संबंध में है तो प्ररूप - "च" में;
- (ख) अन्य मामलों में प्ररूप "छ" में;

तीन प्रतियों में धन रसीद तैयार करेगा, और दूसरी प्रति रकम जमा करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तीन प्रतियों में धन रसीद तैयार करेगा, और दूसरी प्रति रकम जमा करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा प्रथम प्रति, यथास्थिति नियम 5 या 6 के अधीन विहित की गई घोषणा के साथ चप्पा की जाएगी।

<sup>1</sup>[(5) कर (टेक्स) भुगतान करने की तारीख वही होगी जो कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में नगद में राशि जमा करने की तारीख हो:

परन्तु नियम 14 के उपनियम (9) के अनुसार वापसी के दावे के समायोजन द्वारा कर (टेक्स) भुगतान करने की तारीख, उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन कर की वापसी के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख समझी जायेगी।]

(6) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि मोटरयान के संबंध में शोध्य कर संदत्त किया जा चुका है, रजिस्ट्रीकरण में प्रमाण-पत्र के संदाय की गई कर की रकम को और उस कालावधि को, जिसके लिए उसका संदाय किया गया है, विनिर्दिष्ट करते हुए सम्यकरूप से हस्ताक्षरित और कार्यालय की मुद्रा से मुद्रांकित करके पृष्ठांकन करेगा, साथ ही साथ नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन विहित किए गए "मांग और वसूली के रजिस्टर" में पृष्ठांकन किया जाएगा जिसे स्वयं कराधान प्राधिकारी के द्वारा या उसके द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा, जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

**8. अन्य राज्यों के मोटरयानों के संबंध में कर का संदाय करने की रीति —** (1) इस नियम में इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय राज्य में अस्थायी उपयोग से अन्यथा लाया गया कोई मोटरयान यथास्थिति, अधिनियम की प्रथम या द्वितीय अनुसूची के अनुसार, कर संदाय करने का दायी होगा।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट के अंतर्गत कोई मोटरयान छत्तीसगढ़ में चलाए जाने के लिए वैध प्राधिकार पत्र सहित छत्तीसगढ़ में प्रवेश के समय, परिवहन जाँच चौकी पर कर का संदाय करेगा। संदाय नकद या परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ को <sup>2</sup>[खालियर] में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा और उसका पृष्ठांकन जाँच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 87 के उपनियम (2) के अधीन राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रथम अनुसूची की मद पाँच की उपमद (ख) के अधीन देय कर <sup>3</sup>[प्राधिकार पत्र की मंजूरी के समय एक मुश्त एक बार में या दो छः माही किरतों में देय होगा]।

(4) यदि उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रारंभिक प्राधिकार पत्र वर्ष की पहली तिमाही के पश्चात् किसी भी समय मंजूर किया गया हो तो रकम, वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए, उस तिमाही को सम्मिलित करते हुए जिसके प्राधिकार पत्र मंजूर किया गया हो, आनुपातिक दर के आधार पर देय होगी।

1. अधिसूचना क्रमांक 5-4/आठ-परि./2014, दिनांक 30-7-2014 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. खालियर के स्थान पर रायपुर या अन्य शहर जिसे छत्तीसगढ़ शासन निश्चित करे रखा जाना उपर्युक्त होगा।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-3-93-आठ, दिनांक 8-10-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



<sup>1</sup>[(5) A Motor Vehicle covered with National permit granted under sub-section (12) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Transport Authority of other State with a valid authorisation to ply in Chhattisgarh, shall pay tax at the transport check-post at the time of entry in Chhattisgarh. The payment shall be made in cash or through a crossed Bank Draft payable to the Transport Commissioner, Chhattisgarh at <sup>2</sup>[Gwalior] and the same shall be endorsed by the Officer-in-Charge of the check post in the authorisation and such endorsed authorisation shall always be carried with the goods carriage and produced for inspection on demand by any officer of the Transport Department not below the rank of an Assistant Transport Sub-Inspector.]

(6) The tax paid under sub-item (b) of item-V of the First Schedule and additional sum paid under sub-rule (4) of Rule 10 shall not be refundable, but where a Vehicle covered by an authorisation is replaced by another vehicle after obtaining the permission of the Authority granting permit, the tax already paid shall be deemed to have been paid for the replaced vehicle for the period following the date on which the vehicle is replaced.

(7) A motor vehicle brought into the State for temporary use shall be liable to pay tax under sub-section (1) of Section 3 of the Act in accordance with the First Schedule in the following manner :—

- (i) in the case of a Transport Vehicle the tax shall be paid to the Taxation Authority by the owner of such vehicle :—
  - (a) at the time of making an application for countersignature of the permit in the State, or
  - (b) at the time of making an application for grant of a temporary permit to the Transport Authority of other State, as the case may be.
- (ii) in the case of a vehicle other than a transport vehicle the tax shall be paid to the Taxation Authority or the Officer-in-charge of the Transport Check-post by the owner of the motor vehicle at the time of arrival of the motor vehicle in the State :  
Provided that in the case of a motor cycle or a motor car or an invalid carriage brought into the State for temporary use the tax shall not be leviable if the State tax in respect of that motor vehicle has already been paid in another State or Union Territory.
- (iii) The owner of a motor vehicle brought into the State for temporary use which is liable to pay tax shall file a declaration in Form-'H' to the Taxation Authority or the Officer-in-charge of the Transport Check-post at the time of payment of tax on arrival into the state.
- (iv) Where tax is paid by the owner of such motor vehicle, a receipt in Form 'G' shall be granted by the Taxation Authority or such Officer-in-charge, as the case may be.

1. Subs. by Notification No. F. 8-2-99-VIII, dated 20-8-1999.

2. It will be reasonable to replace Gwalior by Raipur or any other city which is directed by Chhattisgarh Govt.

<sup>1</sup>[(5) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले कोई मोटरयान छत्तीसगढ़ में चलाए जाने के लिए वैध प्राधिकार पत्र सहित छत्तीसगढ़ में प्रवेश के समय, परिवहन जाँच चौकी पर कर का संदाय करेगा। संदाय नकद में या परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को <sup>2</sup>[खालियर] में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उसका पृष्ठांकन जाँच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा तथा इस प्रकार पृष्ठांकित प्राधिकारी पत्र सदैव ही मालयान के साथ रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उप-निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, माँग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।]

(6) प्रथम अनुसूची की मद पाँच की उपमद (ख) के अधीन संदत किया गया कर और नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन संदत की गई अतिरिक्त रकम वापसी योग्य नहीं होगी, किन्तु जहाँ प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आने वाला कोई यान, अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राय करने के पश्चात्, दूसरे यान से बदला जाता है तो पूर्व में संदत किए गए कर के बारे में यह समझा जाएगा कि यान को बदले जाने की तारीख के पश्चात् की कालावधि के लिए, बदले गए यान के लिए कर का संदाय किया गया है।

(7) राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाया गया मोटरयान, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित रीति में कर के संदाय का दायी होगा—

- (एक) परिवहन यान के मामले में कर का संदाय, कराधान प्राधिकारी, को ऐसे यान के स्वामी द्वारा, यथास्थिति —
- (क) राज्य में, अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन करते समय किया जाएगा; या
- (ख) अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी को अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन करते समय किया जाएगा;
- (दो) परिवहन यान से भिन्न किसी यान के मामले में कर का संदाय, मोटरयान के स्वामी द्वारा, राज्य में यान के आगमन पर कराधान प्राधिकारी या परिवहन जाँच चौकी के भारसाधक अधिकारी को किया जाएगा :  
परन्तु राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाई गई मोटर साइकिल या मोटर कार या अशक्त यात्री गाड़ी के मामले में यदि उस मोटरयान की बाबत राज्य कर का संदाय अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पूर्व में किया जा चुका है या कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।
- (तीन) राज्य में अस्थायी उपयोग के लिए लाए गए मोटरयान का वह स्वामी, जो कर का संदाय करने का दायी है, राज्य में आगमन पर कर का संदाय करते समय कराधान प्राधिकारी या परिवहन जाँच चौकी के भारसाधक अधिकारी के समक्ष प्ररूप-ज में एक घोषणा फाइल करेगा;
- (चार) जहाँ यान के ऐसे स्वामी द्वारा कर का संदाय कर दिया गया हो वहाँ यथास्थिति कराधान प्राधिकारी या भारसाधक अधिकारी द्वारा प्ररूप-छ में रसीद दी जाएगी।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-2-99-आठ, दिनांक 20-8-1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. खालियर के स्थान पर रायपुर या अन्य शहर जिसे छत्तीसगढ़ शासन निश्चित करे रखा जाना उपर्युक्त होगा।



**1[8-A. Filing of declaration, determination and payment of tax by a fleet owner —** (1) Notwithstanding anything contained in Rule 5, 6, 6A, 7 or 8 a declaration, required to be filed under sub-section (1) of Section 8 of the Act by a fleet owner in respect of stage carriages and reserve stage carriages owned by him shall be in Form H-1 and shall be delivered to the Taxation Authority through a duly authorised representative within ten days from the commencement of the month.

(2) The additional declaration required under sub-section (2) of Section 8 of the Act by a fleet owner in respect of his stage carriages and reserve stage carriages altered during a month shall be in Form H-2 and shall be delivered to the Taxation Authority through a duly authorised representative within ten days from the close of the month.

(3) The declaration under sub-rule (1) or the additional declaration under sub-rule (2), as the case may be, shall be accompanied by a crossed bank draft or paid up treasury challan marked "Original" evidencing the payment of tax which the fleet owner appears to be liable to pay by such declaration or additional declaration.

(4) On receipt of the declaration under sub-rule (1) and the additional declaration under sub-rule (2) for the month, the Taxation Authority, after satisfying itself as to the correctness of the declaration and the additional declaration and after making such enquiries as it deems fit, pass an order in writing determining the amount of tax payable for the month by the fleet owner in respect of his stage carriages and reserve stage carriages and issue the intimation of such order in Form H-3 to be served on the fleet owner in the manner laid down in sub-rule (2) of Rule 15.

(5) If the fleet owner fails to file the declaration under sub-rule (1) or the additional declaration under sub-rule (2), the Taxation Authority shall without delay, proceed *suo motu* to determine the amount of monthly tax payable by the fleet owner on the basis of information available with it and shall proceed to recover the tax so determined in accordance with the Act and these rules.

(6) When the amount of monthly tax payable by the fleet owner in respect of his stage carriages and reserve stage carriages is determined under sub-rule (4) or (5), as the case may be, the difference of tax shall be paid by or refunded to the fleet owner in the manner laid-down in these rules.

(7) The Taxation Authority may for the purposes of this rule require the fleet owner to produce before it any vehicle or any account, register, records or other documents or to furnish any information or may examine the vehicle or the accounts, registers, records or other documents and the fleet owner shall comply with any such requirement.]

**9. Token—**(1) The token, as required to be granted under clause (a) of sub-section (1) of Section 12 of the Act shall be in Form-'I' for monthly, quarterly, half yearly or annual payment of tax, as the case may be, and issued by the Taxation Authority or by a person authorised by it in writing in this behalf.

(2) The token granted under sub-rule (1) shall be exhibited in a conspicuous portion on the rear side of a motor vehicle in circular holder of weather-proof construction and so fitted as to be clearly visible in day light to a person standing beside the motor vehicle in front or in level with the driver's seat.

I. Ins. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

**1[8-क. बेड़ा स्वामी द्वारा घोषणा का फाइल किया जाना, कर का अवधारण और संदाय —** (1) नियम 5, 6, 6-क, 7 या 8 में अंतर्भूत किसी बात के होते हुए भी बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की जाने वाली अपेक्षित की गई घोषणा प्ररूप ज-1 में होगी और मास के प्रारंभ होने के दस दिनों के भीतर सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कराधान प्राधिकारी को परित्त की जाएगी।

(2) बेड़ा स्वामी द्वारा मास के दौरान परिवर्तित की गई मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित की गई अतिरिक्त घोषणा प्ररूप ज-2 में होगी और मास के समाप्त होने के दस दिन के भीतर सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कराधान प्राधिकारी को परित्त की जाएगी।

(3) यथास्थिति, उपनियम (1) के अधीन घोषणा या उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा के साथ ऐसे कर के जिसका संदाय करने के लिए वह बेड़ा स्वामी ऐसी घोषणा या अतिरिक्त घोषणा द्वारा दायी होना प्रतीत होता है, संदाय करने के साक्ष्य स्वरूप रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या "मूल प्रति" अंकित किया हुआ भुगतान शुदा कोषालय चालान, संदाय किया जाएगा।

(4) मास के लिए उपनियम (1) के अधीन घोषणा तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी घोषणा तथा अतिरिक्त घोषणा ठीक होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे एक लिखित आदेश द्वारा, बेड़ा स्वामी द्वारा उसकी मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में मास के लिए देय कर की रकम का अवधारण करेगा तथा नियम 15 के उपनियम (2) में अधिकथित रीति में प्ररूप ज-3 में ऐसे आदेश की सूचना बेड़ा स्वामी पर तामील की जाने के लिए जारी करेगा।

(5) यदि बेड़ा स्वामी उपनियम (1) के अधीन घोषणा या उपनियम (2) के अधीन अतिरिक्त घोषणा फाइल करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी अविलंब उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर बेड़ा स्वामी द्वारा देय मासिक कर की रकम का स्वप्रेरण से अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा अधिनियम और इन नियमों के अनुसार इस प्रकार अवधारित कर की वसूली करने हेतु अग्रसर होगा।

(6) जब, बेड़ा स्वामी द्वारा उसकी मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में देय मासिक कर की रकम का यथास्थिति उपनियम (4) या (5) के अधीन अवधारण किया जाता है तो संदत्त किए गए कर का अंतर है इन नियमों में अधिकथित रीति के अनुसार बेड़ा स्वामी द्वारा संदाय किया जाएगा या उसे वापस किया जाएगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिये कराधान प्राधिकारी बेड़ा स्वामी से उसके समक्ष कोई यान का कोई लेखा, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा यान का लेखा, रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कर सकेगा और बेड़ा स्वामी ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

**9. टोकन —** (1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन यथास्थिति, कर का मासिक, छमाही या वार्षिक संदाय करने के लिए यथा अपेक्षित प्रदान किया जाने वाला टोकन प्ररूप- 'इ' में होगा और कराधान प्राधिकारी द्वारा या इस निर्मित लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त किया गया टोकन ऋतुसह (वेदर प्रूफ) बनाए गए वृत्ताकार होल्डर में मोटरयान के पृष्ठांकन पर किसी सहज दृश्य भाग में प्रदर्शित किया जाएगा और इसे इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे कि वह दिन के प्रकाश में चालक की सीट के सामने से या उसके बराबर स्तर पर मोटरयान की बगल में खड़े किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सके।

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।



(3) A certificate in Form-'J' shall be granted by the Taxation Authority to the owner of a public service vehicle liable for payment of tax under sub-item (d), (e) and (f) of item-IV of the First Schedule.

(4) The token granted under sub-rule (1) and certificate granted under sub-rule (3) shall be kept with the motor vehicle and shall be produced to any Officer of the Transport Department not below the rank of, Assistant Transport Sub-Inspector and any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector of Police, on demand.

(5) No person shall exhibit in the manner provided in this rule any imitation of a token or use on a motor vehicle any token which has become illegible.

(6) (i) If a token is lost, destroyed, defaced or has become illegible, the owner of the motor vehicle shall immediately report the fact to the Taxation Authority which issued the token and apply for the issue of a duplicate token.

(ii) If the original token has become defaced or illegible it shall be returned with the application for the issue of a duplicate token.

(iii) If the Taxation Authority is satisfied that the original token issued by it is lost, destroyed, defaced or has become illegible, it shall issue a duplicate token on payment of a fee of rupees five.

(iv) The duplicate token shall be exhibited as provided in sub-rule (2) of this rule.

(v) If the original token which was reported to have been lost is found after the duplicate has been issued, the owner of the vehicle shall surrender it to the Taxation Authority.

(vi) The fee for issue of duplicate certificate of tax in respect of public service vehicle under sub-items (d), (e) and (f) of item IV of the First Schedule shall be rupees ten.

(7) A photograph of any receipt, challan, token, certificate or any other document shall not be considered as proof in support of having paid the amount due under the Act and if the owner of a motor vehicle produces a photocopy of any such document it shall be deemed as if no proof thereof has been produced.

**19-A. Issue of Special Token—**<sup>2</sup>[(1) Notwithstanding anything contained in these rules, any owner of a goods carriage, who has paid the tax for a particular period, may apply for a monthly or quarterly "Special Token", on payment of the fee fixed by the State Government by an order, from time to time. Different rates of fee may be fixed for the vehicles registered within the State and vehicles registered in other State by the State Government :

Provided that the State Government may, after due assessment of the rate of fee of Special Token reduce them retrospectively, at any time :

Provided further that, the Taxation Authority, on revision of any rate of fee for any month, months or quarter, retrospectively, may adjust the excess amount arising on a previous such token in the next Special Token to be obtained by the owner of goods carriage.]

1. Ins. by Notification No. 356/Tr.D./2001, dated 18-6-2001.

2. Subs. by Notification No. 635/Tr.D./2001, dated 24-9-2001.

(3) प्रथम अनुसूची की मद चार की उप मद (घ), (ङ) और (च) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी किसी लोक सेवायान के स्वामी को कराधान प्राधिकारी द्वारा प्रस्प-“ज” में एक प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किया गया टोकन और उपनियम (3) के अधीन मंजूर किया गया प्रमाण-पत्र मोटरयान के साथ रखा जाएगा और माँग किए जाने पर परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को, जो सहायक परिवहन उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो और किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति इस नियम में उपबंधित की गई रीति में टोकन की किसी अनुकृति (इमिटेशन) का प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे टोकन की, जो अपठनीय हो गया हो, प्रयोग मोटरयान पर नहीं करेगा।

(6) (एक) यदि कोई टोकन गुम, नष्ट, विरुपित या अपठनीय हो जाए तो मोटरयान का स्वामी, उस कराधान प्राधिकारी को जिसने टोकन जारी किया था, तथ्य की तत्काल रिपोर्ट करेगा और टोकन की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(दो) यदि मूल टोकन विरुपित या अपठनीय हो गया हो तो वह टोकन की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ लौटा दिया जाएगा।

(तीन) यदि कराधान प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उसके द्वारा जारी किया गया मूल टोकन गुम, नष्ट, विरुपित हो गया है या अपठनीय हो गया है, तो वह, फीस पाँच रुपए का संदाय किए जाने पर, टोकन की द्वितीय प्रति जारी करेगा।

(चार) टोकन की द्वितीय प्रति इस नियम के उपनियम (2) में उपबंधित किए अनुसार प्रदर्शित की जाएगी।

(पाँच) यदि मूल टोकन, जिसके गुम हो जाने की रिपोर्ट की गई थी द्वितीय प्रति जारी होने के पश्चात् मिल जाता है तो यान का स्वामी उसे कराधान प्राधिकारी को समर्पित कर देगा।

(छह) प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (घ), (ङ) और (च) के अधीन लोक सेवा यान के संबंध में संदत किए गए कर के प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए फीस दस रुपए होगी।

(7) किसी रसीद, चालान, टोकन, प्रमाण-पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की फोटो प्रति को अधिनियम के अधीन शोध्य रकम संदत की जा चुकने के समर्थन में सबूत नहीं माना जाएगा और यदि मोटरयान का स्वामी ऐसे किसी अभिलेख की फोटो प्रति प्रस्तुत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसका कोई सबूत प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

**19-क. स्पेशल टोकन जारी करना—**<sup>2</sup>[(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मालयान का कोई स्वामी जिसने एक विशिष्ट कालावधि के लिए कर का भुगतान कर दिया हो, मासिक या त्रैमासिक “स्पेशल टोकन” के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, निर्धारित की गई फीस, का भुगतान कर आवेदन कर सकेगा। राज्य शासन राज्य के भीतर पंजीकृत वाहनों के लिए तथा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के लिए भिन्न-भिन्न फीस की दरें निर्धारित कर सकेगा :

परन्तु यह कि राज्य शासन स्पेशल टोकन की फीस की दरों का आंकलन करने के पश्चात् उन्हें किसी भी समय पश्चात्पूर्व प्रभाव से कम कर सकेगी :

परन्तु यह और भी कि कराधान प्राधिकारी किसी माह, माहों तथा तिमाही की फीस की किसी दर का पश्चात्पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण होने पर किसी पिछले ऐसे टोकन के संबंध में उद्भूत होने वाली अधिक राशि का समायोजन मालयान के स्वामी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अगले स्पेशल टोकन में किया जा सकेगा।]

1. अधिसूचना क्रमांक 356/परि.वि./2001, दिनांक 18-6-2001 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 635/परि.वि./2001, दिनांक 24-9-2001 द्वारा प्रतिस्थापित।



(2) This 'Special Token' will be of the type, and issued by the Taxation Authority, in the manner prescribed by the Transport Commissioner. The 'Special Token' so issued shall be exhibited on the left-hand side of the front windscreen of the vehicle.

(3) An officer below the rank of Assistant Regional Transport Officer shall not check vehicle exhibiting this 'Special Token'.

**10. Imposition and payment of penalty etc.—**(1) Penalty payable under Section 13 of the Act shall be paid by the owner of the motor vehicle alongwith the amount of tax due and details of the same shall be furnished in the declaration specified under Rule 5 or 6, as the case may be.

(2) On receipt of declaration in Form-'A', 'B' or 'C' the Taxation Authority shall satisfy itself as to the correctness of the amount of penalty paid by the owner and if it is satisfied that such amount has correctly been paid, pass an order to that effect.

(3) If the Taxation Authority, on examination of the declaration, is not satisfied as to the correctness of the amount of penalty paid by the owner, it shall after giving an opportunity of being heard to the owner or his duly authorised agent, pass orders fixing the amount of penalty for the period covered by the declaration.

(4) If the owner of a motor vehicle fails to pay tax within the period laid down under the Act and these rules, the Taxation Authority shall, as early as possible but not later than fifteen days after the expiry of such period, proceed to fix the amount of penalty *suo motu* and shall initiate proceedings to recover the amount of tax, penalty and interest without delay.

**11. Procedure for intimation of non-use of motor vehicle—**(1) For the purpose of clause (i) of sub-section (1) of Section 14 of the Act, the owner shall submit the intimation of non-use before the commencement of the period of non-use in Form-'K' to the Taxation Authority concerned.

(2) The intimation of non-use shall be accompanied by a cash receipt of <sup>1</sup>[Rupees five hundred] to be deposited in the office of the Taxation Authority and shall be presented by the owner or his duly authorised agent to the Taxation Authority.

(3) The owner shall, alongwith the intimation of non-use, deposit the following documents:—

- (i) the certificate of registration;
- (ii) the tax token;
- (iii) the certificate of tax, if any;
- (iv) the certificate of fitness;
- (v) the insurance certificate; and
- (vi) the permit of the vehicle, if any, alongwith a <sup>2</sup>[no objection certificate in Form K-1] from the permit granting Authority:

Provided that 'no objection certificate' referred to in clause (vi) above shall not be required in the case of—

- (a) <sup>2</sup>[a goods carriage or public service vehicle]; and

1. Subs. by Notification No. F-5-43/Two/Eight-Trans./2005, dated 21-10-2005.  
2. Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

(2) वह 'स्पेशल टोकन' उस प्रकार का होगा तथा कराधान प्राधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा विहित किया जाये। ऐसा जारी किया गया 'स्पेशल टोकन' यान के आगे विंड-स्क्रीन के बायें ओर प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) यान जिस पर 'स्पेशल टोकन' प्रदर्शित किया गया हो, उसे सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से नीचे के पद अधिकारी द्वारा जाँच नहीं किया जायेगा।

**10. शास्ति आदि का अधिरोपण और संधाय —** (1) अधिनियम की धारा 13 के अधीन देय शास्ति मोटरयान के स्वामी द्वारा शोध्य कर की रकम के साथ संधत की जाएगी और उसके ब्यौरे यथास्थिति, नियम 5 या 6 के अधीन विनिर्दिष्ट घोषणा में दिए जाएँगे।

(2) प्ररूप- "क", "ख" या "ग" में घोषणा प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी स्वामी द्वारा संधत की गई शास्ति की रकम की शुद्धता के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी रकम सही रूप में संधत की जा चुकी है, तदर्थक आदेश पारित करेगा।

(3) घोषणा का परीक्षण करने पर यदि कराधान प्राधिकारी का, स्वामी द्वारा संधत की गई शास्ति की रकम की शुद्धता के संबंध में समाधान नहीं होता है तो वह यान के स्वामी को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् घोषणा के अंतर्गत आने वाली कालावधि के लिए शास्ति की रकम नियत करते हुए, आदेश पारित करेगा।

(4) अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन अभिकथित कालावधि के भीतर, यदि मोटरयान का स्वामी कर संधत करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, किन्तु ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर स्वप्रेरणा से शास्ति की रकम नियत करने के लिए कार्यवाही करेगा और कर शास्ति और ब्याज की रकम वसूल करने के लिए अविलंब कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

**11. मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया —** (1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के प्रयोजन के लिए, स्वामी प्ररूप "ट" में, उपयोग न किए जाने की कालावधि प्रारंभ होने के पूर्व उपयोग न किए जाने की सूचना संबंधित कराधान प्राधिकारी को देगा।

(2) उपयोग न किए जाने की सूचना कराधान प्राधिकारी में कार्यालय के जमा किए जाने वाले <sup>1</sup>[पाँच सौ रुपए] की नकद रसीद के साथ लगाई जाएगी और स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कराधान प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) स्वामी, उपयोग न किए जाने की सूचना के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज जमा करेगा —

- (एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र,
- (दो) कर टोकन,
- (तीन) कर का प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो,
- (चार) उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र,
- (पाँच) बीमा प्रमाण-पत्र, और
- (छह) यान का अनुज्ञापत्र, यदि कोई हो, और उसके साथ अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी का <sup>2</sup>[प्ररूप ट-1 में आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र] :

परन्तु उपरोक्त खण्ड (छ:) में निर्दिष्ट आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र, निम्नलिखित के मामले में अपेक्षित नहीं होगा —

- (क) <sup>2</sup>[माल यान या प्राइवेट सेवा यान]; और

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-5-43/दो/आठ-परि./2005, दिनांक 21-10-2005 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



- (b) a public service vehicle if the permit has been cancelled or suspended by any Court, Tribunal or Authority.

(4) The intimation of non-use shall specify the postal address of the place, in the appropriate space in Form-'K' where the motor vehicle shall be kept during the period of non-use.

(5) The Taxation Authority shall, after satisfying itself that the intimation of non-use is complete in all respects and that it is accompanied by a cash receipt and the documents referred to in sub-rules (2) and (3) respectively, issue the acknowledgement to the person presenting the intimation :

<sup>1</sup>[Provided that if the intimation of non-use of motor vehicle is not accompanied by a 'no objection certificate' referred to in clause (vi) of sub-rule (3), the Taxation Authority after satisfying itself that there are sufficient reasons for keeping the public service vehicle in non-use may, issue the acknowledgement for a period not exceeding the period applied for :

Provided further that the Taxation Authority shall not allow the non-use of vehicle for a period less than the period applied for without giving to the owner an opportunity of being heard.]

(6) An intimation of non-use which is incomplete or does not satisfy the requirements of sub-rules (1) to (4) of this rule, may be returned to the person presenting it and in such case it shall be deemed as if no such intimation has been submitted.

(7) Every intimation of non-use acknowledged under sub-rule (5) by the Taxation Authority shall be entered serially in a register kept in Form 'L' in the office of the Taxation Authority and each entry made therein shall be initialed by an officer authorised in writing in that behalf by the Taxation Authority. The Taxation Authority itself shall, on the last day of every month check and sign the register below the last entry made.

(8) On the expiry of every month, the Taxation Authority shall get a list prepared of all the motor vehicles in respect of which intimation of non-use has been acknowledged and entered in the register during the month, and copies thereof shall be supplied to such officers of the Transport Department as the Transport Commissioner, by an order in writing, may specify.

(9) The Taxation Authority may inspect any motor vehicle kept in non-use and shall get all such motor vehicles inspected by a subordinate officer not below the rank of an Assistant Sub-Inspector of Transport and whenever such inspections are made, the reports thereof shall be entered in the register referred to in sub-rule (7).

(10) The owner shall not remove the motor vehicle from the specified place to any other place except with the prior written permission of the Taxation Authority concerned and if the motor vehicle is removed in contravention of this sub-rule, the owner shall not be entitled to any refund of tax.

(11) If the owner wishes to extend the period of non-use already allowed, he shall submit a fresh intimation of non-use and such intimation shall be dealt with by the Taxation Authority as if a fresh intimation has been submitted and the provisions of sub-rules (1) to (9) of this rule shall apply thereto.

1. Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

- (ख) लोक सेवा यान, यदि अनुज्ञा-पत्र किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित किया गया है।

(4) उपयोग न किए जाने की सूचना में उस स्थान का, जहाँ उपयोग न किए जाने की कालावधि के दौरान मोटरयान रखा जाएगा, प्ररूप "ट" में समुचित स्थान में, डाक का पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि उपयोग न किए जाने की सूचना सभी प्रकार से पूर्ण है तथा उसके साथ नकद रसीद और उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट दस्तावेज, यथाक्रम में लगे हैं, सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिस्वीकृति जारी करेगा :

<sup>1</sup>[परन्तु यदि मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के साथ उपनियम (3) के खण्ड (छह) में निर्दिष्ट "आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र" संलग्न नहीं किया जाता है तो कराधान प्राधिकारी अपना स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् कि लोक यान का उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण है, आवेदित कालावधि से अनाधिक कालावधि के लिए अभिस्वीकृति जारी कर सकेगा :

परन्तु यह और कि कराधान प्राधिकारी स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदित कालावधि से कम कालावधि के लिए यान का उपयोग न किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा।]

(6) उपयोग न किए जाने की कोई सूचना, जो अपूर्ण हो या इस उपनियम (1) से (4) तक की अपेक्षाओं का समाधान न करती हो, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटाई जा सकेगी और ऐसे मामले में यह समझा जाएगा कि कोई सूचना दी ही नहीं गई है।

(7) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपनियम (5) के अधीन उपयोग न किए जाने की प्रत्येक ऐसी सूचना की, जिसकी अभिस्वीकृति दी गई है, प्रविष्टि कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में प्ररूप "ठ" में रखे गए एक रजिस्टर में क्रमानुसार की जाएगी और कराधान अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि पर आद्याक्षर किए जाएंगे, कराधान प्राधिकारी प्रत्येक मास के अंतिम दिन रजिस्टर की जाँच स्वयं करेगा और उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के नीचे हस्ताक्षर करेगा।

(8) प्रत्येक मास की समाप्ति पर कराधान प्राधिकारी ऐसे समस्त मोटरयानों की, जिनके संबंध में उपयोग न किए जाने की सूचना की अभिस्वीकृति दी गई है और मास के दौरान रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है, एक सूची तैयार करवाएगा और उसकी प्रतियाँ परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को प्रदाय करेगा जिन्हें परिवहन आयुक्त लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(9) कराधान प्राधिकारी उपयोग न किए जाने के लिए रखे गए किसी मोटरयान का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे समस्त मोटरयानों का निरीक्षण ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से, जो सहायक उप-परिवहन निरीक्षक की पद श्रेणी से नीचे का न हो, कराएगा और जब भी ऐसे निरीक्षण किए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट की प्रविष्टि उपनियम (7) में निर्दिष्ट रजिस्टर में की जाएगी।

(10) स्वामी मोटरयान को विनिर्दिष्ट स्थान से किसी अन्य स्थान पर संबंधित कराधान प्राधिकारी की पूर्ण लिखित अनुमति के सिवाय नहीं हटाएगा और यदि मोटरयान को इस उपनियम के उल्लंघन में हटाया जाता है तो स्वामी कर की किसी वापसी का हकदार नहीं होगा।

(11) यदि स्वामी पहले से अनुज्ञात उपयोग न किए जाने की कालावधि को बढ़ाने का इच्छुक है तो वह उपयोग न किए जाने की नई सूचना प्रस्तुत करेगा और कराधान प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना पर यह मानकर कार्यवाही की जाएगी कि नई सूचना दी गई है और इस नियम के उपनियम (1) से (9) तक के उपबंध उसे लागू होंगे।

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



(12) The owner shall be liable to pay tax for the period commencing after the last day of the period for which the intimation of non-use was acknowledged irrespective of whether he has taken possession of the documents deposited with the Taxation Authority after the expiry of such period or not.

**12. Procedure for intimation of non-use of permit**—<sup>1</sup>[(1) Notwithstanding anything contained in Rule 11, the holder of a Stage Carriage, Contract Carriage or an All India Tourist Permit granted under Sections 72, 74 or 88 (9) of the Motor Vehicles Act, 1988, respectively, may deposit the permit, with an application in Form-M, with, with the Taxation Authority for any of the following reasons :—

- The Mechanical breakdown (due to accident or otherwise) or repair and maintenance of the vehicle.
- Non-motorability or route due to heavy rains or otherwise.
- Non-operation on account of an order of any Court, Tribunal or Authority.
- Non-operation on account of Holi festival.
- Non-operation on account of requisition of vehicle in respect of election work or law and order duty :

Provided that a holder of a Stage Carriage service permit having one or more reserve vehicles shall not be allowed to deposit such permit on the ground mentioned in clause (a) above :

Provided further that the permit holder may give intimation of non-use of permit in Form-M, if he desires, once for three months after paying Motor Vehicles Tax in advance for three months.]

<sup>2</sup>[(1-A) The permit holder shall pay Motor Vehicle Tax in advance in accordance with sub-item (e) of item-IV of the First Schedule of the Act along with declaration in Form-M for non-use of permit.]

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a cash receipt of <sup>3</sup>[rupees five hundred] to be deposited in the office of the Taxation Authority, and shall be presented by the permit holder or his duly authorised agent to the Taxation Authority.

(3) The permit holder shall, alongwith the <sup>4</sup>[application] of non-use of permit, deposit, the following documents :—

- the certificate of tax, and
- a <sup>4</sup>[no objection certificate in Form-M-I] from the permit granting Authority in case of (a) and (b) of sub-rule (1), or
- certified copy of the order in case of (c) of sub-rule (1).

(4) The Taxation Authority shall, after satisfying itself that the application for the non-use of permit is complete in all respects and that the requirements of sub-rule (2) and (3) have been fulfilled, issue the acknowledgement to the person presenting the application :

- Subs. by Notification No. F. 8-6-98-VIII, dated 23-7-1999.
- Ins. by Notification No. F. 8-6-98-VIII, dated 23-7-1999.
- Subs. by Notification No. F-5-43/Two/Eight-Trans./2005, dated 21-10-2005.
- Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

(12) स्वामी उस कालावधि के जिसके लिए उपयोग न किए जाने की सूचना की अभिव्यक्ति दी गई थी, अंतिम दिन के पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए कर संदाय करने का दायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि चाहे उसने कराधान प्राधिकारी के पास से जमा किए गए दस्तावेजों का कब्जा ऐसी कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

**12. अनुज्ञापन का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए प्रक्रिया**—<sup>1</sup>[(1) नियम 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 72, 74 या 88(9) के अधीन मंजूर किए गए क्रमशः मंजिली गाड़ी, टेला गाड़ी या आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट धारक अपना अनुज्ञा-पत्र प्ररूप “5” में आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण से कराधान प्राधिकारी के पास जमा कर सकेगा—

- यानों की यांत्रिकी का (दुर्घटना का अन्य कारण से) ठप हो जाना या उसकी मरम्मत और अनुरक्षण;
- भारी वर्षा या अन्य कारण से मार्ग का मोटर चलाने जाने योग्य नहीं होना;
- किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के आदेश के कारण प्रचालन न होना;
- होली के त्यौहार के कारण प्रचालन न होना;
- निर्वाचन कार्य या विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्य की दृष्टि से यान से अधिग्रहण के कारण प्रचालन न हो :

परन्तु एक या एक से अधिक आरक्षित यान रखने वाले मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र के धारक को ऊपर खण्ड (क) में वर्णित आधार पर ऐसा अनुज्ञा-पत्र जमा करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञा-पत्र का उपयोग नहीं किए जाने की सूचना, यदि वह ऐसा चाहता है तो, तीन मास के लिए मोटरवाहन कर अग्रिम में चुकाने के पश्चात्, तीन मास में एक बार प्ररूप “5” में दे सकेगा।]

<sup>2</sup>[(1-क) अनुज्ञा-पत्र धारक, अनुज्ञा-पत्र का उपयोग न किए जाने का प्ररूप “ड” में घोषणा के साथ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद-चार की उप-मद (ड) के अनुसार मोटरवाहन कर अग्रिम में चुकाएगा।]

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र के साथ कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए गए <sup>3</sup>[पाँच सौ रुपये] की नकद रसीद संलग्न की जाएगी और अनुज्ञा-पत्र के धारक या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा कराधान प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अनुज्ञा-पत्र धारक, अनुज्ञा-पत्र का उपयोग न किए जाने के <sup>4</sup>[आवेदन] के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें जमा करेगा—

- कर का प्रमाण-पत्र; और
- उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) की दशा में अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी से <sup>4</sup>[प्ररूप ड-1 में आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र]; या
- उपनियम (1) में खण्ड (ग) की दशा में आदेश की प्रमाणित प्रति।

(4) कराधान प्राधिकारी, स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि अनुज्ञा-पत्र का उपयोग न किए जाने के लिए आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और उपनियम (2) और (3) की अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है, आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिव्यक्ति जारी करेगा :

- अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-6-98-आठ, दिनांक 23-7-1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
- अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-6-98-आठ, दिनांक 23-7-1999 द्वारा अन्तःस्थापित।
- अधिसूचना क्रमांक एफ-5-43/दो/आठ-पार./2005, दिनांक 21-10-2005 द्वारा प्रतिस्थापित।
- अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



<sup>1</sup>[Provided that if the application for deposit of permit is not accompanied by a 'no objection certificate' referred to in clause (ii) of sub-rule (3) and if the Taxation Authority after an enquiry is satisfied that any of the reasons referred to in sub-rule (1) for depositing the permit exists, it may, issue the acknowledgement for a period not exceeding the period applied for:

Provided further that the Taxation Authority shall not allow the deposit of permit for a period less than the period applied for without giving to the holder an opportunity of being heard.]

(5) An application which is incomplete or does not satisfy the requirements of sub-rules (1) to (3) of this rule may be returned to the person presenting it and in that case it shall be deemed as if no such application has been presented.

(6) Every application acknowledged under sub-rule (4) by the Taxation Authority shall be entered serially in a register kept in Form 'N' in the office of the Taxation Authority and each entry made therein shall be checked and initialled by the Taxation Authority the same day.

(7) After the expiry of every month, the Taxation Authority shall get a list prepared of all the permits deposited under this rule and entered in the register during the month, and copies thereof shall be supplied to such officers of the Transport Department as the Transport Commissioner, by an order in writing, may specify.

(8) If the permit holder wishes to extend the period of deposit of permit already allowed, he shall apply afresh and such application shall be dealt with by the Taxation Authority as if a fresh application has been made and provisions of sub-rules (1) to (7) of this rule shall apply thereto.

(9) The permit holder shall be liable to pay tax at the original rate for the period commencing after the last day of the period for which the application for the non-use of permit is acknowledged, irrespective of whether he has taken possession of the permit deposited with the Taxation Authority after the expiry of such period.

(10) Nothing in this rule shall apply to a temporary permit granted under Section 87 or a special permit under sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(11) Where a permit has been deposited under this rule, the permit holder shall not operate the service on the route of the permit during the period for which the permit has been deposited.

(12) Where a permit is allowed to be deposited by the Taxation Authority, the lower rate of tax, for the purposes of computing refund under clause (ii) of sub-section (1) of Section 14 of the Act, shall be the rate of tax specified for a spare bus in sub-item (e) of item-IV of the First Schedule.

**13. Procedure, etc. for intimation of non-operation of motor vehicle in unforeseen circumstances—**(1) For the purposes of claiming refund of tax under the proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Act an intimation in respect of, on operation of motor vehicle on the route shall be given by the owner of motor vehicle or his duly authorised agent to the Taxation Authority in Form-'O'.

1. Ins. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

<sup>1</sup>[परन्तु यदि अनुज्ञा-पत्र को जमा करने के लिए आवेदन के साथ उपनियम (3) के खण्ड (दो) में निर्दिष्ट "आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र" संलग्न नहीं किया जाता है और यदि जाँच के पश्चात् कराधान अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञा-पत्र को जमा करने के लिए उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कारणों में से कोई कारण विद्यमान है तो वह आवेदित कालावधि से अनधिक कालावधि के लिए अभिस्वीकृति जारी कर सकेगा : परन्तु यह और कि कराधान प्राधिकारी धारक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आवेदित कालावधि से कम से कालावधि के लिए अनुज्ञा-पत्र को जमा करना अनुज्ञात नहीं करेगा।]

(5) कोई आवेदन-पत्र जो अपूर्ण है या इस नियम के उपनियम (1) से (3) तक की अपेक्षाओं का समाधान नहीं करता है, उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को लौटाया जा सकेगा और उस मामले में यह समाप्त जाएगा कि ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

(6) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन अभिस्वीकृत प्रत्येक आवेदन-पत्र की प्रविष्टि कराधान प्राधिकारी के कार्यालय में प्ररूप "उ" में रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार की जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि की कराधान द्वारा उस दिन जाँच पड़ताल की जाएगी और आद्यक्षरित की जाएगी।

(7) प्रत्येक मास की समाप्ति पश्चात्, कराधान प्राधिकारी इस नियम के अधीन जमा किए गए समस्त अनुज्ञा-पत्रों की सूची तैयार कराएगा और मास के दौरान रजिस्टर में प्रविष्टि कराएगा और उसकी प्रतियाँ परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को प्रदाय की जाएगी जिन्हें कि परिवहन आयुक्त लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(8) यदि अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञा-पत्र के जमा करने की पूर्व से अनुज्ञात कालावधि को बढ़ाने का इच्छुक है तो वह नवीन आवेदन-पत्र देगा और कराधान प्राधिकारी ऐसे आवेदन-पत्र यह मानकर कार्यवाही करेगा कि नया आवेदन-पत्र दिया गया है और उसे इस नियम के उपनियम (1) से (7) तक के उपबंध इस संबंध में लागू होंगे।

(9) अनुज्ञा-पत्र धारक उस कालावधि के जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र के उपयोग न किए जाने की सूचना को अभिस्वीकृति दी गई थी, अंतिम दिन के पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए मूल दर से कर का संदाय करने का दायी होगा, इस बात के होते हुए भी कि चाहे उसने कराधान प्राधिकारी के पास से जमा किए गए अनुज्ञा-पत्र का कब्जा ऐसी कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

(10) इस नियम में की कोई भी बात मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन मंजूर किए गए किसी विशेष अनुज्ञा-पत्र को लागू नहीं होगी।

(11) जहाँ कोई अनुज्ञा-पत्र इस नियम के अधीन जमा किए जाएँ वहाँ अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञा-पत्र के मार्ग पर, इस कालावधि के दौरान जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र जमा किया गया है, सेवा का प्रचालन नहीं करेगा।

(12) जहाँ कराधान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जमा किया जाना अनुज्ञात किया जाए वहाँ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन कर की वापसी की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कर की निचली दर की प्रथम अनुसूची की मद चार की उपमद (ड) में अतिरिक्त बस के लिए विनिर्दिष्ट कर की दर होगी।

**13. अकल्पित परिस्थितियों में मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया आदि—**(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कर की वापसी का दावा करने के प्रयोजन के लिए, मोटरयान के स्वामी द्वारा या सम्यक् रूपेण प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा कराधान प्राधिकारी को मोटरयान के मार्ग पर न चलाए जाने के संबंध में एक सूचना, प्ररूप "ण" में दी जाएगी।

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।



(2) Such refund shall be admissible only when it has not been possible to operate the vehicle on the route for any of the following reasons :—

- (i) Owing to flood, earthquake or any other natural calamity resulting in obstruction on the route;
- (ii) Owing to any prohibitory orders under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) or any other law and order situation; or
- (iii) Where the motor vehicle (has been damaged in an accident) becomes unserviceable due to an accident.

(3) The intimation of non-operation of motor vehicle on the route shall be given at the earliest but not later than ten days from the date of commencement of non-operation, and the same shall be accompanied by—

- (i) a cash receipt of rupees ten;
- (ii) 'a certificate in Form-'O-1' from the Sub-Divisional Officer of the Public Works Department in-charge of the road, regarding the non-motorability of route in case of clause (i) of sub-rule (2); or
- (iii) a copy of the order or a certificate from the Sub-Divisional Police Officer or Sub-Divisional Magistrate certifying the promulgation of prohibitory order or the law and order situation resulting in non-operation of vehicle on the route, as the case may be, in case of clause (ii) of sub-rule (2); or
- (iv) a copy of First Information Report lodged with police together with a copy of an intimation for a claim for compensation given to insurance company, in case of clause (iii) of sub-rule (2) :

<sup>2</sup>[Provided that the State Government in special circumstances and for the reasons to be recorded in writing may, by a general order, extend the aforesaid period for presentation of the intimation of non-operative of motor vehicle.]

(4) The Taxation Authority, after satisfying itself that the intimation of non-operation of motor vehicle on the route is complete in all respects and that the requirements of sub-rule (3) have been fulfilled, shall issue the acknowledgement to the person presenting the intimation.

(5) An intimation which is incomplete or does not fulfil the requirements of sub-rules (1) to (3) may be returned to the person presenting it and in that case it shall be deemed as if no such intimation has been presented.

(6) Every intimation acknowledged under sub-rule (4) by the Taxation Authority shall be entered serially in a register kept in Form-'P' in the office of the Taxation Authority and each entry made therein shall be checked and initialled by the Taxation Authority the same day.

(7) Nothing in this rule shall apply to a temporary permit granted under Section 87 or a special permit under, sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

1. Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.
2. Ins. by Notification No. 22-15-93-VIII, dated 19-3-1993.

(2) ऐसी वापसी केवल तभी अनुज्ञेय होगी जबकि निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से मार्ग पर मोटरयान का चलाया जाना संभव नहीं रहा हो—

- (एक) बाढ़, भूकम्प या कोई अन्य प्राकृतिक विपत्ति के कारण के परिणामस्वरूप मार्ग पर बाधा उत्पन्न हो गई हो;
- (दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 144 की अधीन किसी प्रतिबंधात्मक आदेश या अन्य विधि और व्यवस्था की स्थिति के कारण; या
- (तीन) जहाँ मोटरयान किसी दुर्घटना के कारण चलाए जाने योग्य नहीं रह गया हो।

(3) मार्ग पर मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना यथासंभव शीघ्र दी जाएगी किन्तु ऐसी सूचना उसके न चलाए जाने की कालावधि प्रारंभ होने की तारीख से, दस दिन के पश्चात् नहीं दी जाएगी और ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे,—

- (एक) दस रुपए की नगद रसीद;
- (दो) उपनियम (2) के खण्ड (एक) की दशा में, लोक निर्माण विभाग सड़क के प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी से मार्ग, यान के चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त होने संबंधी प्ररूप '1' 'ण-1' में प्रमाण-पत्र; या
- (तीन) यथास्थिति, उपनियम (2) के खण्ड (दो) की दशा में, आदेश की एक प्रति अथवा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश की उद्घोषणा को अथवा विधि और व्यवस्था की उस स्थिति को, अभिप्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र जिसके कि परिणामस्वरूप मार्ग पर यान न चलाया जा सकता हो; या
- (चार) उपनियम (2) के खण्ड (तीन) की दशा में, पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए किए गए दावे की सूचना की एक प्रति के साथ :

<sup>2</sup>[परन्तु राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में तथा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, साधारण आदेश द्वारा, मोटरयान के न चलाए जाने की सूचना प्रस्तुत करने के लिए, पूर्वोक्त कालावधि को बढ़ा सकेगी।]

(4) करानियम प्राधिकारी स्वयं का यह समाधान करने के पश्चात् कि मार्ग पर मोटरयान न चलाए जाने की सूचना सभी प्रकार से पूर्ण है और उपनियम (3) की अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी गई है, सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(5) कोई सूचना जो अपूर्ण है या उपनियम (1) से (3) तक की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करती है, प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वापस की जा सकेगी और उस दशा में यह समझा जाएगा मानों कि ऐसी सूचना प्रस्तुत ही नहीं की गई।

(6) उपनियम (4) के अधीन करानियम प्राधिकारी द्वारा अभिस्वीकृत की गई प्रत्येक सूचना की करानियम प्राधिकारी कार्यालय में प्ररूप "त" में रखे गए रजिस्टर में क्रमानुसार प्रविष्टि की जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि की करानियम प्राधिकारी द्वारा उसी दिन जाँच पड़ताल की जाएगी और वह आद्याक्षरित की जाएगी।

(7) इस नियम में की गई कोई भी बात मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मंजूर किए गए किसी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन मंजूर किए गए किसी विशेष अनुज्ञा-पत्र को लागू नहीं होगी।

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक 22-15-93-आठ, दिनांक 19-3-1993 द्वारा अन्तःस्थापित।



(8) Where an intimation of non-operation of motor vehicle on the route is acknowledged under this sub-rule (8) the refund of tax under the provision to sub-section (1) of Section 14 may be made in the manner laid down in Rule 14.

(9) The refund of tax under proviso to sub-section (1) of Section 14 of the Act shall be limited to thirty days in a year.

Provided that no refund shall be admissible under the said proviso to a permit holder who operates a reserve stage carriage on the route in a case covered under clause (iii) of sub-rule (2):

<sup>1</sup>Provided further that in a case falling under sub-rule (2) of Rule 13-A, if the Taxation Authority after an enquiry is satisfied that the non-motorability of part route has continued for a period exceeding thirty days, it may allow refund of tax for the full period during which the part route remained non-motorable:

Provided also that refund of tax for a period exceeding 120 days in a case falling under sub-rule (2) of Rule 13-A shall be allowed with the prior approval of Deputy Transport Commissioner/Transport Commissioner.]

<sup>2</sup>13-A. Procedure for intimation for non-use of permit etc. on part route—(1) If a stage carriage permit, granted in respect of a route which remains non-motorable partly during rainy season, contains a condition to the effect that during the period specified therein the permit shall be valid only for the specified part route, then the Tax payable in respect of the vehicle covered by such permit during such specified period shall be calculated in a slab worked out after excluding the non-motorable part route.

(2) If a stage carriage permit has been granted in respect of a route, a part of which remains non-motorable during rainy season and the permit does not contain any condition governing the part-route operations, then the procedure contained in Rule 13 shall, in so far as may be applicable, apply for intimating the non-operation of vehicle on the non-motorable part-route.]

14. Procedure for refund—(1) The refund of tax shall be sanctioned by the Taxation Authority or by such officer, as may be, authorised by the State Government in this behalf.

(2) Any person claiming a refund of tax under sub-section (1) of Section 14 of the Act shall present to the Taxation Authority to which the tax was originally paid, an application in Form 'Q' accompanied by:—

- the proof of payment of tax in original or certified copy thereof, and
- the acknowledgement issued by the Taxation Authority under sub-rule (3) of Rule 11 or sub-rule (4) of Rule 12 or sub-rule (4) of Rule 13, as the case may be, or
- the proof as required in clause (a), (b) or (c) of sub-section (2) of Section 14 of the Act in the case of refund of life time tax;

1. Ins. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

2. Ins. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.

(8) जहाँ मार्ग पर मोटरवाहन न चलाने का सूचना अधिनियम (1) के अधीन अभिलेखीकृत की जाए, वहीं धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत कर की वापसी नियम 14 में निर्धारित रीति में की जा सकेगी।

(9) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत कर की वापसी एक वर्ष में तीस दिन तक एक सीमित रहेगी :

परन्तु उक्त परन्तुक के अधीन किसी अनुज्ञापन धारक को जो मार्ग पर आरक्षित पब्लिक गाड़ी चलाता हो, अधिनियम (2) के खण्ड (तीस) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में कोई वापसी प्राप्त नहीं होगी :

<sup>1</sup>परन्तु यह और कि नियम 13-क के अधिनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में यदि बीच के परन्तुक करवाहन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अधिक मार्ग पर मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्तता तीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए जारी रही है तो वह ऐसी संपूर्ण कालावधि के लिए जिसके दौरान आंशिक मार्ग मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहा, कर की वापसी अनुज्ञापन धारक को सकेगा :

परन्तु यह भी कि नियम 13-क के अधिनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में 120 दिन से अधिक की कालावधि के लिए कर की वापसी उप परिवहन आयुक्त/परिवहन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञापन की जाएगी।]

<sup>2</sup>13-क. मार्ग के भाग पर अनुज्ञापन-पत्र आदि का उपयोग न किए जाने की सूचना देने के लिए प्रक्रिया—(1) यदि किसी ऐसे मार्ग की वास्तु, जो वर्षाकाल में आंशिक रूप से गलत चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहता है और उस मार्ग के संबंध में स्वीकृत पब्लिक गाड़ी अनुज्ञापन-पत्र में, इस आशय की बात अंतर्निहित है कि अनुज्ञापन-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान मार्ग के केवल विनिर्दिष्ट भाग के लिए वैध रहेगा तो ऐसे अनुज्ञापन के अंतर्गत आने वाले यात्रा की वास्तु ऐसे विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान गैर चलाने की गणना मान चलाए जाने के अनुपयुक्त भाग को छोड़कर निकाले गए स्लेब के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि किसी पब्लिक गाड़ी का अनुज्ञापन किसी ऐसे मार्ग की वास्तु संबंधित किया गया है जिसका कि भाग वर्षा ऋतु में गलत चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त रहता है और अनुज्ञापन में आंशिक मार्ग पर चलाए जाने की विनियमित करने वाली कोई शर्त अंतर्निहित नहीं है तो नियम 13 में अंतर्निहित प्रक्रिया जारी तक लागू हो सकेगी हो, मोटर चलाए जाने के लिए अनुपयुक्त आंशिक मार्ग पर यात्रा का प्रचालन न किए जाने की प्रमाणना देने के लिए लागू होगी।]

14. वापसी के लिए प्रक्रिया—(1) कर की वापसी की स्वीकृति करवाहन प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे।

(2) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कर की वापसी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति प्रारंभ "ब" में एक आवेदन-पत्र उस करवाहन प्राधिकारी को जितने कर का मूलना संदाय किया गया था, निम्नलिखित संलग्न कर प्रस्तुत करेगा—

- कर के संदाय का मूल गृह रूप में या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, और
- करवाहन प्राधिकारी द्वारा, कालावधि नियम 11 के अधिनियम (5) या नियम 12 के अधिनियम (4) या नियम 13 के अधिनियम (4) के अधीन जारी की गई अभिलेखीकृत; या
- जीवन काल कर की वापसी के मामले में धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में यथा उपस्थित मूल;

1. अधिनियम क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा अंत:स्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक एक. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा अंत:स्थापित।



1[(d) the certificate or the copy of the order required to be submitted alongwith the intimation under sub-rule (3) of Rule 13, if the same was not submitted alongwith the intimation.]

(3) On receipt of an application under sub-rule (1), the Taxation Authority shall verify the particulars contained in the application and the enclosures thereto and, if satisfied that :—

- (a) the particulars contained in the application are correct;
- (b) the motor vehicle was not used during the period of non-use in case the refund is claimed under clause (i) of sub-section (1) of Section 14; and
- (c) all the conditions laid down in these rules for the refund of tax are fulfilled;

it shall subject to the provisions of Section 14 of the Act, sanction the refund if it is competent to do so, to the extent laid down in sub-rule (5) and issue a refund voucher in Form-'R' to the owner.

(4) If the Taxation Authority itself is not competent to sanction the refund of tax, the application for refund shall be forwarded by the Taxation Authority with its report to the officer competent to sanction such refund and on receipt of orders on the application from such officer, the Taxation Authority shall issue a refund voucher in Form-'R', to the owner in accordance with such orders.

(5) The refund of tax shall be payable at the following rates :—

- (a) In case of a motor vehicle not used during the quarter, half year or year or a part thereof :
  - (i) Where the vehicle is not used for the whole of the quarter, half year or year for which the tax has been paid. 100 per cent.
  - (ii) Where the vehicle is not used for any full month or months of a quarter, half year or year for which the tax has been paid. No. of months of non-use/ No. of months for which the tax was paid x 100%
- (b) In case where a vehicle after having paid tax for a quarter, subsequently attracts liability for the payment of a lower rate of tax due to alteration etc. :—
  - (i) for a period of one month (Amount of tax paid minus the quarterly rate of tax due had the vehicle been liable to the lower rate of tax from the beginning of the quarter) x 1/3.
  - (ii) for a period of two months (Amount of tax paid minus the quarterly rate of tax due had the vehicle been liable for the lower rate of tax from

1. Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

1[(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन सूचना के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र या आदेश की प्रति, यदि उसे सूचना के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।]

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी आवेदन-पत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियों पर उसके संलग्नकों को सत्यापित करेगा और यदि यह समाधान हो जाता है कि —

- (क) आवेदन-पत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टियाँ सही हैं;
- (ख) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन व दावा किए जाने के मामले में उपयोग न किए जाने की कालावधि के दौरान मोटरयान का प्रयोग नहीं किया था; और
- (ग) इन नियमों में अधिकृत कर की वापसी के लिए समस्त शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि वह ऐसा करने के लिए सक्षम है, उपनियम (5) में अधिकृत सीमा तक वापसी स्वीकृत करेगा और स्वामी को प्ररूप "द" में एक वापसी वाउचर जारी करेगा।

(4) यदि कराधान प्राधिकारी कर की वापसी स्वीकृत करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है तो कराधान प्राधिकारी द्वारा वापसी का आवेदन-पत्र, अपनी रिपोर्ट के साथ ऐसी वापसी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा और ऐसे अधिकारी से आवेदन-पत्र पर आदेश प्राप्त होने पर कराधान प्राधिकारी ऐसे आदेश के अनुसार स्वामी को वापसी वाउचर प्ररूप "द" में जारी करेगा।

(5) कर की वापसी निम्नलिखित दर से देय होगी, —

- (क) तिमाही, छः माही या वर्ष या उसके भाग के दौरान मोटरयान का उपयोग न किए जाने के मामले में —
  - (एक) जहाँ यान का, उस संपूर्ण तिमाही, छः माही या वर्ष के दौरान, जिसके लिए कर का संदाय किया गया है, उपयोग नहीं किया जाता है। 100%
  - (दो) जहाँ यान का उस तिमाही, छः माही या वर्ष के दौरान, जिसके लिए कर का संदाय किया गया है, किसी संपूर्ण मास या मासों में उपयोग नहीं किया जाता है। उपयोग न किए जाने वाले भागों की संख्या ..... x 100% मासों की संख्या, जिनके लिए कर का संदाय किया गया था।
- (ख) उस मामले में जहाँ यान, तिमाही के लिए कर का संदाय किए जाने के पश्चात्, परिवर्तन आदि के कारण निचली दर पर कर का संदाय करने के लिए बाद में दायित्व आकर्षित करता है —
  - (एक) एक मास की कालावधि के लिए (संदर्भ की गई कर की रकम में से शोध्य कर की तिमाही दर को घटाकर यदि यान तिमाही के प्रारंभ से ही कर को निचली दर से संदाय करने का दायी हुआ होता)  $\times 1/3$
  - (दो) दो मास की कालावधि के लिए (संदर्भ की गई कर की रकम में से शोध्य कर की तिमाही दरों को घटाकर यदि यान तिमाही के प्रारंभ से ही कर को निचली दर

1. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



- (c) In case where life time tax has been paid
- 1[(d-1) In case of non-use of the month permit as per Rule 12.

- (d-2) In case of non-operation of route as per Rule 13.

- (e) In case of amount paid by mistake or in excess

Provided that no refund shall be granted —

- if the application for refund is not presented within two months of the expiry of the period in respect of which a refund is claimed on account of non-use of motor vehicle;
- if the application for refund is not presented within two months from the date on which the owner became entitled to a lower rate of tax;
- if the application for refund of life time tax is not presented within two months from the date on which the motor vehicle is permanently removed from the State, destroyed or converted or used as a transport vehicle;
- if the application for refund under the proviso to sub-section (1) of Section 14 of the Act is not presented within two months from the commencement of non-operation of motor vehicle on the route;
- if the application for refund of tax paid by mistake or in excess is not made within three years, from such payment;
- in case of a motor vehicle other than a transport vehicle, if the period during which the motor vehicle remained in non-use is less than a quarter;

the beginning of the quarter) x 2/3

As laid down in sub-section (2) of Section 14.

(Amount of tax paid for minus lower slab or tax applicable to the vehicle due to non-use of permit) (X) Admissible days of non-use of permit during the month (÷) No. of total days in the month.

(Amount of tax paid for the month minus lower slab of tax applicable to the vehicle due to non operation of the route) (X) Admissible non-operation days during the month (÷) No. of total days in the month.]

Full amount paid by mistake or in excess, which is not payable :

- (ग) उस मामले में, जहाँ जीवन काल कर का संदाय किया गया है
- 1[(घ-1) नियम 12 के अनुसार अनुज्ञा-पत्र का उपयोग न किए जाने के मामले में
- (घ-2) नियम 13 के अनुसार मार्ग का प्रचालन न किए जाने के मामले में
- (ङ) भूल से या आधिक्य में संदाय की गई रकम के मामले में
- परन्तु कोई वापसी उस दशा में स्वीकृत नहीं की जाएगी —
- यदि वापसी के लिए आवेदन-पत्र, ऐसी कालावधि के जिसके कि संबंध में यान का उपयोग नहीं किए जाने के कारण वापसी के लिए दावा किया गया हो, अवसान होने के दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
  - यदि वापसी के लिए आवेदन-पत्र उस तारीख के, जिस पर कि स्वामी कर की निचली दर का हकदार हो गया था, दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
  - यदि जीवन काल कर की वापसी के लिए आवेदन-पत्र उस तारीख से जिसको कि मोटरयान राज्य से स्थाई रूप से हटाया गया हो, विनिर्दिष्ट हो गया हो या परिवर्तित हो गया हो या परिवहन यान के रूप में उपयोग किया जाने लगा हो, दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
  - यदि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन वापसी के लिए आवेदन पत्र मार्ग पर मोटरयान के प्रचालन न किए जाने के प्रारंभ से दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
  - यदि भूल से या आधिक्य में संदाय किए गए कर की वापसी के लिए आवेदन-पत्र ऐसे संदाय से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो;
  - परिवहन यान से भिन्न मोटरयान की दशा में यदि ऐसी कालावधि, जिसके दौरान मोटरयान उपयोग में नहीं रहा है, एक तिमाही से कम हो;

से संदाय करने का दावा हुआ होता) × 2/3

धारा 14 की उपधारा (2) में अधिकृत किए अनुसार,

(मास के लिए संदाय की गई कर की रकम में से अनुज्ञा-पत्र के उपयोग न किए जाने के कारण यान को लागू निचली स्लेब या कर को घटाकर) गुणित (×) मास के दौरान अनुज्ञा-पत्र के उपयोग न किए जाने के ग्राह्य दिन भागित (÷) मास के कुल दिनों की संख्या

(मास के लिए संदाय की गई कर की रकम में से मार्ग का प्रचालन न किए जाने के कारण यान को लागू निचली स्लेब या कर को घटाकर) गुणित (×) मास के दौरान प्रचालन न किए जाने के ग्राह्य दिन भागित (÷) मास के कुल दिनों की संख्या]

भूल से या आधिक्य में संदाय की गई संपूर्ण रकम जो देय नहीं थी :



- <sup>1</sup>[(g) in case of a transport vehicle, if the period during which the motor vehicle remained in non-use as per Rule 11, is less than a month.]
- (h) in case where tax is paid after its non-payment is detected or after the commencement of proceeding for its recovery by issue of a show cause notice or a notice of demand.
- (i) in respect of a motor vehicle for a period during which it was detained for contravention of any law, order or regulation prohibiting or regulating the transport of goods or passengers or persons;
- (j) in case the owner fails to produce the evidence as to the condition laid down in clause (a), (b) or (c) of sub-section (2) of Section 14 of the Act to the satisfaction of the Taxation Authority;
- (k) in case of tax paid for a temporary permit issued under Section 87 or special permit issued under sub-section (8) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, except when the permit itself is cancelled or suspended by the Authority, Tribunal or a Court.

<sup>1</sup>[(6) If the Taxation Authority or the Officer competent to sanction refund of tax feels that the refund applied for is not admissible, such authority or, officer shall after giving to the owner an opportunity of being heard, pass an order in writing and communicate the same to the owner.]

(7) Any person to whom a refund voucher is issued under sub-rule (3) or (4) of this rule shall, on its presentation at the treasury concerned be entitled to the payment of the sum mentioned therein.

(8) All refund vouchers shall, before they are issued be bound with their counterfoils in booklets containing multiples of fifty vouchers and shall be machine numbered serially. The Taxation Authority issuing the voucher shall retain the counterfoil and preserve it for record in its office.

(9) The amount for which claim of refund is allowed under sub-rule (3) or (4) of this rule, may, on a written request from the owner, be adjusted by the Taxation Authority towards <sup>2</sup>[arrears of tax, penalty or interest due from or the tax payable in future by the owner].

(10) The Taxation Authority shall maintain a register of refunds of tax in Form-'S' and every amount for which a refund voucher under sub-rule (3) or (4) is issued or adjustment towards future payment under sub-rule (9) is allowed shall, in addition to entering it in the Demand and Recovery Register, be entered in such register.

**15. Recovery of tax, etc.—**(1) If any owner fails to pay tax due, penalty or interest payable under the Act and these rules, the Taxation Authority to whom such amount is payable, shall serve on the owner a notice in <sup>1</sup>[Form 'E-2'] for the sum payable.

1. Subs. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.
2. Subs. by Notification No. 22-27-93-VIII, dated 8-6-1993.

- <sup>1</sup>[(छ) परिवहन यान की दशा में यदि ऐसी कालावधि जिसके दौरान नियम 11 के अनुसार मोटरयान उपयोग में नहीं रहा है, एक मास से कम हो;]
- (ज) उस दशा में जहाँ कर संदाय, उसका संदाय न किए जाने का पता चलने के पश्चात् या उसकी वसूली के लिए कारण बताओ सूचना या माँग की सूचना जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात् किया गया हो;
- (द) किसी मोटरयान के संबंध में किसी ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान उसे माल या यात्रियों या व्यक्तियों के परिवहन को प्रतिषेध करने वाली या विनियमित करने वाली किसी विधि, आदेश या विनियम का उल्लंघन करने के लिए निरुद्ध किया गया था;
- (ज) उस दशा में जबकि स्वामी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में अधिकथित शर्तों के अनुसार कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा हो;
- (ट) उस दशा में जबकि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन जारी किए गए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन जारी किए गए विशेष अनुज्ञा-पत्र के लिए कर संदाय किया गया हो, सिवाय जबकि किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा-पत्र को ही निरस्त या निलंबित कर दिया गया हो।

<sup>1</sup>[(6) यदि कराधान प्राधिकारी या कर की वापसी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदित वापसी स्वीकृति योग्य नहीं है तो ऐसा प्राधिकारी अथवा अधिकारी, स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश पारित करेगा और उसे स्वामी को संसूचित करेगा।]

(7) कोई व्यक्ति, जिसे इस नियम के उपनियम (3) या (4) के अधीन वापसी वाउचर जारी किया गया हो, संबंधित कोषालय में उसके प्रस्तुत करने पर उसमें वर्णित राशि के संदाय के लिए हकदार होगा।

(8) सभी वापसी वाउचरों को उनके जारी किए जाने के पूर्व प्रतिपण सहित पचास-पचास वाउचरों के गुणन में जिल्दबद्ध किया जाएगा और उन्हें मशीन द्वारा क्रम अनुसार संख्यांकित किया जाएगा, वाउचर जारी करने वाला कराधान प्राधिकारी उसका प्रतिपण प्रतिधारित करेगा और उसे अपने कार्यालय में अभिलेख के लिए परिरक्षित करेगा।

(9) कराधान प्राधिकारी उस रकम को जिसके लिए कि इस नियम के उपनियम (3) या (4) के अधीन वापसी का दावा अनुज्ञात किया गया है, स्वामी के लिखित अनुरोध पर <sup>2</sup>[स्वामी द्वारा कर की बकाया, शास्ति या शोध्य ब्याज या उसके द्वारा आगामी संदेय कर] के प्रति समायोजित किया जा सकेगा।

(10) कराधान प्राधिकारी प्ररूप "ध" में कर की वापसी का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और ऐसी प्रत्येक रकम की, जिसके लिए उपनियम (3) या (4) के अधीन कोई वापसी वाउचर जारी किया है या उपनियम (9) के अधीन आगामी संदाय के प्रति समायोजन अनुज्ञात किया है, माँग और वसूली के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के अतिरिक्त ऐसे रजिस्टर में भी प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

**15. कर आदि की वसूली —** (1) यदि कोई स्वामी इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन शोध्य कर शास्ति या ब्याज का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, जिसे ऐसी रकम देय हो, देय राशि के लिए स्वामी पर <sup>1</sup>[प्ररूप 'ड-2'] में एक सूचना तामील करेगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक 22-27-93-आठ, दिनांक 8-6-1993 द्वारा प्रतिस्थापित।



(2) Provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the rules made thereunder shall apply *mutatis mutandis* in respect of service of notice issued under sub-rule (1).

(3) If within seven days of the service of notice, the sum contained in the notice is not paid and no reasonable cause for its non-payment has been shown, the Taxation Authority may proceed to recover the amount as an arrear of land revenue.

(4) Notwithstanding anything contained in the aforesaid sub-rules, the Taxation Authority may take action under sub-section (3) of Section 16 of the Act for the realisation of sum payable.

**16. Procedure regarding entry and search—**(1) Any officer of Transport Department not below the rank of Transport Sub-inspector or an officer of the police Department not below the rank of Sub-Inspector of Police may exercise the powers under sub-section (1) of Section 16 of the Act.

(2) All searches made under sub-section (1) of Section 16 of the Act shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

**17. Procedure for seizure and detention of motor vehicle in case of non-payment of tax—**<sup>1</sup>(1) The memorandum of seizure and the order of seizure and detention of motor vehicle under sub-section (3) of Section 16 of the Act shall be made in Form U-1 and U-2 respectively, and copies thereof shall be served on the persons from whose possession or control such motor vehicle has been seized and detained.]

(2) The motor vehicle seized and detained shall be kept in safe custody at the nearest Police Station or at any other place at the discretion of the officer seizing the motor vehicle or the Taxation Authority.

(3) The vehicle detained shall be released by the officer or the Taxation Authority seizing it on payment of tax, penalty and interest due.

<sup>2</sup>(4) The detained vehicle shall not be released by the officer or Taxation Authority seizing it if proceedings of confiscation under sub-section (6) of Section 16 of the Act has been initiated by the Taxation Authority.

(5) The Taxation Authority shall send the intimation for initiation of proceedings for confiscation of Vehicle under clause (a) of sub-section (7) of Section 16 of the Act in Form 'X' to the Magistrate having jurisdiction to try the offence.]

**18. Appeals—**(1) Any person aggrieved by an order passed by any officer under the Act or these rules against which an appeal lies, may within thirty days of the date of the knowledge of the order prefer an appeal to the <sup>3</sup>[Additional Transport Commissioner], Chhattisgarh at <sup>4</sup>[Gwalior].

(2) Every appeal shall—

1. Subs. by Notification No. F. 16-5-92-VIII, dated 11-10-1992.
2. Ins. by Notification No. F. 8-6-99-VIII, dated 28-1-2000.
3. Sub. by Notification No. F. 5-40/VIII/Trans./2017 dated 8th February, 2017; for the word "Transport commissioned" Published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 15-2-2017 Page 89.
4. It will be reasonable to replace Gwalior by Raipur or any other city which is directed by Chhattisgarh Govt.

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध उपनियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना की तामीली के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) यदि सूचना की तामीली के सात दिन के भीतर सूचना में अंतर्विष्ट राशि का संदाय नहीं किया गया हो और उसका संदाय न किए जाने का युक्तियुक्तकरण नहीं दर्शाया गया हो, तो कराधान प्राधिकारी रकम वसूल करने के लिए भू-राजस्व बकाया की भांति कार्यवाही कर सकेगा।

(4) पूर्वोक्त उपनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कराधान प्राधिकारी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

**16. प्रवेश और तलाशी के संबंध में प्रक्रिया —** (1) परिवहन विभाग का कोई अधिकारी जो परिवहन उप निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन ली गई समस्त तलाशियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंधों के अनुसार की जाएँगी।

**17. कर का संदाय न किए जाने की दशा में मोटरयान के अभिग्रहण और निरोध के लिए प्रक्रिया —**<sup>1</sup> (1) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन मोटरयान के अभिग्रहण का ज्ञापन और अभिग्रहण तथा निरोध का आदेश क्रमशः प्रथम "प-1" तथा "प-2" में किया जावेगा और उसकी प्रतियाँ उस व्यक्ति पर तामीली की जाएँगी जिसके कब्जे या नियंत्रण से ऐसा मोटरयान अभिग्रहीत किया गया है तथा निरुद्ध रखा गया है।

(2) अभिग्रहीत और निरुद्ध किया गया मोटरयान निकटतम पुलिस थाने पर अथवा कराधान प्राधिकारी या मोटरयान का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी के विवेक पर किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(3) निरुद्ध किए गए यान को उसका अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या कराधान प्राधिकारियों द्वारा शोध कर शांति और ब्याज का संदाय कर दिए जाने पर छोड़ दिया जाएगा।

<sup>2</sup>(4) यदि कराधान प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गई हो तो निरुद्ध किया गया यान उस अधिकारी या कराधान प्राधिकारी द्वारा, जिसने यान को अभिग्रहीत किया है, छोड़ा नहीं जाएगा।

(5) कराधान प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन यान के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सूचना प्रथम "घ" में, अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

**18. अपील —** (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील होती है, व्यथित है, आदेश का ज्ञान होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, <sup>3</sup>[अतिरिक्त परिवहन आयुक्त], छत्तीसगढ़, <sup>4</sup>[ग्वालियर] को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) प्रत्येक अपील में —

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-5-92-आठ, दिनांक 11-10-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-6-99-आठ, दिनांक 28-1-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-04/आठ-परि./2017 दिनांक 8 फरवरी, 2017 द्वारा शब्द "परिवहन आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15-2-2017 पृष्ठ 89 पर प्रकाशित।
4. ग्वालियर के स्थान पर रायपुर या अन्य शहर जिसे छत्तीसगढ़ शासन निश्चित करे रखा जाना उपर्युक्त होगा।



- (a) be in writing;
  - (b) specify the name and address of the appellant;
  - (c) specify the registration number, the seating capacity of the vehicle, the nature of the permit and the route for which the permit is granted;
  - (d) specify the date of the order against which it is made;
  - (e) specify the date on which the order was communicated to the appellant;
  - (f) contain a clear statement of facts;
  - (g) specify the amount admitted by the appellant to be due or refundable;
  - (h) give the proof of payment of tax in respect of which appeal has been preferred;
  - (i) specify the grounds on which the appeal is preferred;
  - (j) state precisely the relief prayer for;
  - (k) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf in the following form, namely:—
- "I ..... the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that the facts stated therein are true to the best of my knowledge and belief."

.....  
Signature

(3) The memorandum of appeal shall be accompanied by—

- (i) an additional copy of the memorandum;
- (ii) the original or certified copy of the order appealed against; and
- (iii) a cash receipt or a treasury challan of rupees twenty five in token of the payment of fee.

(4) The memorandum of appeal shall be presented to the appellate authority by the appellant or his duly authorised agent. When an appeal is presented by an agent duly authorised by the appellant, it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such agent.

(5) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of sub-rule (2) of this rule the appeal may be summarily rejected:

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit to amend such memorandum of appeal as to bring it in conformity with the requirements of the said sub-rule.

(6) An appeal may also be summarily rejected on any other ground which shall be reduced in writing by the appellate authority:

Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(7) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(8) The appellate authority may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date.

- (क) प्रत्येक अपील लिखित में होगी; और
- (ख) अपीलार्थी का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ग) उस यान का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, यान की बैठक क्षमता, अनुज्ञा-पत्र का प्रकार और मार्ग जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र मंजूर किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (घ) उस आदेश की तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके विरुद्ध यह (अपील) की गई है;
- (ङ) वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसको कि अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;
- (च) तथ्यों का स्पष्ट कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा;
- (छ) अपीलार्थी द्वारा शोध्य या वापसी योग्य स्वीकृति की गई रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी;
- (ज) उस कर के संदाय का सबूत दिया जाएगा, जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है;
- (झ) वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिन पर अपील प्रस्तुत की गई है;
- (ञ) प्रार्थना किए गए अनुतोषों का कथन यथावत किया जाएगा;
- (ट) अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और निम्नलिखित प्रश्न में सत्यापित किया जाएगा, अर्थात्: "मैं ..... उपरोक्त अपील के ज्ञापन में नामित अपीलार्थी एतद्वारा, घोषणा करता हूँ कि उसमें कथित किए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।"

.....  
हस्ताक्षर

(3) अपील के ज्ञापन के साथ —

- (एक) ज्ञापन की एक अतिरिक्त प्रति लगाई जाएगी;
- (दो) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की मूल या प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी; और
- (तीन) फीस का संदाय किए जाने के प्रतीक स्वरूप पच्चीस रुपए की नकद रसीद या कोषालय चालान लगाया जाएगा।

(4) अपील का ज्ञापन अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत द्वारा अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जब कोई अपील किसी, अपीलार्थी के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए तो उसके साथ ऐसे अभिकर्ता के रूप में उसकी नियुक्ति करने का सम्यक् रूप से स्थापित किया हुआ प्राधिकार पत्र होगा।

(5) यदि अपील के ज्ञापन में इस उपनियम (2) की सभी या किसी अपेक्षा का अनुपालन न किया गया हो तो अपील संक्षेपतया अस्वीकृत की जा सकेगी:

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई अपील संक्षेपतया तब तक अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को अपील का ऐसा ज्ञापन उक्त उपनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप लाए जाने के लिए संशोधित करने हेतु ऐसा अवसर न दे दिया गया हो जैसा कि अपील उचित समझे।

(6) कोई अपील किसी ऐसे अन्य आधार पर भी; जो अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाए संक्षेपतया अस्वीकृत की जा सकेगी:

परन्तु इस उपनियम के अधीन किसी अपील को संक्षेपतया अस्वीकृत करने का आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(7) यदि अपील प्राधिकारी अपील को संक्षेपतया अस्वीकृत नहीं करता है तो वह अपीलार्थी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।

(8) अपील प्राधिकारी किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई किसी दूसरे तारीख तक के लिए स्थगित कर सकेगा।



(9) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent duly authorised by the appellant, the said authority may dismiss the appeal or may decide it *ex-parte* as it thinks fit.

(10) When an appeal is dismissed or decided *ex-parte* under sub-rule (9), the appellant may, within thirty days from the date of such order, apply to the appellate authority for re-admission or re-hearing of the appeal and if the appellate authority is satisfied that the appellant or his agent duly authorised was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, it may re-admit and re-hear the appeal on such terms and conditions, including cost, as it may think fit.

(11) A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject-matter of the appeal.

**18-A. Appeal against the order of Confiscation—**(1) A memorandum of appeal against the order of confiscation under sub-section (6) of Section 16 shall—

- be in writing;
- specify the name and address of the appellant;
- specify the date of the order against which it is preferred;
- specify the date on which the order was communicated to the appellant;
- contain a clear statement of facts;
- specify the ground on which the appeal is preferred without any argument or narrative and numbered consecutively;
- state precisely the relief prayed for; and
- be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf in the following form, namely:—

"I ..... the appellant in the memorandum of appeal do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief."

.....  
Signature of the appellant

(2) The memorandum of appeal shall be presented to the Appellate Authority by the appellant or his duly authorised agent personally.

(3) The memorandum of appeal shall be accompanied by a cash receipt or Treasury Challan of Rs. 50/- in token of the payment of fee.]

**19. Rounding off—**For the purposes of calculating the amount payable or refundable under the Act or these rules, all transactions involving fractions of a rupee shall be brought into account by rounding off to the next higher rupee and fractions of less than fifty paise to be ignored.

1. Ins. by Notification No. F. 8-6-99-VIII, dated 28-1-2000.

(9) यदि सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी अन्य ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी उक्त प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है तो उक्त प्राधिकारी जैसा उचित समझे अपील खारिज कर सकेगा या उस पर एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा।

(10) जब कोई अपील उपनियम (9) के अधीन खारिज या एकपक्षीय विनिश्चित की गई हो तो अपीलार्थी ऐसे आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर अपील प्राधिकार को अपील की पुनर्प्राप्ति या पुनः सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता किसी पर्याप्त हेतुक से अपील की सुनवाई के समय उपसंज्ञात होने से निवारित हो गया था, जो वह अपील को ऐसे निबंधनों को शर्तों पर जिनमें व्यय सम्मिलित है, जिन्हें कि वह उचित समझे पुनः प्राप्ति कर सकेगा तथा उसकी पुनः सुनवाई कर सकेगा।

(11) अपील में पारित किए गए आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी और दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश से अपील की विषय-वस्तु बनी हो।

**18-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील —** (1) धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील को ज्ञापन —

- लिखित में होगा;
- उसमें अपीलार्थी का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- उसमें उस आदेश की तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है;
- उसमें उस तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया गया था;
- उसमें तथ्यों का स्पष्ट विवरण अंतर्विष्ट होगा;
- उसमें किसी तर्क या वर्णन के बिना उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर अपील प्रस्तुत की गई है और उन्हें क्रम से संबन्धित किया जाएगा;
- उसमें वह अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गई है, संक्षेप में कथित किया जाएगा; और
- उसमें अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सत्यापित किया जाएगा, अर्थात्

"मैं ..... अपीलार्थी अपील के ज्ञापन में एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जो इसमें कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से सत्य है।"

.....  
अपीलार्थी के हस्ताक्षर

(2) अपील का ज्ञापन, अपील प्राधिकारी को स्वयं अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अपील के ज्ञापन के साथ, फीस का संदाय किए जाने के प्रमाण स्वरूप रुपये 50/- की नगद रसीद या कोषालय चालान होगा।]

**19. पूर्णांकन करना —** अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय अथवा वापसी योग्य रकम की गणना करने के प्रयोजनों के लिए एक रुपये के अंश वाले सभी व्यवहार निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किए जाकर लेखे में लिए जाएंगे जिसमें पचास पैसे व अधिक के अंश को अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा तथा पचास पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जाएगा।

1. अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-6-99-आठ, दिनांक 28-1-2000 द्वारा अन्तःस्थापित।



**20. Register of Demand and Recovery, etc—**(1) The taxation authority shall maintain a register of receipt of tax in Form 'V'.

(2) The taxation authority shall also maintain the Demand and Recovery Register's of taxes in forms specified below :—

- (i) In respect of motor vehicles paying Life Time Tax in Form 'W-1'.
- (ii) In respect of public service vehicles other than motor cabs and city buses in Form 'W-2'.
- (iii) In respect of exempted motor vehicles in Form 'W-3'.
- (iv) In respect of other motor vehicles in Form 'W-4'.

(3) The Transport Commissioner, by an order in writing, may prescribe any other registers to be maintained by such officers of the Transport Department as may be specified in the order.

**21. Preservation and elimination of records, etc—**The Transport Commissioner, with the prior approval of the State Government, shall issue instructions for proper custody, preservation and elimination of various documents and records prescribed under the Act and these rules, and all such documents and records shall be preserved and eliminated in accordance with such instructions.

**20. मांग और वसूली का रजिस्टर —** (1) कराधान प्राधिकारी कर की प्राप्ति का एक रजिस्टर प्ररूप "क" में बनाए रखेगा।

(2) कराधान प्राधिकारी करों की मांग और वसूली का रजिस्टर भी नीचे विनिर्दिष्ट किए गए प्ररूपों में रखेगा —

- (एक) जीवन-काल कर का संदाय करने वाले मोटरयानों के संबंध में प्ररूप "ब"-1 में;
- (दो) मोटर केब तथा शहर बस से भिन्न लोक सेवा यानों के संबंध में प्ररूप "ब"-2 में;
- (तीन) छूट प्राप्त मोटरयानों के संबंध में प्ररूप "ब"-3 में;
- (चार) अन्य मोटरयानों के संबंध में प्ररूप "ब"-4 में।

(3) परिवहन आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों, जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के द्वारा रखे जाने वाले किन्हीं अन्य रजिस्ट्रों को विहित कर सकेगा।

**21. अभिलेखों आदि का परिरक्षण और नष्टकरण —** परिवहन आयुक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, (इस) अधिनियम और इन नियमों के अधीन विहित किए गए विभिन्न दस्तावेजों और अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा, परिरक्षण और नष्टकरण के लिए अनुदेश जारी करेगा और समस्त ऐसे दस्तावेज और अभिलेख ऐसे अनुदेशों के अनुसार परिरक्षित किए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे।



## प्ररूप - क

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

गैर-परिवहन यानों के संबंध में घोषणा  
कराधान प्राधिकारी ..... के समक्ष

1. स्वामी का नाम .....
2. यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (रजिस्ट्रीकरण दिनांक के साथ) .....
3. यान का वर्ग .....
4. रजिस्ट्रीकृत लदान रहित भार/बैठने की क्षमता ..... कि.ग्रा./संख्या.....
5. देय तिमाही/जीवन काल की रकम ..... अवधि .....
6. संदत्त की गई रकम -  
(क) कर रुपये .....
- (ख) शास्ति रुपये .....
- (ग) ब्याज रुपये .....
- योग रुपये .....
7. बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगद रसीद क्रमांक एवं दिनांक .....
8. (1) मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि टोकन अभिप्राप्त करने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान के लिए कर का संदाय आपके कार्यालय ..... में नियमित रूप से किया जाएगा और आपको पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाएगा।  
(2) मैं, एतद्वारा यह और घोषित करता हूँ कि मेरे कब्जे और उपयोग के मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।

स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़

क्रमांक .....

तारीख .....

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन श्री..... (स्वामी का नाम) से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... है, के संबंध में ..... मास/तिमाही जो दिनांक ..... से प्रारंभ होता है/जीवन काल कर के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगदी रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... रुपये ..... (शब्दों में रुपये ..... केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहें।

तारीख .....  
कराधान प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़

## प्ररूप - ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञा-पत्र से आवृत्त मोटरयान से भिन्न  
परिवहन यानों के संबंध में घोषणा  
कराधान प्राधिकारी ..... के समक्ष

1. स्वामी का नाम .....
2. अनुज्ञा-पत्र की विशिष्टियाँ —  
(क) अनुज्ञा-पत्र क्रमांक और उसका प्रकार .....
- (ख) मार्ग, ट्रिप  
तथा किलोमीटरों में दूरी .....  
मार्ग .....  
ट्रिप .....  
मार्ग की दूरी .....  
प्रतिदिन .....  
प्रचालित दूरी .....
3. मोटरयान की विशिष्टियाँ —  
(क) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
- (ख) रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता .....
- (ग) सकल यान भार ..... किलोग्राम .....
- (घ) वीमा प्रमाण-पत्र क्रमांक तथा विधिमाम्यता की दिनांक .....
- (ङ) उपयुक्तता कब तक विधिमाम्य रहेगी .....
4. देय कर आदि —  
(क) वह कालावधि जिसके लिए कर का संदाय किया गया है .....
- (ख) देय मासिक/तिमाही कर (स्लेब दूरी/  
सकल यान भार के अनुसार) .....  
(एक) कर रुपये .....  
(दो) शास्ति रुपये .....  
(तीन) ब्याज रुपये .....  
योग रुपये .....  
(ग) संदत्त किया गया कर ..... रुपये .....
- (घ) बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक और दिनांक .....
5. (1) मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे कब्जे और उपयोग के मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।  
(2) मैं एतद्वारा यह और घोषणा करता हूँ कि ऊपर विनिर्दिष्ट मोटरयान के लिए कर का संदाय आपके कार्यालय ..... में टोकन अभिप्राप्त करने के लिए नियमित रूप से किया जाएगा और आपकी पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाएगा।

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़

क्रमांक .....

तारीख .....

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन श्री.....



- 65 (स्वामी का नाम) से मोटर जिसका रजिस्ट्रेशन चिन्ह ..... है, के संबंध में ..... मास/ तिमाही जो दिनांक ..... से प्राप्त होता है के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/गाड़ी रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... रुपये ..... (शब्दों में रुपये ..... केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षितकर्ता के समक्ष कर/शालि के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहे।
- तारीख .....
- करायान प्राधिकारी, .....

प्रारूप - ख-1

(नियम 5 का उपनिबन्ध (1) का खण्ड (सी) देखिए)

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले परिवहन यान के बाबत घोषणा करायान प्राधिकारी ..... के समक्ष, मास ..... के लिए

अ.क्र.	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	मॉडल	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	बीमा प्रमाण-पत्र क्रमांक	उपयुक्तता कब तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

3. धारित मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियाँ —

अ.क्र.	अनुज्ञापत्र क्रमांक तथा प्राधिकार जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र मंचूर किया गया	मॉडल की विधिमान्यता का दिनांक (कब तक)	मॉडल की शर्त सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञापत्र पर परिचालन हेतु अपेक्षित यानों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाला मार्ग दूरी सहित	प्रतिदिन फेरों की संख्या	मॉडल की शर्त आदि के अनुसार अनुज्ञापत्र के अधीन उपयोग में लाए जाने के लिए अधिकृत यानों की औसत बैठने की क्षमता	अनुज्ञापत्र के अधीन सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रेशन क्रमांक
(5)	(6)	(7)	(8)
1.			
2.			

यदि अनुज्ञापत्र उपयोग में नहीं लाया गया है तो अभिलेखित क्रमांक एवं तारीख	किसी एक दिन में या न हारा तक की जाने वाली दूरी	यदि यात्रा की उपरान्त (गै)/रुके के अधीन लागू की गई दर	प्रतिमास देय कर की रकम	टिप्पणियाँ
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.				
2.				

4. आरक्षित/स्वेयं चाली की विशिष्टियाँ —

क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	औसत बैठने की क्षमता	उपपद (ख) के अधीन देय कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

5. स्वामी द्वारा कर के संदाय के ब्यौरे (संलग्न सवृत्त के अनुसार) —

यान का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	ऊपर पैरा 3 या 4 के अनुसार संदाय के ब्यौरे बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान	क्रमांक	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

6. (1) में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है।

(2) में एतद्वारा यह और भी घोषणा करता हूँ कि टोकन/कर का प्रमाण-पत्र अप्रामाण्य कले के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट कर का संदाय आपके कार्यालय में नियमित रूप से किया जाएगा और अस्थायी अनुज्ञापत्रों की बाबत कर के सिवाय आपको पूर्व सूचना दिए बिना कर का संदाय किसी अन्य कार्यालय में नहीं किया जाए।

दिनांक .....

.....

स्वामी के हस्ताक्षर

नोट — (1) किसी प्रचालक द्वारा एक से अधिक मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र धारित हों तो ऐसे अनुज्ञापत्र/अनुज्ञापत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त यानों के संबंध में एक ही घोषणा फाइल की जाएगी।

(2) किसी प्रचालक के स्वामित्व के यानों जिनका कि उपयोग किया जाना किसी मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अधीन प्राधिकृत न हो, कि इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

(3) यदि अनुज्ञापत्र की शर्तों के साथ दो यानों की अनुज्ञापत्र के मार्ग पर प्रचालित किया जाना हो तो इस अनुज्ञापत्र के सामने पैरा 3 के कॉलम (8) में दोनों यानों को वर्णित किया जाना चाहिए।

(4) केवल उन्हीं यानों को पैरा 3 के कॉलम (8) में दर्शाया जाना चाहिए जो मॉडल तथा बैठने की क्षमता के बारे में अनुज्ञापत्रों की शर्तों को पूरा करते हों।

(5) यदि घोषणा के अधीन आने वाली कालावधि के लिए नियम 12 के अनुसार अनुज्ञापत्र का उपयोग न किया गया हो तो इस अनुज्ञापत्र के अधीन आने वाले मार्ग पर सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान के संबंध में देय कर की संगणना निचली स्तरीय में की जाएगी।



(6) इस घोषणा के पैरा-2 में वर्णित यान जो पैरा-3 के कॉलम (8) में सम्मिलित न हो तो पैरा 4 के कॉलम (2) में प्रविष्ट किए जाएंगे।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़  
क्रमांक ..... तारीख .....

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन श्री.....  
(स्वामी का नाम) से उसके स्वामित्व के मोटरयान के संबंध में ..... मास के संबंध में घोषणा बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति आदि के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहें।

यान क्रमांक	क्रमांक	कोषालय चालान/बैंक ड्राफ्ट	
		दिनांक	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,  
..... छत्तीसगढ़

## प्ररूप - ग

[नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

मोटरयान के विनिर्माता या व्यापारी द्वारा घोषणा  
कराधान प्राधिकारी ..... के समक्ष

- विनिर्माता या व्यापारी का पूरा नाम .....
- पूर्ण डाक पता .....
- दिए गए व्यापार प्रमाण-पत्रों की संख्या .....  
क्रमांक .....  
दिनांक .....
- व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....
- यह कालावधि जिसके लिए कर का संदाय किया जाना है .....
- कर की रकम आदि —  
(क) कर की रकम रुपए .....  
(ख) शास्ति रुपए .....  
(ग) ब्याज रुपए .....  
योग रुपए .....
- संदाय की गई रकम .....
- बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक और दिनांक  
दिनांक .....

में एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है।  
दिनांक .....

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... हस्ताक्षर  
क्रमांक ..... छत्तीसगढ़  
तारीख .....

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन श्री.....  
(विनिर्माता/व्यापारी का नाम) से मोटरयान, जिसका व्यापार रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... है, के संबंध में ..... वर्ष जो दिनांक ..... से प्रारंभ होता है के संबंध में घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगदी रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... को रुपये ..... (शब्दों में) रुपये ..... केवल के साथ प्राप्त हुई। विनिर्माता/व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहें।  
तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,  
..... छत्तीसगढ़

## प्ररूप - घ

[नियम 5 का उपनियम (4) देखिए]

(यदि स्वामी स्थायी रूप से टोकन अभिप्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन करना चाहता है, तो इसका उपयोग किया जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,  
.....

द्वारा : कराधान प्राधिकारी,  
.....

(जिससे टोकन अभिप्राप्त किया जा रहा था)

यान क्रमांक ..... के लिए कर का संदाय ..... से ..... तक कराधान प्राधिकारी ..... के कार्यालय में कर दिया गया है।

मैं कराधान प्राधिकारी ..... के कार्यालय से उक्त यान हटाना चाहता हूँ और एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि इसके पश्चात् टोकन अभिप्राप्त करने के लिए उक्त यान के कर का संदाय आपके कार्यालय ..... में नियमित रूप से किया जाएगा आपको पूर्व सूचना दिए बिना किसी अन्य कार्यालय से टोकन अभिप्राप्त नहीं किया जाएगा।

स्थान .....

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर



## कराधान प्राधिकारी का पृष्ठांकन

(जिससे टोकन अभिप्राप्त किया जा रहा था)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त यान के संबंध में ..... से ..... तक इस कार्यालय ..... में कर का संदाय कर दिया गया है और पते में परिवर्तन को हमारे अभिलेखों में सम्यक् रूप से समाविष्ट कर लिया गया है।  
दिनांक .....

कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर

## प्ररूप - ड

[नियम 6 का उपनियम (1) देखिए]

मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले यानों से भिन्न

मोटरयान के परिवर्तन के संबंध में अतिरिक्त घोषणा

कराधान प्राधिकारी ..... के समक्ष

मैं ..... (स्वामी का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे मोटरयान क्रमांक ..... श्रेणी ..... जो अनुज्ञापत्र क्रमांक ..... मार्ग/क्षेत्र ..... के लिए ..... द्वारा मंजूर किया गया और जो ..... तक विधिमाम्य है, में नीचे दिए गए व्योरे के अनुसार परिवर्तन किया गया है, जिससे वह कर की उच्चतर दर के संदाय का दायी हो गया है-

## 1. परिवर्तन का विवरण -

(एक) रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें)

(दो) अनुज्ञापत्र का समर्पण/अर्जन/उपयोग में आना

(क) अनुज्ञापत्र क्रमांक .....

(ख) ..... द्वारा मंजूर किया गया

(ग) अनुज्ञापत्र का मार्ग क्षेत्र .....

(घ) प्रतिदिन के फेरों की संख्या .....

(ङ) प्रतिदिन प्रचलित दूरी ..... कि.मी.

(च) अनुज्ञापत्र की विधिमाम्यता की तारीख ..... तक

(छ) अनुज्ञापत्र के अर्जन/समर्पण/उपयोग न आने के प्रारंभ की तारीख

(तीन) अनुज्ञापत्र की विशिष्टियों में परिवर्तन (मार्ग आदि का विस्तारण) (विनिर्दिष्ट करें)

2. (एक) दिनांक ..... से ..... तक की कालावधि के लिए पूर्व में संदत्त कर रुपए .....

(दो) परिवर्तन के पश्चात् दिनांक ..... से ..... तक की कालावधि के लिए दर कर रुपए .....

(तीन) देय कर का अंतर रुपए .....

3. कर के अंतर के मद्दे संदत्त रकम का बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नकद रसीद क्रमांक .....

दिनांक ..... इसके साथ संलग्न है।

4. मैं अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर

कार्यालय, कराधान प्राधिकारी .....

क्रमांक ..... छत्तीसगढ़

1. जो लागू न हो उसे काट दें।

तारीख .....

2. नगर मार्गों पर चलाई जाने वाली मंजिली गाड़ियों के मामले में ही भरा जाए।

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन श्री ..... निवासी ..... से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... है, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नगदी रसीद क्रमांक ..... से प्रारंभ होता है के संबंध में अतिरिक्त घोषणा, (शब्दों में रुपये ..... केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कर/शास्ति के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहें।

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़

## प्ररूप - ड-1

[नियम 6 का उपनियम (1) देखिए]

अतिरिक्त घोषणा जबकि मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के अंतर्गत

आने वाले यान को परिवर्तित किया जाए

कराधान प्राधिकारी ..... के समक्ष

मैं ..... (स्वामी का नाम) घोषणा करता हूँ कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा

(1) के अधीन घोषणा फाइल किए जाने के पश्चात् नीचे वर्णित यान में मेरे द्वारा इस घोषणा में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार परिवर्तन किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण वह उच्चतर दर पर कर का संदाय करने के लिए दायी हो जाता है -

## परिवर्तन के व्योरे

अनुक्रमांक	यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	पूर्व में संदत्त कर बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्र. तथा ता.	रकम	परिवर्तन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पूर्व सामान्यतः चलाया जाता था

अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	दैनिक फेरे	मार्ग की दूरी
(6)	(7)	(8)	(9)



परिवर्तन के पूर्व लागू कर की दर (प्रति सीट)	उस अनुज्ञापत्र की विविधियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पश्चात् सामान्यतः चलाया जाएगा			
	अनुज्ञापत्र क्रमांक	मार्ग	दैनिक फेरे	मार्ग की दूरी
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

  

परिवर्तन के पश्चात् लागू कर की दर (प्रति सीट)	कर की दर का अंतर कॉलम (15) कॉलम (10)	बैठने की औसत क्षमता	मास के लिए देय कर की रकम का अंतर	टिप्पणियाँ
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

2. मैं इसके साथ बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... रकम  
रुपए ..... मास ..... के मद्दे कर के अंतर का संदाय किए जाने बाबत संलग्न करता हूँ।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ऊपर परिदत्त की गई जानकारी सही है।

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर

नोट — यदि परिवर्तित यान परिवर्तन के पूर्व आरक्षित/स्पेयर बस था तो उसे ऊपर कॉलम (6) से कॉलम  
(9) में वर्णित किया जाना चाहिए।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़  
क्रमांक ..... तारीख .....

अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन अतिरिक्त  
घोषणा श्री ..... से उनके स्वामित्व के यान क्रमांक ..... की बाबत  
बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... रुपये ..... (शब्दों  
में रुपये ..... केवल) के साथ प्राप्त हुई। स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह  
अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति के अवधारण करने के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक .....  
को उपस्थित रहें।

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़

#### प्ररूप - ड-2

[नियम 6 का उपनियम (3) तथा नियम 15 का उपनियम (1) देखिए]

अवधारित कर की प्रज्ञापना/मॉग की सूचना

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़

क्रमांक .....

तारीख .....

प्रति,

.....

.....

..... (स्वामी)

आपको एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आपके स्वामित्व के नीचे वर्णित यान/यानों के संबंध में देय कर  
का अवधारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 8 की उपधारा  
(3)/(4) के अधीन आदेश दिनांक ..... द्वारा निम्नानुसार किया गया है —

यान/यानों का क्रमांक	कालावधि जिसके लिए कर अवधारित किया गया	देय रकम	
		कर रुपए	शास्ति रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)

पूर्व में संदत्त रकम		रकम का अंतर	
कर रुपए	शास्ति रुपए	संदत्त किया जाने वाला कर/वापस की जाने वाली रकम रुपए	शास्ति रुपए
(5)	(6)	(7)	(8)

\*2. आपको सूचना दी जाती है कि यदि आपसे उक्त अधिनियम के अधीन वसूलीय ऊपर अवधारित  
रकम या संदाय इस प्रज्ञापना तथा सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो उक्त  
अधिनियम की धारा 15/धारा 16(3) के अधीन उक्त वर्णित रकम की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी।

या

\*3. आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आपको, आधिक्य में संदत्त की गई रकम जो ऊपर  
कॉलम-7 में दर्शायी गई है, की वापसी की पात्रता है, जो आपके द्वारा नियम 14 के अनुसार प्राप्त की जा सकती  
है या भविष्य के संदाय के पेटे समायोजित की जा सकती है।

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़

\*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

#### प्ररूप - च तीन प्रतियों में

[नियम 7 का उपनियम (4) देखिए]

जीवन-काल-कर की रसीद

क्रमांक .....

पुस्तक क्रमांक .....

दिनांक .....

श्री ..... से यान क्रमांक ..... वर्ग ..... के संबंध में जीवन-  
काल कर के मुद्दे ..... रुपए (रकम मुद्रित की जाए) प्राप्त किए।

.....

कराधान प्राधिकारी की मुद्रा

रोकड़ लिपिक के हस्ताक्षर



प्ररूप - छ  
तीन प्रतियों में  
[नियम 7 का उपनियम (4) देखिए]  
मोटरयान कर की रसीद

क्रमांक ..... पुस्तक क्रमांक .....  
दिनांक .....  
श्री ..... से यान क्रमांक ..... वर्ग ..... के संबंध में मोटरयान  
कर/शास्ति/ब्याज के मदे रूपए ..... (शब्दों में) ..... दिनांक .....  
को प्रारंभ होने वाली तिमाही/छहमाही वर्ष के लिए प्राप्त किए।  
रूपए .....  
कराधान प्राधिकारी की मुद्रा ..... रोकड़ लिपिक के हस्ताक्षर

प्ररूप - ज  
[नियम 8 का उपनियम (7) का खण्ड (तीन) देखिए]  
छत्तीसगढ़ राज्य में अस्थायी रूप से लाए गए मोटरयान के संबंध में घोषणा

प्रति,  
.....  
.....  
.....  
में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं अधोलिखित मोटरयान को छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .....  
को लाया हूँ और मैं दिनांक ..... तक छत्तीसगढ़ में इसे उपयोग करने का या इसे उपयोग करने हेतु  
रखने का आशय रखता हूँ,  
1. रजिस्ट्रीकरण चिन्ह .....  
2. यान की श्रेणी .....  
3. इंजन क्रमांक .....  
4. चैसिस क्रमांक .....  
5. सकल यान वजन/लदान रहित वजन ..... कि.ग्रा.  
6. बैठने की क्षमता .....  
7. संदत्त कर के ब्यौरे रूपए .....  
बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान/नकद रसीद क्रमांक ..... द्वारा संदत्त किए गए।  
मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा लाए गए मोटरयान के संबंध में ऊपर दी गई जानकारी सत्य है।  
दिनांक ..... हस्ताक्षर .....  
नाम और पता .....  
मेरे द्वारा, रसीद ..... तथा टोकन क्रमांक ..... शोध्य कर के रूप में  
रूपए ..... अभिलिखित करने के पश्चात्, स्वीकृत किया गया।  
तारीख .....  
कराधान लिपिक/परिवहन .....  
प्रधान आरक्षक के हस्ताक्षर ..... कराधान प्राधिकारी या  
प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप - ज-1  
[नियम 8-क का उपनियम (1) देखिए]  
बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की और मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाली मंजिली  
गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में फाइल की जाने वाली घोषणा  
मास ..... 20 ..... के लिए  
(दो प्रतियों में दी जाए)

भाग - एक  
मैं/हम ..... (बेड़ा स्वामी का नाम) एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि  
(मास) ..... 20 ..... के प्रथम दिन को नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार मेरे/हमारे स्वामित्व की  
मंजिली गाड़ियाँ/आरक्षित मंजिली गाड़ियाँ शहर मार्गों के भिन्न मार्गों पर प्रचालित थी।  
2. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मास के प्रथम दिन को मेरे/हमारे स्वामित्व के तथा मार्गों से  
भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के रूप में उपयोग किए गए यान, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय 5 तथा  
6 के अधीन प्राप्त किए अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियों, जैसी कि इस घोषणा में नीचे दी गई हैं, सही है।  
3. मैं/हम शहर मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के नियमित प्रचालन और आरक्षित मंजिली  
गाड़ियों के बाबत मास ..... 20 ..... के लिए देय अग्रिम कर का संदाय करने के लिए नीचे दिए गए  
ब्यौरों के अनुसार वांछा करता हूँ/करते हैं—  
(1) नियमित मंजिली गाड़ियों के लिए अग्रिम कर ..... रूपए .....  
(भाग तीन के कालम (11) का योग)  
(2) आरक्षित मंजिली गाड़ियों के लिए अग्रिम कर ..... रूपए .....  
(भाग चार के कालम (6) का योग)  
(3) [देय शुद्ध रकम (1)+(2)] ..... रूपए .....  
(4) संदाय के ब्यौरे ..... रूपए .....  
बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक ..... दिनांक .....

भाग - दो  
मास के प्रथम दिन को बेड़ा स्वामी के स्वामित्व की, मासिक आधार पर कर संदाय करने वाली  
मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित मंजिली गाड़ियों की विशिष्टियाँ

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान की श्रेणी (डीलक्स/एक्सप्रेस/ साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता	उपयुक्तता कब तक विधिमाम्य रहेगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



## भाग - तीन

शहर मार्गों से चित्र के संबंध में पारित मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्रों/विशिष्ट मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्रों की विशिष्टियाँ

अनुक्रमिक	अनुज्ञापन क्रमांक तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञापन मंजूर किया गया	अनुज्ञापन की विषयान्विता का दिनांक (शब्द तक)	अनुज्ञापन के अंतर्गत आने वाले मार्ग, दूरी सहित	प्रतिदिन के फेरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मॉडल शार्त सहित, यदि कोई हो, मार्ग पर परिवहन हेतु अपेक्षित यानों की संख्या	मॉडल शार्त आदि के अनुसार मार्ग पर उपयोग किए जाने के लिए प्राधिकृत यानों की औसत बैठक क्षमता	(7)	मास के दौरान मार्ग पर सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मार्ग पर चलाए जाने वाले यान द्वारा मध्यप्रदेश में किसी एक दिन में तब की जाने वाली दूरी (किलोमीटर)
(6)	(7)	(8)	(9)	
मद चार की उप-मद (प) के अधीन यान को लागू कर की दर (रूप प्रतिदिन प्रतिमास)	यान के संबंध में देय कर की रकम (कालम (7) × कालम (10) ) (रूप प्रतिमास)	(11)	टिप्पणियाँ	
(10)	(11)	(12)		

## भाग - चार

उपयोग न किए गए रखे हुए यानों को सम्मिलित करते हुए आरक्षित/स्वेयर बसों की विशिष्टियाँ

अनुक्रमिक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	यान का वर्ग (हॉलक्स/एक्सप्रेस/साधारण)	यानों की औसत बैठक क्षमता (वर्ग चार)	मद चार की उपमद (ह) के अधीन यान को लागू कर की दर (र. प्रतिसीट प्रति माह)	यान के संबंध में देय कर की रकम कालम (4) × कालम (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर

.....

नोट — (1) बेड़ा स्वामी की प्रत्येक प्रवासित राखा (संपाण/डियो आदि) द्वारा प्रवासित समस्त अनुज्ञापत्रों के संबंध में एक ही घोषणा फाइल की जाएगी।

(2) बेड़ा स्वामी के स्वामित्व की बसों को जिनका उपयोग ठेका गाड़ियों के रूप में तथा अन्यथा: शहर मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के रूप में किया जाता है, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया जाता चाहिए।

(3) अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार यदि अनुज्ञापत्र का मार्ग एक से अधिक यान द्वारा प्रवासित होता है तो अपेक्षित यानों की संख्या तथा मार्ग अनुज्ञापत्र के भाग-तीन में कॉलम (6) के समक्ष लिनिस्ट की जाए।

(4) केवल ऐसे यानों को भाग-तीन के कॉलम (6) में दर्शाया जाए जो यान के मॉडल, बैठक क्षमता तथा वर्ग संबंधी अनुज्ञापत्र की शर्तों को पूरा करता हो।

(5) यदि घोषणा के अधीन आने वाली संपूर्ण कालावधि के लिए नियम 12 के अनुसार अनुज्ञापत्र को उपयोग में नहीं रखा गया है, तो घोषणा के भाग-तीन के कॉलम (8) से (11) रिक्त छोड़े जाएँ और कॉलम (12) में शब्द "अनुज्ञापत्र उपयोग में नहीं रखा गया" लिख जाएँ।

(6) इस घोषणा के भाग-दो में वर्णित तथा भाग-तीन के कॉलम (8) में सम्मिलित नहीं किए गए समस्त यान भाग-चार के कॉलम 2 में प्रविष्ट किए जाएँ।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी

क्रमांक ..... तारीख ..... छत्तीसगढ़

अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरवाहन कराधान नियम, 1991 के नियम 8-क के उपनियम (1) के अधीन बेड़ा स्वामी

मंजिली गाड़ियों के संबंध में मासिक आधार पर कर का संदाय करते वाली मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित दिनांक ..... रकम रुपये ..... के लिए घोषणा, बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक. ....

बेड़ा स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपेक्षित कालों के समक्ष देय कर/शास्ति आदि के अवभाण के संबंध में सुनवाई के लिए स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक. .... को उपस्थित रहे।

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़

## प्ररूप - ज-2

[नियम 8-क का उपनियम (2) देखिए]

बेड़ा स्वामी द्वारा उसके स्वामित्व की मासिक आधार पर कर संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में दी जाने वाली अतिरिक्त घोषणा

मास ..... के लिए

..... 20..... के लिए

(दो प्रतियों में दी जाए)

सक्षम कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़

में/हम .....

मोटरवाहन कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मास ..... के लिए घोषणा फाइल करने के पश्चात् इस घोषणा में दी गई विशिष्टियों के अनुसार नीचे वर्णित मंजिली गाड़ियाँ/आरक्षित मंजिली गाड़ियाँ मेरे/हमारे द्वारा अभिग्रहीत/परिवर्तित की गई है जिससे वे उच्चतर दर पर का संदाय

करने को दायी हो गई है :-

## 2. परिवर्तन के ब्यौरे :

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान का वर्ग (डीलक्स/एक्सप्रेस/साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता	पूर्व में संदत्त कर (रकम रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिवर्तन का दिनांक	उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पूर्व सामान्यतः चलाया जाता था				परिवर्तन के पूर्व लागू कर की दर
	अनुज्ञा पत्र क्रमांक	मार्ग	छत्तीसगढ़ में मार्ग की दूरी	दैनिक फेरे	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

उस अनुज्ञापत्र की विशिष्टियाँ जिस पर कि यान परिवर्तन के पश्चात् सामान्यतः चलाया जाएगा				परिवर्तन के पश्चात् लागू कर की दर (रुपए प्रति सीट प्रतिमास)	कर की दर में अंतर (कॉलम (17) कॉलम (12))
अनुज्ञा-पत्र क्रमांक	मार्ग	छत्तीसगढ़ में मार्ग की दूरी	दैनिक फेरे	(17)	(18)
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

औसत बैठक क्षमता	मास के लिए देय कर के रकम का अंतर (रुपए)	टिप्पणियाँ
(19)	(20)	(21)

## 3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 101 के अधीन अतिरिक्त सेवाओं के लिए देय कर (केवल राज्य परिवहन उपक्रम के मामले में)

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	मॉडल	यान का वर्ग (डीलक्स/एक्सप्रेस/साधारण)	रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मास के दौरान तय की गई अतिरिक्त दूरी (किलोमीटरों में)	खण्ड (च) के अधीन लागू कर की दर (पैसे प्रति 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए प्रति सीट)	कर की देय रकम	टिप्पणियाँ
(6)	(7)	(8)	(9)

4. मास के लिए देय कर का अंतर (पैरा 2 के कॉलम (20) का योग + पैरा 3 के कॉलम (8) का योग) रुपए .....
5. मैं इसके साथ बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... रकम रुपए ..... मास ..... 1991 के लिए कर के अंतर का संदाय किए जाने बाबद् संलग्न करता हूँ।
6. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सही है।

दिनांक .....

पदनाम सहित बेड़ा स्वामी के हस्ताक्षर  
नोट — (1) बेड़ा स्वामी की प्रत्येक प्रचालित शाखा (संभाग/डिपो आदि) द्वारा मास के दौरान प्रचालित अभिग्रहीत/परिवर्तित समस्त मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में एक ही अतिरिक्त घोषणा फाइल की जाएगी।

(2) यदि मास के दौरान परिवर्तित किया गया यान परिवर्तन के पूर्व आरक्षित/स्पेयर बस थी तो इस रूप में उसे पैरा-2 के कॉलम (8) से (11) में वर्णित किया जाना चाहिए।

(3) मास के दौरान रजिस्ट्रीकृत यान की दशा में रजिस्ट्रीकरण का दिनांक पैरा 2 के कॉलम (7) में दर्शाया जाना चाहिए और कॉलम (8) से (12) रिक्त छोड़ दिए जाने चाहिए। यदि ऐसे यान को मास के दौरान आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में रखा जाता है तो इस घोषणा के पैरा 2 के कॉलम (13) से (16) के अधीन इस रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़  
क्रमांक ..... तारीख .....

## अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8-क के उपनियम (2) के अधीन (बेड़ा स्वामी का नाम) ..... से मास के दौरान अभिग्रहीत/परिवर्तित मंजिली गाड़ियों/आरक्षित मंजिली गाड़ियों के संबंध में अतिरिक्त घोषणा बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... रकम रुपये ..... (शब्दों में रुपये ..... ) के साथ प्राप्त हुई। बेड़ा स्वामी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष देय कर/शास्ति आदि के अवधारण के संबंध में सुनवाई के लिए दिनांक ..... को उपस्थित रहें।

तारीख .....

कराधान प्राधिकारी

## प्ररूप - ज-3

[नियम 8-क का उपनियम (4) देखिए]

कार्यालय कराधान प्राधिकारी ..... छत्तीसगढ़  
क्रमांक ..... तारीख .....  
मास ..... 20..... लिए मासिक आधार पर कर संदाय करने वाली मंजिली गाड़ियों तथा आरक्षित गाड़ियों के लिए देय मासिक कर के अवधारण की सूचना।



प्रति,

..... (बेड़ा स्वामी)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ..... (बेड़ा स्वामी का नाम) के द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान करायान नियम, 1991 के नियम 8-क के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन फाइल की गई घोषणा और अतिरिक्त घोषणा के आधार पर आपके स्वामित्व तथा शहर् मार्गों से भिन्न मार्गों पर चालान के लिए प्राधिकृत मंजिली गाड़ियों और अपरिचित मंजिली गाड़ियों के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर मास ..... 20..... के लिए मासिक कर नीचे दिए गए व्योरो के अनुसार अवधारित किया गया है —

- |   |             |
|---|-------------|
| (1) नियमित मंजिली गाड़ी तथा अपरिचित मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञापत्रों के अधीन प्रचालन के संबंध में देय कर की रकम | रुपये ..... |
| (2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 101 के अधीन प्रचालन के लिए देय कर की रकम                                      | रुपये ..... |
| (3) मास के दौरान मंजिली गाड़ियों में परिवर्तन के कारण देय कर की रकम   | रुपये ..... |
| (4) मास के लिए संदेय कर की कुल रकम $(1+2+3)$  | रुपये ..... |
| (5) नियम 8-क (1) के अधीन घोषणा के साथ संदेय की गयी रकम  | रुपये ..... |
| (6) नियम 8-क (2) के अधीन अंतिम घोषणा के साथ संदेय की गयी रकम  | रुपये ..... |
| (7) संदेय कर के अंतर की रकम $(4-5-6)$   | रुपये ..... |

2. \*आपको एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि आपसे उक्त अधिनियम के अधीन वसूलीय ऊपर अवधारित रकम का संदाय इस प्रज्ञापन तथा सूचना की तारीख से सात दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो ऊपर वर्णित रकम की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15/धारा 16(3) के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आधिक्य में संदेय की गई रकम, जो ऊपर कॉलम (7) में दर्शाई गई है, की वापसी की पात्रता है, जो आपके द्वारा प्राप्त की जा सकती है या नियम 14 के अनुसार भविष्य के संदाय के पेरे समायोजित की जा सकती है।

तारीख .....

.....  
करायान प्राधिकारी  
.....छत्तीसगढ़

\*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्रारूप

छत्तीसगढ़ मोटरयान करायान नियम, 1991

80

प्रारूप - झ

[नियम 9 का उपनियम (1) देखिए]  
प्रतिपण और टोकन

क्रमांक .....  
अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ..... तारीख .....  
रूप ..... (शब्दों में) ..... के अधीन यान क्रमांक ..... संदेय कर  
वह कालावधि, जिसके लिए कर संदेय किया गया है ..... के संबंध में टोकन  
दिनांक ..... कर के संदाय का  
..... कर के संदाय का

करायान लिपिक

.....  
करायान प्राधिकारी

(प्रतिपण के पृष्ठ भाग पर दर्शाया जाए)

- (1) टोकन जुड़े या स्काउट विवरण फेप के 6 से.मी. व्यास के गोलाकार टुकड़े का होगा।
- (2) विभिन्न मासों/तिमाहियों के लिए जारी किया गया टोकन वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए यथास्थिति मास की क्रम संख्या के द्वारा/एक लाल उर्ध्वरेखा के द्वारा सुभिन्न किया जाएगा।

(आकृति में गोलाकार)

..... क्षेत्र  
छत्तीसगढ़ मोटरयान करायान नियम, 1991  
टोकन क्रमांक .....  
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....  
यान का वर्ग .....  
संदेय किया गया कर रुपये .....  
वह कालावधि, जिसके लिए कर संदेय किया गया .....  
दिनांक ..... से ..... तक  
दिनांक .....

करायान लिपिक

.....  
करायान प्राधिकारी

प्रारूप - अ

[नियम 9 का उपनियम (3) देखिए]

छत्तीसगढ़ मोटरयान करायान अधिनियम, 1991 के अधीन  
कर के संदाय से संबंधित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटरयान क्रमांक ..... के संबंध में कर का संदाय नीचे दिए गए व्योरे के अनुसार ..... के कार्यालय में किया गया है —

- (1) स्वामी का नाम .....
- (2) यान का वर्ग .....
- (3) अनुज्ञापत्र क्रमांक .....
- (4) एक दिन में तक की गई कुल दूरी ..... किलोमीटर
- (5) क्या अतिरिक्त यान (स्पेयर) है .....

- (6) वह मासिक दर, जिसके अनुसार कर संदत्त किया गया ..... से ..... तक  
 (7) वह कालावधि, जिसके लिए कर का संदाय किया गया दिनांक ..... से ..... तक  
 (8) संदाय के ब्यौरे रकम रुपये ..... और दिनांक .....  
 बैंक ड्राफ्ट/कोषालय चालान क्रमांक .....  
 दिनांक ..... कराधान प्राधिकारी

## प्ररूप - ट

[नियम 11 का उपनियम (1) देखिए]

मोटरयान का उपयोग न किए जाने की सूचना के लिए आवेदन-पत्र  
 भाग-एक  
 (स्वामी द्वारा पूर्ण किया जाए)

प्रति,  
 कराधान प्राधिकारी

- (1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....  
 (2) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का डाक का पता .....  
 (3) उपयोग से हटाए जाने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....  
 तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया .....  
 (4) उपयोग न किए जाने की कालावधि (दिनांक दिए जाएं) दिनांक ..... से ..... तक  
 (5) उस स्थान का डाक का पता जहाँ कालावधि के .....  
 दौरान मोटरयान रखा जाएगा .....  
 (6) मोटरयान का उपयोग न किए जाने के कारण .....  
 मैं, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 11 के उपनियम (2) तथा (3) के अधीन यथा  
 अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख इसके साथ संलग्न करता हूँ—  
 (1) दस रुपये की नकद रसीद का क्रमांक ..... दिनांक .....  
 (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र .....  
 (3) कर टोकन का क्रमांक .....  
 (4) उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र .....  
 (5) बीमा प्रमाण-पत्र .....  
 (6) अनुज्ञा पत्र क्रमांक .....  
 (7) कर का प्रमाण-पत्र .....  
 (8) अनापत्ति प्रमाण-पत्र/न्यायालय का आदेश .....

मैं, घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त यान को कराधान प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना विनिर्दिष्ट स्थान से नहीं हटाऊँगा। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

स्वामी के हस्ताक्षर

## भाग-दो

## अभिस्वीकृति

श्री ..... से मोटरयान, जिसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... है,  
 के ..... से ..... तक उपयोग न किए जाने संबंधी सूचना प्ररूप-‘ट’ में .....  
 को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई—

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

दिनांक .....

कराधान प्राधिकारी

## प्ररूप - ट-1

[नियम 11 का उपनियम (3) का खण्ड (बह) देखिए]

कार्यालय राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी ..... (छत्तीसगढ़)

क्रमांक .....

दिनांक .....

आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... के स्वामित्व का लोक सेवा यान जिसका  
 रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... है, जो इस प्राधिकारी द्वारा मार्ग ..... से ..... के लिए  
 जारी किए गए अनुज्ञापत्र क्रमांक ..... के अंतर्गत आता है, को ..... (मास) 20 .....  
 के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली ..... मास की कालावधि के लिए उपयोग न किए जाने में, इस  
 प्राधिकारी को कोई आक्षेप नहीं है।

सचिव/सहायक सचिव,

राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,

..... छत्तीसगढ़



## प्ररूप - ठ

[नियम 11 का उपनियम (7) देखिए]

उपयोग में न रखे गए यानों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सूचना प्राप्त होने का दिनांक	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	यान का वर्ग	स्वामी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उपयोग में रखे जाने वाली कालावधि से	तक	वह स्थान जहाँ उपयोग में न रखे जाने की कालावधि के दौरान यान रखा जाएगा	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	कर टोकन
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

उपयोग में न रखे जाने की सूचना के साथ जमा किए गए दस्तावेज					कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन दिनांक सहित
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	बीमा प्रमाण-पत्र	कर प्रमाण-पत्र	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक	अनापत्ति प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति	(16)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

क्षे.प.अधि./सहा.क्षे.प. अधि./प.नि./प.उ.नि. की निरीक्षण रिपोर्ट का संक्षिप्त सार	स्थान परिवर्तन के लिए दी गई अनुज्ञा यदि कोई हो	कागजपत्र वापस करने का दिनांक	क्षे.प.अधि./स.क्षे.परि. अधि. द्वारा अंतिम सत्यापन	टिप्पणियाँ
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

## प्ररूप - ड

[नियम 12 का उपनियम (1) देखिए]

अनुज्ञा पत्र जमा करने के लिए आवेदन-पत्र

भाग - एक

(अनुज्ञा पत्र के धारक द्वारा भरा जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

(1) अनुज्ञा पत्र धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

(2) अनुज्ञा पत्र धारक का डाक का पता

- (3) यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया .....  
 (4) अनुज्ञा पत्र क्रमांक और वैधता का दिनांक .....  
 (5) अनुज्ञा पत्र के जमा करने की प्रस्तावित दिनांक ..... से ..... तक कालावधि  
 (6) अनुज्ञा पत्र जमा करने के लिए कारण —

1. यांत्रिक खराबी
2. मार्ग का मोटर योग्य न होना
3. न्यायालय का आदेश
4. होली के त्यौहार के कारण प्रचालन न होना
5. निर्वाचन कार्य या विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्य की दृष्टि से यान के अधिग्रहण के कारण प्रचालन न होना

मैं, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 12 के उपनियम (2) तथा (3) के अधीन यथा अपेक्षित, निम्न दस्तावेजों आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करता हूँ —

1. दस रुपये की नकद रसीद का क्रमांक ..... दिनांक .....
2. अनुज्ञा पत्र क्रमांक .....
3. कर प्रमाण-पत्र .....
4. अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आदेश की प्रमाणित प्रति .....

मैं घोषित करता हूँ कि ऊपर मद क्रमांक 5 के सामने उल्लेखित की गई कालावधि के दौरान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले मार्ग पर सेवा का प्रचालन नहीं करूंगा, मैं यह भी घोषित करता हूँ कि उक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

अनुज्ञा-पत्र धारक के हस्ताक्षर

भाग-दो

अभिस्वीकृति

श्री ..... से यान क्रमांक ..... के लिए ..... (प्राधिकारी) द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र क्रमांक ..... के बावत् दिनांक ..... से दिनांक ..... तक की कालावधि के लिए अनुज्ञा पत्र का उपयोग न किए जाने की सूचना प्ररूप-ड में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई —

1. अनुज्ञा पत्र क्रमांक .....
2. कर प्रमाण-पत्र .....
3. .... द्वारा स्वीकृत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
4. न्यायालय का आदेश दिनांक .....

दिनांक .....

कराधान प्राधिकारी

## प्ररूप - ड-1

[नियम 12 का उपनियम (3) का खण्ड (दो) देखिए]

कार्यालय राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी ..... (छत्तीसगढ़)

क्रमांक .....

दिनांक .....

आक्षेप न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्राधिकारी द्वारा श्री ..... को मार्ग ..... से ..... के लिए जारी किए गए अनुज्ञापत्र क्रमांक ..... को नीचे दिए गए कारणों से दिनांक ..... से ..... 20..... तक की कालावधि के लिए उपयोग न किए जाने में इस प्राधिकारी को कोई आक्षेप नहीं है।

कारण —

1. यान की यांत्रिकी का ठप्प हो जाना/उसकी मरम्मत, अनुरक्षण
2. मोटर चलाए जाने योग्य मार्ग का न होना

सचिव/सहायक सचिव,  
राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी,  
छत्तीसगढ़

टिप्पणी — जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

## प्ररूप - ड

[नियम 12 का उपनियम (6) देखिए]

उपयोग में न रखे गए अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	आवेदन प्राप्त करने का दिनांक	अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक	अनुज्ञा-पत्र की वैधता कब तक है	अनुज्ञा-पत्र का मार्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	जमा करने की कालावधि		अनुज्ञा-पत्र को जमा करने के कारण		
	से	तक	यांत्रिक खराबी	मार्ग का मोटर योग्य न होना	न्यायालय का आदेश
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

किस दिनांक तक कर का संदाय किया गया	अनुज्ञा-पत्र वापस लेने का दिनांक	कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और दिनांकित आद्याक्षर	टिप्पणियाँ
(13)	(14)	(15)	(16)

## प्ररूप - ण

[नियम 13 का उपनियम (1) देखिए]

किसी मार्ग पर मोटरयान के प्रचालित न किए जाने की सूचना

भाग - एक

(अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा भरा जाए)

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

- (1) अनुज्ञा पत्र धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
- (2) अनुज्ञा पत्र धारक का डाक का पता .....
- (3) यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा वह दिनांक जिस तक कर का संदाय किया गया .....
- (4) अनुज्ञा पत्र क्रमांक और विधिमाम्यता का दिनांक .....
- (5) मार्ग पर यान के प्रचालित न किए जाने कालावधि ..... से ..... तक
- (6) मार्ग पर यान के प्रचालित न किए जाने के कारण —

1. प्राकृतिक विपत्ति
2. विधि और व्यवस्था
3. किसी दुर्घटना में नुकसानग्रस्त यान

मैं, इसके साथ छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1991 के नियम 13-क उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूँ —

1. दस रुपए की नकद रसीद क्रमांक ..... तथा दिनांक .....
- \*2. (1) अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. का प्रमाण-पत्र
- (2) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस या उपखण्ड मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश या प्रमाण-पत्र की प्रति
- (3) प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
- (4) प्रतिकर के दावे हेतु बीमा कंपनी को दी गई सूचना की प्रति
- (5) कोई अन्य प्रमाण-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने ऊपर मद क्रमांक 5 के सामने उल्लिखित कालावधि के दौरान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले मार्ग पर सेवा प्रचालित नहीं की है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और सत्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

अनुज्ञा-पत्र धारक के हस्ताक्षर

\*जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

भाग-दो

अभिस्वीकृति

श्री ..... से प्ररूप "ण" में यान क्रमांक ..... के लिए ..... (प्राधिकारी) द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र क्रमांक ..... जो दिनांक ..... तक विधिमाम्य है, के अंतर्गत आने वाले मार्ग पर दिनांक ..... से दिनांक ..... तक की कालावधि के



दौरान यान का प्रचालन नहीं किए जाने की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुई —

1. ....
2. ....

दिनांक .....

कराधान प्राधिकारी

### प्ररूप - ग-1

[नियम 13 का उपनियम (3) का खण्ड (दो) देखिए]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग

अनुविभाग क्रमांक .....

खण्ड .....

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... से ..... तक बस मार्ग पर पड़ने वाली ..... कि.मी. लम्बी ..... से ..... तक की सड़क निम्नलिखित कारणों से मोटर चलाए जाने के योग्य नहीं है/मोटर चलाए जाने के योग्य नहीं थी —

- कारण— 1. भारी वर्षा/बाढ़ के कारण  
2. पुल/पुलिया के ध्वस्त हो जाने के कारण  
3. अन्य कारण (विनिर्दिष्ट करें) .....

अनुविभागीय अधिकारी,  
लोक निर्माण विभाग, अनु.क्र. ....  
निर्माण/संधारण  
खण्ड क्रमांक .....

टिप्पणी — जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

### प्ररूप - त

[नियम 13 का उपनियम (6) देखिए]

अकल्पित परिस्थितियों के अधीन मोटरयानों का प्रचालन न किए जाने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का रजिस्टर

अनुक्रमांक	सूचना की प्राप्ति की तारीख	अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक	अनुज्ञा-पत्र की विधिमान्यता कब तक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुज्ञा-पत्र का मार्ग	यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	किस दिनांक तक कर का संदाय किया गया है	प्रचालित न किए जाने की कालावधि से	तक
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रचालित न किए जाने के कारण			कराधान प्राधिकारी द्वारा सत्यापन और दिनांक सहित आद्याक्षर	टिप्पणी
प्राकृतिक विपत्ति	विधि और व्यवस्था	दुर्घटना		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

### प्ररूप - थ

[नियम 14 का उपनियम (2) देखिए]

कर की वापसी के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

कराधान प्राधिकारी,

.....

.....

में ..... निवासी .....

का स्वामी एतद्वारा नीचे दिए गए ब्यौरों और कारणों के आधार पर कर की वापसी का दावा करता हूँ —

(1) वह कालावधि, जिसके लिए कर का संदाय किया गया है —

दिनांक ..... से ..... तक

(2) वह कालावधि, जिसके लिए वापसी का दावा किया है —

दिनांक ..... से ..... तक

(3) संदत्त की गई कर की रकम रुपये .....

बैंक ड्राफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक ..... और दिनांक .....

(4) दावा की गई रसीद की रकम रुपये .....

(5) वापसी के लिए कारण —

(एक) दिनांक ..... से यान का उपयोग न किया जाना

(दो) अनुज्ञा पत्र का दिनांक ..... से ..... तक उपयोग न किया जाना

(तीन) यान का प्रचालन न किया जाना दिनांक ..... से ..... तक

(चार) यान में परिवर्तन का दिनांक .....

(पाँच) भूलवश अधिक किए गए संदाय का दिनांक .....

2. इस आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न हैं —

(1) कर के संदाय का सबूत (मूल या प्रमाणित प्रति)

(2) उपयोग न किए जाने की सूचना/अनुज्ञा पत्र को जमा करने के लिए आवेदन पत्र/यान का प्रचालन न किए जाने की सूचना/या यान में परिवर्तन संबंधी घोषणा के संबंध में कराधान प्राधिकारी के द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति।

(3) अन्य दस्तावेजें (विनिर्दिष्ट करें) .....

3. मैं, एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दावा की गई वापसी के संबंध में पूर्व में कोई अन्य आवेदन नहीं दिया गया है।

दिनांक .....

आवेदक

.....

## प्ररूप - द

[नियम 14 का उपनियम (3) तथा (4) देखिए]

वापसी न्याउचर

अनुक्रमांक ..... पुस्तक क्रमांक .....

प्रति,

कोषाधिकारी,

(1) क्रमांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... ने रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... मोटरयान के मामले में दिनांक ..... से ..... तक की कालावधि के लिए मोटरयान कर की रकम रुपए ..... का संदाय कर दिया है और वह मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अधीन रुपए ..... की वापसी का हकदार है।

(2) स्वामी का नाम .....

(2) वह कर, जिसके संबंध में वापसी का दावा किया है, कोषालय में पूर्व में ही जमा किया जा चुका है।

(3) वाहन का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....

(3) वापसी का टिप्पण मूल अभिलेख में मेरे द्वारा दिनांकित आद्याक्षरों से लगा दिया गया है, और

(4) संदत्त कर रुपए .....

(4) मोटरयानों के संबंध में वापसी का कोई आदेश पूर्व में जारी नहीं किया है।

(5) स्वीकृत वापसी रुपए .....

कृपया श्री ..... को उपरोक्त वापसी के मदे रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) की राशि का संदाय करें।

(6) कालावधि जिसके लिए वापसी स्वीकृत की गई है .....

दिनांक .....

(7) दिनांक .....

कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कराधान प्राधिकारी

## प्ररूप - थ

[नियम 14 का उपनियम (10) देखिए]

कर की वापसी का रजिस्टर

अनुक्रमांक	वापसी के आवेदन का दिनांक	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वापसी की गई	यान क्रमांक	संदत्त की गई कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कोषालय का नाम जिसमें रकम जमा की गई थी (यदि चालान से संदत्त की गई हो)	बैंक ड्राफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक तथा दिनांक	वापसी का स्वरूप जिसके लिए दावा किया है	पारित किए गए वापसी आदेश का दिनांक	स्वीकृत की गई वापसी की रकम
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

  

क्या वापसी की रकम का समायोजन किया गया है	वापसी वाउचर का क्रमांक तथा दिनांक	कराधान के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप - न  
[ \* \* \* ]

## प्ररूप - प-1

[नियम 17 का उपनियम (1) देखिए]

मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन कर वसूली के लिए मोटरयान के अभिग्रहण का ज्ञापन

- दिनांक ..... स्थान .....
- यान का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम .....
- यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम .....
- उस व्यक्ति का नाम आदि जिसके कब्जे से यान अभिगृहीत किया गया .....
- साक्षियों के नाम (1) ..... (2) .....

6. अभिगृहीत किए गए यान की विशिष्टियाँ -

- (1) रजिस्ट्रीकरण का चिन्ह ..... (2) यान की श्रेणी .....
- (3) चेसिस क्रमांक ..... (4) इंजन क्रमांक .....

7. यान अभिगृहीत किए जाने के कारण -

- (1) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुसूची की मद ..... के अधीन मास ..... 20 ..... के लिए देय कर की रकम रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) का संदाय न किया जाना।

- (2) कराधान प्राधिकारी ..... के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसार रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) की बकाया कर की शोध्य रकम का संदाय न किया जाना।



(3) कराधान प्राधिकारी ..... के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसार रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) की शोध्य शास्ति की रकम का संदाय न किया जाना।

(4) कराधान प्राधिकारी ..... के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसार रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) की शोध्य शास्ति की रकम का संदाय न किया जाना।

1. .... 2. ....  
उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके कब्जे साक्षियों के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से यान अभिगृहीत किया गया। प्रति प्राप्त की (हस्ताक्षर)

टीप — प्ररूप प-2 में अभिग्रहण तथा निरोध के आदेश की प्रति के साथ इस जापन की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके कब्जे से यान अभिगृहीत किया गया है।

## प्ररूप - प-2

[नियम 17 का उपनियम (1) देखिए]

कर/शास्ति/ब्याज की वसूली के लिए मोटरयान के अभिग्रहण तथा निरोध का आदेश

चूँकि श्री ..... (स्वामी का नाम) के मोटरयान जिसका रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ..... है, की बाबत छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अधीन देय कर, शास्ति तथा ब्याज की शोध्य रकम रुपए ..... (शब्दों में रुपए ..... ) का संदाय नहीं किया गया है।

अतएव अब मैं ..... (पदनाम) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन एक प्राधिकृत अधिकारी के नाते उपरोक्त यान को जब तक कि यान की बाबत देय रकम का संदाय किया जाकर रकम के संदाय के साक्ष्य स्वरूप सबूत प्राप्त नहीं किया जाता है। एतद्वारा अभिगृहीत करता हूँ और निरुद्ध करता हूँ।

सील

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

पदनाम .....

प्रतिनिधि :-

- (1) थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन ..... को अधोहस्ताक्षरी या कराधान प्राधिकारी ..... या अपील प्राधिकारी (परिवहन आयुक्त ..... ) के आगे और किए जाने वाले आदेश तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निवेदन के साथ।
- (2) कराधान प्राधिकारी ..... की जानकारी हेतु।
- (3) श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... (स्वामी/चालक) को अनुपालन के लिए प्रति प्राप्त की।

हस्ताक्षर .....

..... (हस्ताक्षर)

पदनाम .....

नोट - प्ररूप प-1 में अभिग्रहण के जापन के साथ इस आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके कब्जे से यान अभिगृहीत किया गया है।

## प्ररूप - प

[नियम 20 का उपनियम (1) देखिए]

कर की प्राप्ति का रजिस्टर

अनुक्रमांक	प्राप्ति का दिनांक	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	यान का वर्ग	यान के स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जमा की गई रकम	संदाय का विवरण	कालावधि जिसके लिए कर जमा किया गया है	टिप्पणियाँ	
(6)	(7)	(8)	(9)	

- नोट — (1) यह रजिस्टर कराधान लिपिक के द्वारा बनाए रखा जाएगा।  
(2) प्राप्त की गई घोषणाओं के समस्त प्ररूप और एक दिन के सबूतों को रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

## प्ररूप - ब-1

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

जीवन-काल-कर की माँग और वसूली का रजिस्टर

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	यान का वर्ग	स्वामी का नाम	लदान रहित भार (कि.ग्रा.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जीवन-काल-कर के संदाय का दिनांक	संदर्भ की गई रकम	संदाय का विवरण (बैंक ड्रॉप्ट/चालान/रसीद क्रमांक तथा दिनांक)	संदर्भ की गई शास्ति तथा ब्याज	प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा दिनांक
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कराधान लिपिक के हस्ताक्षर	कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर	शोध्य यदि कोई हो	की गई वापसी यदि कोई हो	टिप्पणियाँ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

## प्ररूप - ब-2

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]  
मासिक आधार पर कर का संदाय करने वाले लोक सेवा यानों  
का माँग और वसूली का रजिस्टर  
(मोटर केब एवं शहरी बसों से भिन्न लोक सेवा यानों के लिए)

- (1) यान का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
- (2) प्रथम रजिस्ट्रीकरण छत्तीसगढ़ में आने का दिनांक .....
- (3) स्वामी/अनुज्ञा-पत्र धारक का नाम तथा पता .....
- (4) बैठने की क्षमता .....

वित्तीय वर्ष	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक प्रवर्ग और विधिमाम्यता	मार्ग और प्रतिदिन की अनुज्ञात दूरी	मासिक माँग
(1)	(2)	(3)	(4)

## संदाय के ब्यौरे

## अप्रैल

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(5)	(6)	(7)

## संदाय के ब्यौरे

## मई

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(8)	(9)	(10)

## संदाय के ब्यौरे

## जून

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(11)	(12)	(13)

संदाय के ब्यौरे  
जुलाई

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(14)	(15)	(16)

संदाय के ब्यौरे  
अगस्त

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(17)	(18)	(19)

संदाय के ब्यौरे  
सितम्बर

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(20)	(21)	(22)

## संदाय के ब्यौरे

## अक्टूबर

संदत्त की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(23)	(24)	(25)



संदाय के ब्यौरे  
नवम्बर

संदर्भ की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(26)	(27)	(28)

संदाय के ब्यौरे  
दिसम्बर

संदर्भ की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(29)	(30)	(31)

संदाय के ब्यौरे  
जनवरी

संदर्भ की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(32)	(33)	(34)

संदाय के ब्यौरे  
फरवरी

संदर्भ की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(35)	(36)	(37)

संदाय के ब्यौरे  
मार्च

संदर्भ की गई रकम - (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	बैंक ड्रॉफ्ट/कोषालय चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	कराधान प्राधिकारी के आद्याक्षर
(38)	(39)	(40)

वर्ष के अंत में कर का अतिशेष	अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) के ब्यौरे यदि अभिप्राय किया हो	टिप्पणियाँ
(41)	(42)	(43)

## प्ररूप - ब-3

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

कर से छूट प्राप्त मोटरयानों के संबंध में कर का माँग और वसूली का रजिस्टर

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण का दिनांक	स्वामी का नाम और पता	यान का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उस अधिसूचना का क्रमांक तथा दिनांक जिसके अधीन कर से छूट स्वीकृत की गई	यदि कर से छूट प्राप्ति वापस ली गई हो तो उस अधिसूचना का क्रमांक तथा दिनांक	कर लिपिक के हस्ताक्षर	कर प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

## प्ररूप - ब-4

[नियम 20 का उपनियम (2) देखिए]

जीवन-काल-कर यानों, मंजिली गाड़ियों और ठेका गाड़ियों, और कर से छूट प्राप्त  
यानों से भिन्न मोटरयानों के संबंध में कर की माँग और वसूली का रजिस्टर

- (1) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
- (2) प्रथम रजिस्ट्रीकरण का छत्तीसगढ़ में आगमन का दिनांक .....
- (3) स्वामी का नाम और पता .....

- (4) सकल यान भार/लदान रहित भार/बैठने की क्षमता .....
- (5) तिमाही कर की दर .....

## प्रथम तिमाही

वितीय वर्ष वर्ष	पूर्व का बकाया यदि कोई हो	संदर्भ की गई रकम (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्योरे बैंक ड्रॉफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## द्वितीय तिमाही

संदर्भ की गई रकम (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्योरे बैंक ड्रॉफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## तृतीय तिमाही

संदर्भ की गई रकम (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्योरे बैंक ड्रॉफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

## चतुर्थ तिमाही

संदर्भ की गई रकम (एक) कर (दो) शास्ति (तीन) ब्याज	संदाय के ब्योरे बैंक ड्रॉफ्ट/चालान/रसीद क्रमांक और दिनांक	टोकन क्रमांक	अतिशेष	कर लिपिक और कराधान प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

## प्ररूप - भ

[नियम 17 का उपनियम (5) देखिए]

अभिगृहीत यान के अधिहरण के लिए कार्यवाही के प्रारंभ के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचना  
..... द्वारा,  
तारीख .....

(अधिकारी का नाम तथा इसका पदामिधान)

प्रति,

न्यायिक मजिस्ट्रेट

1. अधिहरित किए जाने के लिए प्रस्तावित मोटरयान का विवरण।
2. उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण जिनके अधीन यान अभिगृहीत किया गया था।
3. उस यान के जिसका अधिहरित किया जाना प्रस्तावित है स्वामी का नाम तथा पता।
4. उस व्यक्ति का नाम, जिसके कब्जे से यान अभिगृहीत किया गया था।
5. अभिग्रहण की तारीख, समय तथा स्थान।
6. उस अधिकारी का नाम, जिसने यान का अभिग्रहण किया।
7. अभिगृहीत यान का अनुमानित मूल्य।
8. उस अपराध की विशेषताएँ, जिनके कारण अभिग्रहण किया गया था।
9. अभिगृहीत यान के अधिहरण की कार्यवाहियों के प्रारंभ की तारीख।

.....  
प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा सहित



## छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991), धारा 5(1) — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि, —

(एक) उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में यथा उल्लिखित किसी आटो-रिक्शा तिपहिया (पुराने) पर जीवनकाल कर की गणना नये आटो-रिक्शा तिपहिया की लागत के आधार पर की जाए और किसी विवाद, यदि इस मामले के संबंध में उद्भूत होता है, का विनिश्चय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(दो) आटो-रिक्शा का स्वामी उस पर उद्ग्रहित कर, का संदाय 31 मार्च, 2002 तक करेगा।

[अधिसूचना क्रमांक 25/परि.वि./2002, दिनांक 5 जनवरी, 2002; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5-1-2002 पृष्ठ 5 पर प्रकाशित]

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991), धारा 21(1) — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988), (जो इसमें इसके पश्चात् मोटरयान अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन स्वीकृत पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले तथा के अधीन संचालित, लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता छः से कम तथा पैंतीस से अधिक न हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के भुगतान से तत्काल प्रभाव से दिनांक 31-3-2016 तक नीचे दिये गए अनुसूची में कॉलम नं. (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार छूट प्रदान करती है —

### अनुसूची

स.क्र.	मोटरयान का वर्ग	कर में छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रदत्त किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन— (क) छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटक मण्डल के स्वामित्व अथवा ऐसे उपयोग के लिए इसके द्वारा पैकेज टूर हेतु अनुबंधित पर्यटक वाहन (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लेखित से भिन्न पर्यटक वाहन	दर का 50 प्रतिशत दर का 25 प्रतिशत
2.	मोटरयान अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन राज्यों द्वारा जारी किए गए पर्यटक परमिट के अंतर्गत आने वाले पर्यटक वाहन तथा जो निम्नानुसार	

⇒ ⇒

(1)	(2)	(3)
	कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जा रहे हैं —	
	(क) तीन दिवस तक अस्थायी उपयोग — (एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र	दर का 75 प्रतिशत दर का 50 प्रतिशत
	(ख) छः दिवस तक अस्थायी उपयोग — (एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र	दर का 75 प्रतिशत दर का 50 प्रतिशत
	(ग) छः दिवस से अधिक अस्थायी उपयोग — (एक) अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लेखित क्षेत्र से भिन्न सामान्य क्षेत्र	दर का 75 प्रतिशत दर का 50 प्रतिशत

टीप — अभिव्यक्ति “अति पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र” का अर्थ है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10 प्रतिशत से अधिक है।

टीप — अभिव्यक्ति “अति पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व विभाग द्वारा ऐसे मान्यता प्राप्त क्षेत्र।

शर्तें — (1) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का धारक इस अधिसूचना के अधीन लाभ तब प्राप्त करेगा, जब इसका पंजीयन राज्य गृह के पर्यटन विभाग से कराया हो।  
(2) टूरिस्ट आफ़ोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अंतर्गत कर मुक्ति हेतु तभी मांग की जायेगी, जब उसने उमर दी गई टीप में उल्लेखित क्षेत्र में टूरिस्ट वाहन के संचालन दिवसों का प्रमाण-पत्र पर्यटन विभाग से प्राप्त कर, कर अधिकारी से समक्ष प्रस्तुत किया हो।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।

[अधिसूचना क्रमांक 208/तक. विधान/टीसी/08, दिनांक 21 अप्रैल, 2008; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-5-2008 पृष्ठ 911-912 पर प्रकाशित]

## छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991, नियम 9-क(1) — राज्य शासन छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 9-क के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मालयानों के “स्पेशल टोकन” की फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित करती है —

1.	राज्य में पंजीकृत मालयानों के लिए जिनका सकल लदान भार —	मासिक फीस	तिमाही फीस
1.	7,500 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 800.00	रु. 2,000.00
2.	7,500 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 12,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,200.00	रु. 3,000.00
3.	12,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 18,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,600.00	रु. 4,000.00
4.	18,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 25,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2,400.00	रु. 6,000.00
5.	25,000 कि.ग्रा. से अधिक है	रु. 3,200.00	रु. 8,000.00

⇒ ⇒

2.	अन्य राज्यों में पंजीकृत मालयानों के लिए जिनका सकल लदान भार —	मासिक फीस	तिमाही फीस
1.	7,500 कि.ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 1,000.00	रु. 2,500.00
2.	7,500 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 12,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 1,500.00	रु. 3,750.00
3.	12,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 18,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 2,000.00	रु. 5,000.00
4.	18,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 25,000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 3,000.00	रु. 7,500.00
5.	25,000 कि.ग्रा. से अधिक है	रु. 4,000.00	रु. 10,000.00

3. "स्पेशल टोकन" की फीस की उक्त दरें दिनांक 1-8-2001 से प्रभावशील होंगी।  
 [अधिसूचना क्रमांक 635/परि.वि./2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2001; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24-9-2001 पृष्ठ 422 पर प्रकाशित]

## List of our Publications

Pindia PUBLISHING CO.

## SERVICE LAWS (C.G. &amp; M.P.)

Author	Name of Books	Edition	Price
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ कर्मचारी सूचना आलोक 2017 (मासिक पत्रिका) (वार्षिक शुल्क-जनवरी से दिसम्बर)	2017	380.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ कर्मचारी सूचना आलोक अर्द्धवार्षिक संकलन	2013	180.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ कर्मचारी सूचना आलोक वार्षिक संकलन	2014	340.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ कर्मचारी सूचना आलोक वार्षिक संकलन	2015	340.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ कर्मचारी सूचना आलोक वार्षिक संकलन	2016	340.00
गुप्ता, तपेश चन्द्र	छत्तीसगढ़ हैण्डबुक 2017 (चौदहवां संस्करण)	2017	450.00
गुप्ता, तपेश चन्द्र	सम्मिलित नूल: छ.ग. हैण्डबुक 2017, छ.ग. कर्मचारी सूचना आलोक 2014 450.00 340.00 = 790.00 = 500.00		
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ अनुकम्पा नियुक्ति (सम्पूर्ति 2016 सहित)	2015	60.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	2016	70.00
बेहार, चन्द्रहास	छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम	2017	250.00
बेहार, चन्द्रहास एवं शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ सामान्य पुस्तक परिपत्र	2016	1250.00
सेठी, कृष्णलाल	छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम (चतुर्थ संस्करण)	2017	190.00
शर्मा, महेश कुमार	छत्तीसगढ़ शासन में प्रचलित शासकीय वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन	2011	90.00
त्रिवेदी, एस.पी.	छत्तीसगढ़ अवकाश नियम	2016	65.00
सेठी, कृष्णलाल	छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता (द्वितीय संस्करण)	2017	520.00
सेठी, कृष्णलाल एवं शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम	2015	825.00
शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ लेखा, कोषालय एवं वित्तीय संहिता	2014	350.00
शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम	2015	110.00
शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम	2015	70.00
शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक कल्याणकारी लाभ सुविधाएं	2017	580.00
शर्मा, मदन गोपाल	सार, टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन	2016	395.00
शर्मा, मदन गोपाल	छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक/पेंशनर्स महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम राहत नियम	2017	250.00
गुप्ता, तपेश चन्द्र	छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिचर्या नियम	2016	200.00
श्रीवास्तव, जे.पी.	छत्तीसगढ़ पेंशन नियम (तृतीय संस्करण)	2016	450.00
गुप्ता, तपेश चन्द्र	छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम (द्वितीय संस्करण)	Under Revision	



# Most Authentic, Reasonably Priced & Updated Bare Acts with Important Rules

## DIGLOT EDITIONS

A-1	आयुध अधिनियम	45
A-2	माध्यस्थ्य और सुलह अधिनियम, 1996	100
C-1	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम	160
C-2	भारतीय संविदा अधिनियम	60
C-3	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम	प्रेस में
C-4	दण्ड प्रक्रिया संहिता (2010 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित)	प्रेस में
C-5	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	80
C-7	केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989	प्रेस में
C-8	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (पेपरबैक)	495
C-8	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (हार्डबाउण्ड)	595
D-1	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	40
E-1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	80
E-2	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	15
E-4	विद्युत अधिनियम, 2003	180
F-1	खाद्य अपभिश्रण निवारण अधिनियम	40
F-2	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम	90
H-1	हिन्दू विधि	150
I-1	भारतीय दण्ड संहिता	180
I-2	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	80
I-3	अनेतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	50
I-4	भारतीय वन अधिनियम, 1927	100
I-5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	250
J-1	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	110
L-1	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम	40
L-1	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (विभिन्न नियमों सहित)	120
L-2	परिसीमा अधिनियम	40
M-1	मोटरयान अधिनियम, 1988	प्रेस में
M-2	मुस्लिम विधि	10
MP-2	म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम	10
MP-3	म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम	50
MP/CG1	म.प्र./छ.ग. लोक परिसर बैदखली अधिनियम	40
MP/CG4	म.प्र./छ.ग. स्थान नियंत्रण अधिनियम	70
MP/CG5	म.प्र./छ.ग. लोक न्यास अधिनियम	75
N-1	स्वापक और धि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम	70
N-2	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सह म.प्र./छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम	60
N-3	परक्राम्य लिखत अधिनियम	95
P-1	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	15
P-2	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम	30
P-3	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	40
P-4	बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	30
P-5	प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम	110
P-6	सैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	70
P-7	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960	80
P-8	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995	150
P-9	बेनामी संपत्ति सव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988	80
R-1	सूचना का अधिकार अधिनियम	65
R-2	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों को अधिकार अधिनियम, 2009	100

## DIGLOT EDITIONS

R-3	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	प्रेस में
S-1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	
S-2	विनिर्दिष्ट अनुलोष अधिनियम	90
T-1	संपत्ति अंतरण अधिनियम	30
U-1	विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	60
W-1	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम	80
W-2	वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972	60
W-3	वक्फ अधिनियम, 1995	250
		160

## HINDI EDITIONS

E-3	विद्युत नियम, 2005 साथ में भारतीय विद्युत नियम, 1956	प्रेस में
E-5	विस्फोटक नियम, 2008	प्रेस में
MP-4	म.प्र. आबकारी अधिनियम	65
MP/CG2	म.प्र./छ.ग. ग्राम न्यायालय अधिनियम	50

## CHHATTISGARH EDITIONS

CG-1	छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम (Diglot)	35
CG-2	औद्योगिक पालिसी 2005-2009	50
CG-3	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम एवं नियम (Diglot)	100
CG-4	छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम (Diglot)	80
CG-7	छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम (Diglot)	प्रेस में
CG-8	छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल अधिनियम (Diglot)	30
CG-10	न्यायालय फीस अधिनियम (Diglot)	100
CG-11	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (Diglot)	100
CG-12	भारतीय स्टाम्प अधिनियम (Diglot)	300
CG-13	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (Diglot)	250
CG-14	छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 (Diglot)	280
CG-15	छत्तीसगढ़ मोटरयान कर्ताधान अधिनियम, 1991 एवं नियम, 1991 (Diglot)	160
CG-17	छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम एवं नियम 1976	40
CG-18	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम	120
CG-18A	छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम (Diglot)	140
CG-19	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (Diglot)	80
CG-20	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना (प्रेमिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (Diglot)	20
CG-21	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (Diglot)	40
CG-22	छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (Diglot)	120
CG-24	छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 एवं नियम, 2014 (Diglot)	70
CG-25	औद्योगिक नीति 2014-2019	70
CG-26	छत्तीसगढ़ गौज खनिज नियम, 2015 (Diglot)	400
CG-27	छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2008	35
CG-28	छत्तीसगढ़ साहकारी अधिनियम	90

List updated March 2017

P.S. : Prices are subject to change.